खण्ड-439, अंक-6
मंगलवार, 8 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(29 मई, 2001 ई0)

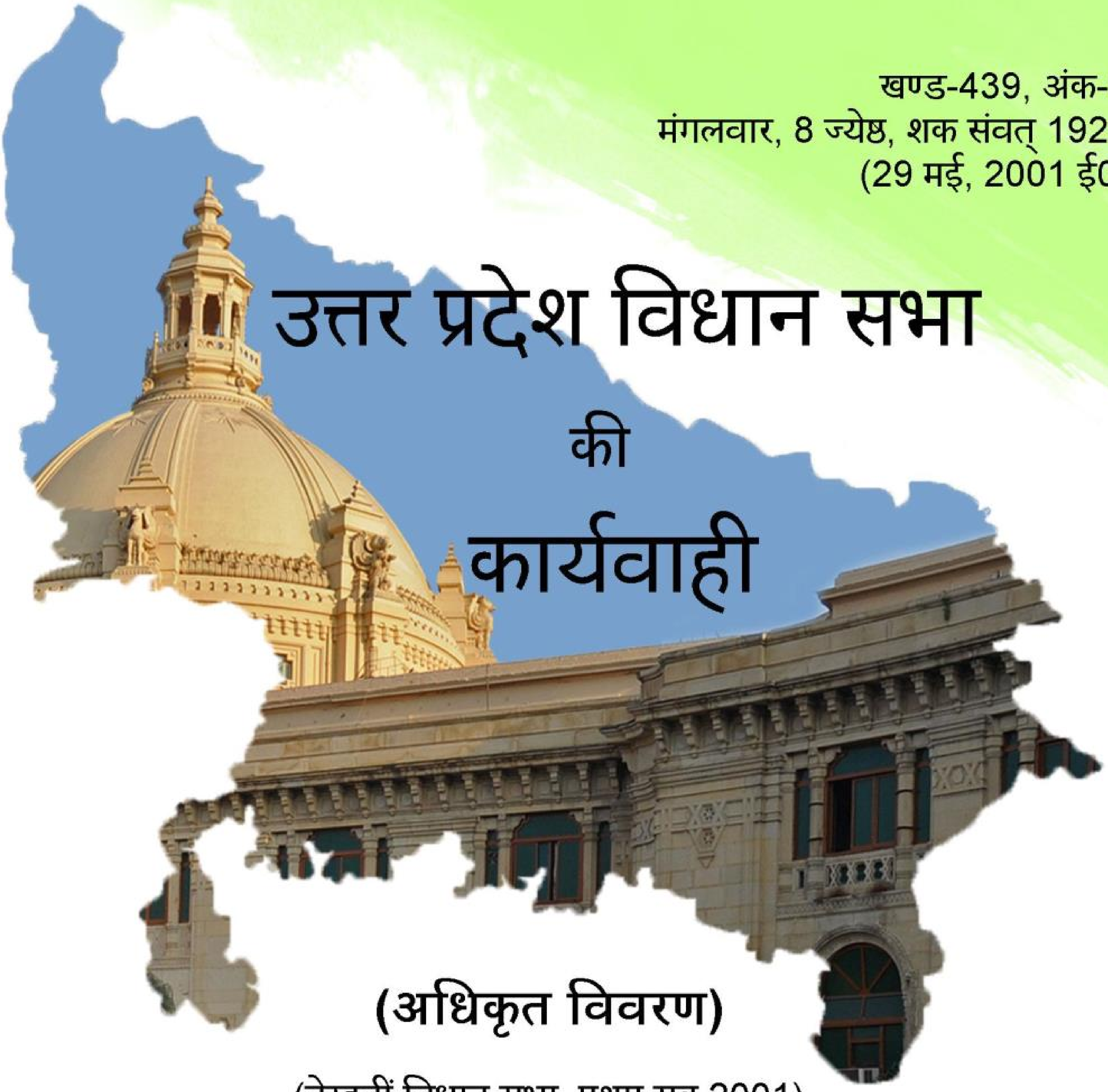

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1-4
प्रश्नोत्तर	4-86
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86
देश में आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने तथा नाबालिग लड़कियों को अपहरण कर विदेश में बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	86-87
जनपद हरदोई के राजकीय महाविद्यालय पिहानी में बी० काम० की कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के सुरियावां को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद गोण्डा के ब्लाक रुपईडीह के कौड़िया बाजार में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद जौनपुर की ग्राम सभा धनेजा की जमीन के फर्जी इन्द्राज की सतर्कता जांच कराकर भूमि खाली कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी द्वारा बजट पारण बैठक की कार्यवाही को नगर पालिका अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत निरस्त कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा से ग्राम कसरौर तक मार्ग बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना (जारी)	89-90
समाजवादी पार्टी के नेताओं/कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न विषयक नियम–311 की सूचना पर सदस्यों को सुनने के उपरान्त सम्पूर्ण कार्यवाही को निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90-95
श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 2 मई, 2001 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 तथा 28 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95-96
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	96-97
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	97-108
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	108
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (जारी) ...	108
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित सूचना पर व्यवधानरत सदस्यों को सदन त्याग के निर्देश तथा निर्देश वापसी की सूचना	109-110
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (जारी) ...	110-124
गणपूर्ति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	124
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	124-139
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के लिए चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	139-141
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	141-145
प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में चर्चा (सदन की अनुमति से समाप्त)	145
कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य की भूमि लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	145-152
राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास निधि के गठन के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	152-153

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुये सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बन्द किये जाने" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा के उपरान्त सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस)	153-156
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	157
नियम–51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं से सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थित में सूचना का व्यपगत होना	158
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज में, इन्द्रजीत ड्रेन की खुदाई/सफाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	158
अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत पूर्व परियोजना अधिकारियों को समान पद पर समायोजित करने एवं अवशेष देयों को भुगतान के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	159
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र अन्तर्गत चकबन्दी विभाग की लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	160
जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों के मकान गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	160-161
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में विद्युत विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	161-162
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सदरपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में राजकीय बसों का स्टाप बनाये जाने तथा शासनादेश के अनुरूप उसका विकास किये जाने के सम्बन्ध में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	162

विषय	पृष्ठ-संख्या
भण्डार नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, उन्नाव द्वारा विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव को कण्डक्टर न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा दिनांक 21 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	162-163
प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा (चर्चा–जारी)	163-164
प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये नया कानून बनाये जाने विषयक दिनांक 2 मई, 2001 तारांकित प्रश्न संख्या–3, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा (चर्चा–जारी)	164
नत्थियां	165-166

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जय नारायन तिवारी,श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
आर्य राम शरन, श्री	हाथरस	नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
उमाकान्त यादव,श्री	जौनपुर	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
ओइम्वेश, स्वामी	बिनजौर	बाबू राम, श्री	जालौन
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	मंजू, श्रीमती	बलिया
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव	मुराद लारी,श्री	देवरिया
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	यशवन्त , श्री	आजमगढ़
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी	रघुराज प्रताप सिंह	
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली	'राजा भइया', कुंवर	प्रतापगढ़
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजेन्द्र यादव,श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे पासवान,श्री	बस्ती
राम आसरे कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
रामजग, श्री	आजमगढ़
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू'', श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्रीराम, श्री	मऊ
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
समरपाल सिंह, श्री	मेरठ
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सूर्य भान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरि शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 29 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है, वह स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कल प्रश्न काल में व उसके बाद हम लोगों ने कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था.....(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, कल जो विषय हमने उठाया था उस पर संसदीय संयुक्त समिति के गठन करने की घोषणा हो जाये ।

प्रश्नोत्तर

श्री अधिष्ठाता–

मैं, नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं ।

(श्री गोरखनाथ पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके खड़े होने पर श्री ओम प्रकाश सिंह, सिंचाई मंत्री ने घोर व्यवधान के मध्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पढ़ा)

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय आजम खां साहब वाला भी मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायें, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं । माननीय मौर्य जी, कृपया बैठ जायं ।

प्रश्नकाल हो जाने दें, इसके बाद कोई बात करनी हो वह उसके बाद हो जायेगी ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने नियम–311 में अपनी सूचना दी है, उसे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, माननीय मौर्य जी, कृपा करके बैठ जायं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने जो नियम 311 में सूचना दी है उस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित यह लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। कृपया माननीय मौर्य जी बैठ जायं। माननीय मौर्य जी, इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष खड़े हों या नेता सदन खड़े हों तो बाकी माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए; आप पहले प्रश्नकाल हो जाने दें इसके बाद जो भी बात आप कहेंगे, हम सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत दिया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको अवसर देंगे। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान के मध्य)

कृपया बैठ जायं, माननीय मौर्य जी बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं उनको कह लेने दें।

नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं और आप खड़े हुए हैं। यह संसदीय परम्परा नहीं है, कृपया बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं सदैव नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं लेकिन इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक दल के नेता हैं, संसदीय परम्पराओं को आप नहीं मानेंगे तो मैं नहीं समझता हूं, यह उचित है। कृपया बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपकी जो भी व्यवस्था है, शिरोधार्य है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपने प्रश्न नं० एक पुकारा था।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल हमारी तरफ से नियम–311 के अन्तर्गत 5-6 जिलों की कानून व्यवस्था के बारे में कहा गया था, हमारे नेता आजम खाँ साहब जो इस सदन के माननीय सदस्य भी रहे हैं, इस सरकार में प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे, आज राज्यसभा के सदस्य हैं । उनके पहले तो विधायक रामपुर काशीराम जी को अपमानित किया इसी एस० पी० रामपुर ने उनको गाड़ी में पीछे बैठाया कालर पकड़कर । मान्यवर, इस सदन में कई बार इस प्रश्न को उठाया आश्वासन भी मिला कि जांच कराकर दंडित किया जायेगा । जो विधायक जी का अपमान हुआ है .....

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, कल यह बात हो चुकी है फिर वही चीज दोहरा रहे हैं ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, तो आप नहीं कहने देंगें ।

श्री अधिष्ठाता–

कल आपकी बात आ गयी थी ।

श्री धनी राम वर्मा–

[× × ×]

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, डा० वकार अहमद शाह, श्री सौलत अली, श्री उदयराज तथा श्री राम विशुन आजाद आदि समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, यह उचित नहीं है । यह संसदीय परम्पराओं के बिल्कुल प्रतिकूल है, संसदीय मर्यादाओं के प्रतिकूल है, इससे लोकतंत्र पुष्ट नहीं होगा ।

(सपा और बसपा के सदस्य जोर-जोर से बोलते रहने के कारण)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

जब बात ही नहीं सुनी जायेगी, तो हम और हमारी पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करती हैं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अनुमति न दिये जाने पर नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, प्रश्नकाल हो जाने दें उसके बाद आपकी बात सुन लेंगे ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जल एकत्र कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य योजना

**1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेगें कि वर्षा के जल को एकत्र कर उससे सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इसके लिये कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जी हां ।

जी हां ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षा जल संचयी परियोजनाओं को प्रारम्भ कर उनके निर्माण पर बल दिया जायेगा और ऐसी परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । इस योजना की कुछ परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, शेष का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा का पानी बह कर नदियों के माध्यम से निकल जाता है और बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा कर देता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके उपयोग के लिए कुल कितने जल के संचय की योजना प्रस्तावित है और उसका उपयोग किन-किन कार्यों में किया जायेगा ? क्या इसमें तालाबों की खुदाई कर, जल संचय करने का कार्य भी प्रस्तावित है ? और मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात मंत्री जी ने रखी है, बहुत अच्छी योजना है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि

10वीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने धन का प्राविधान खर्च करने के लिए किया गया है और उसमें कुल कितनी परियोजनाएं सम्मिलित हैं और वह कहां कहां हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न तो बहुत व्यापक है इसलिए मैं व्यापक उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। मान्यवर, जो सतही जल का आंकलन हुआ है वह 131 मिलियन एकड़ फीट (एम०ए०एफ०) है। इसमें बाढ़ का पानी जिससे सिंचाई नहीं होती है और बह जाता है, वह है 35 मिलियन एकड़ फीट, इस प्रकार 96.5 मिलियन एकड़ फीट पानी है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसके उपयोग करने की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें से 20 मिलियन एकड़ फीट तो पेयजल के लिए, उद्योग के लिए, पर्यावरण के लिए, हर तरह के कार्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस तरह से सिंचाई के लिए जो पानी उपलब्ध है वह 76 मिलियन एकड़ फीट है। छठी पंचवर्षीय योजना तक जो परियोजनाएं पूरी हुई उसमें 35.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जा चुका है, उसके बाद बचता है 40.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। इसमें सातवीं, आठवी और नौवीं योजना के अन्तर्गत जो भी परियोजनाएं निर्माणाधीन रहीं या पूरी हुई हैं उसमें 20.5 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग कर लेने की स्थिति है। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 22.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो सातवीं, आठवीं और नवीं परियोजना में उपयोग हो रही है उसमें टिहरी उत्तरांचल की परियोजना है, उसमें सम्मिलित है। इसलिए उत्तर प्रदेश के हिस्से को जानने के लिए आंकड़े को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है लेकिन आज की तिथि में जो परियोजनाएं नवीं पंचवर्षीय योजना तक बनीं, पूरी हो गयी या निर्माणाधीन हैं उसके बाद 18 मिलियन एकड़ फीट पानी बचता है, इसी का उपयोग अब हम कर सकते हैं। बाढ़ के पानी का उपयोग करने की बात की जाती है। उसके लिए बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी जिसके लिए संसाधन अभी उपलब्ध नहीं हैं। अभी बाढ़ के पानी के अतिरिक्त हमारे पास 18 मिलियन एकड़ फीट पानी है। जिस पानी का उपयोग करके हम नई परियोजनाएं बना सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रदेश में जो नदियों का जल है वह लगभग उत्तर प्रदेश के हिस्से के जल का उपयोग किया जा चुका है। अब शेष नदियों में जो जल थोड़ा बहुत बचता है उससे हम बहुत ज्यादा परियोजनाएं नहीं बना सकते। दूसरा भू-जल स्तर गिरता जा रहा है जो बहुत चिन्ता का कारण है। बड़े भू-जल पानी के रि-चार्ज करने से बढ़ेगी और रि-चार्ज तभी होगा जब वर्षा के जल को एकत्र करें इस वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए अभी 4 तरीके अपनाये गये। एक तो पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार और क्षमता वृद्धि करने की योजना है। दूसरे जो नदियां बरसात के बाद सूख जाती हैं या बड़े-बड़े बन्धे हैं उस पर बियर लगाकर पानी संचित कर लेंगे। पहाड़ों पर चैक डैम बनाकर पानी को रोकेंगे और जो पुराने बन्धे हैं और सिल्टिंग के कारण उनकी क्षमता कम होती जा रही है उनकी क्षमता वृद्धि करेंगे। इस प्रकार 4 प्रकार के कार्य सिंचाई विभाग ने अपने अन्तर्गत लिया है, जिस पर कार्य शुरू हो रहा है। इसमें 15 जलाशय बुन्देलखण्ड, 10 जलाशय सिद्धार्थनगर और 12 बलरामपुर में हैं। पानी का समुचित उपयोग हो इसके लिए एक वृहद योजना भी बनी। प्रदेश में जब इस सरकार ने राज्य जल नीति बनायी तो राज्य जल परिषद् भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी। उसका मुख्य उद्देश्य है जल का दोहन, संग्रह, रि-चार्ज। जो भी भू-जल या सतही जल है उसका उपयोग कैसे सही ढंग से किया जाये, कैसे-कैसे किया जाय इस पर अध्ययन करने के लिए राज्य जल परिषद् बनाया गया। इस राज्य जल परिषद् की कई बैठकें हो चुकी हैं इसमें जल का उपयोग करने वाले जितने भी 11-12 विभाग हैं उन सबके अधिकारी इस राज्य जल परिषद् के सदस्य हैं। मान्यवर, इस राज्य जल परिषद् की बैठकें हुई हैं और दो एजेंसी बनाने का निर्णय किया गया है। एक राज्य जल संसाधन एजेंसी और दूसरा राज्य जल संसाधन आंकड़ा व विश्लेषण एजेंसी। यह सिंचाई विभाग के अधीन होगा। ये दोनों एजेंसियां वर्षा के जल का संग्रह, उपयोग के सम्बन्ध में जो सुझाव देंगे नीति निर्धारित करने के लिए, ये दोनों एजेन्सियां

सुझाव देंगी । इसमें अन्य विशेषज्ञ भी रखे जायेंगे । अधिकारियों के अलावा जिनको विभिन्न विभागों की अच्छी जानकारी है वह भी रखे जायेंगे । मान्यवर, अभी ये परियोजनायें विचाराधीन हैं लेकिन मान्यवर, हमारा जो लक्ष्य यह है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में उन योजनाओं की एडवांस प्लानिंग का काम शुरू किया जा चुका है और हमारा लक्ष्य यह है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना जब अप्रैल, 2002 में शुरू हो हम इससे पहले ही दसवीं पंचवर्षीय योजना की सारी प्लानिंग कर लें । मान्यवर, इससे पहले होता क्या था कि जब कोई पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती थी तो एक दो साल का समय तो उसकी प्लानिंग में ही व्यतीत हो जाता था । तो हमने इसकी एडवांस प्लानिंग की है कि जल संचय का काम किस तरह से शुरू किया जाय और इस पर काम शुरू भी हो चुका है । मान्यवर, हमने इसको अन्तिम रूप देने का काम इस वर्ष के अन्त तक करने की योजना बनायी है । इस योजना में कितना धन लगेगा यह अभी विचारणीय है यह कार्य योजना हमने इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है । इसके बाद ही यह पता चल सकेगा कि इसमें कितना धन खर्च होगा । हमने इसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है । आगरा की खारी नदी पर हमने जल संचय करने का काम शुरू कर दिया है । इसके लिए हमने उस पर दो बियर बनाये हैं जिनका काम जून तक पूरा कर लिया जायेगा । इसी तरह से हमने जल संचय का कार्य करने के लिए बुन्देलखण्ड में भी एक-दो चैक-डैम बनाकर पानी रोकने का काम शुरू कर दिया है । जिसमें एकत्रित जल को किसान पम्पों द्वारा खींचकर अपनी आवश्यकतानुसार सिंचाई का कार्य करेंगे और जहां तक इन्होंने तालाबों की बात की है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है । इसके लिए समन्वित योजना बनाकर प्रयास किया जायेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने इस सम्बन्ध में इतनी सारी बातों पर जो स्पष्टीकरण दिया है तो इस संबंध में कितनी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है उन पर कितनी लागत आयेगी या जो अनुमानित लागत है तो कितनी लग चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में जो जल संचय हेतु बुन्देलखण्ड में सात परियोजनाएं हैं उन पर संशोधित लागत 298.95 करोड़ रुपये है । इसी तरह से जो 11 चैकडैम बनाने हैं उनकी लागत 6.59 करोड़ है और जो 15 जलाशयों का निर्माण कार्य होना प्रस्तावित है उनकी लागत 6.49 करोड़ है । मान्यवर, सिद्धार्थनगर में 11.36 करोड़ रुपये की लागत है और जो बलरामपुर में 12 जलाशयों की बात है उसके लिए 9 करोड़ रुपये की लागत सम्भावित हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने जल संचय हेतु योजनाएं बनायी हैं और जो कार्यान्वित कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से वह साधुवाद के पात्र हैं लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है । मान्यवर, क्या जल संचय हेतु कोई योजना माननीय मंत्री जी के पास पूर्वांचल के लिए भी है या कोई ऐसी परियोजना प्रस्तावित है या ऐसी कोई योजना पूर्वांचल के लिए भी बनायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इसके लिए हमने उन जलाशयों को चुना है जो पहले से बने हुए हैं और जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं उनके निर्माण का कार्य हमने शुरू किया है और हमने जिन योजनाओं पर काम शुरू किया है कोई नयी योजनाएं नहीं हैं, हमने जिन जलाशयों और तालाबों का पुनर्निर्माण शुरू किया है, वह अति जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं और मुगलकाल, ब्रिटिश शासन और जमींदारी काल में उन जलाशयों का निर्माण

हुआ था उन पर कार्य शुरू किया जा चुका है । अभी नयी परियोजनाएं विचाराधीन हैं उनको शुरू कराने के लिए हम विचार कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरसात के पानी के संचय की जो योजना बनायी है जो स्वायल इरोजन होता है, और तालाब, नदी उथले होते चले जा रहे हैं और पानी की संचय क्षमता समाप्त होती जा रही है । क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, तटबन्ध बनाकर उसमें जल संचय किया जाये ? दूसरा जो 35 एम० ए० एफ० बाढ़ का पानी जो फसलों को डुबोता है और आदमी को बरबाद करता है इसके उपयोग के बारे में सरकार कोई योजना बनायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक तो मैं सदन का सहयोग चाहूंगा । जल संचय परियोजनाओं के बारे में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, तालाब और बाढ़ के पानी के सिंचाई का सवाल है, निश्चित रूप से यह लाभकारी होगा, लेकिन इसमें पूर्व, मध्य और पश्चिम का सवाल नहीं है । जो योजनायें बन सकती हैं और संसाधन जुटा सकते हैं उसको देखते हुए वृहत् योजनाएं बनायी जायेंगी । परन्तु हम चाहते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना तक जल सिंचाई की परियोजना का योजना काल बने । इस प्रकार की योजना किसी प्रदेश में नहीं बनी है । यह पहला प्रदेश है जहां यह बात सोची जा रही है । जहां तक पूर्व की बात है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जनपदों में इस पर कार्य चल रहा है । विधायकों के जो सुझाव आयेंगे उसके संबंध में संसाधनों को देखते हुए विचार करेंगे । जहां तक बाढ़ के पानी का सवाल है हमारे पास 18 एम० ए० एफ० वर्षा का पानी है । बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ऊंचे-ऊंचे जलाशय बनाने पड़ेंगे और काफी कृषि क्षेत्र डूबेगा जिसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी । हम सामान्य रूप से इस जल को एकत्रित नहीं कर सकते हैं इसीलिए 18 एम० ए० एफ० जो वर्षा का पानी है उसके संग्रह करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ऐसी योजना विचार में नहीं है ।

प्रदेश के बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में श्री चन्द्र शेखर आजाद को आतंकवादी होना मुद्रित होने का प्रकरण

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "हमारा इतिहास और नागरिक जीवन" नामक पुस्तक क्या सरकारी प्रकाशन है तथा बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुस्तक में चन्द्रशेखर आजाद को आतंकवादी होना मुद्रित किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पुस्तक में इसी प्रकार की अन्य त्रुटियां भी की गयी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तक "हमारा इतिहास और नागरिक जीवन" में चन्द्र शेखर आजाद को आतंकवादी संगठन का निर्माता बताया गया है । इसी प्रकार भारत के बारे में इसमें गलत सूचनाएं पढ़ाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेश के बारे में दी गई सूचना गलत है । भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जो सूचना दी गयी है वह गलत है । इसमें बताया गया है कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष है जबकि सभी को मालूम है कि यह 18 वर्ष कर दिया गया है । इसमें यह कहा गया है कि भारत में 7 आम चुनाव हो चुके हैं । बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो कक्षा 8 के बच्चों को पुस्तक पढ़ायी जा रही है इसमें भ्रामक सूचनाएं दी गयी हैं । 13 मार्च, 2001 को मैंने यह प्रश्न दिया था जो आपकी कृपा से आज आया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि चन्द्र शेखर आजाद जैसे क्रान्तिकारी को आतंकवादी संगठन निर्माता बताया जा रहा है जबकि आतंकवादी का अर्थ वह लोग जो आतंकवादी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं और जिन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार संकल्पित है, उससे है । अगर उनको क्रान्तिकारी संगठन का निर्माता बताया होता तो वह ठीक होता । आतंकवादी संगठन का उनको निर्माता बताया गया है यह बिल्कुल अनुचित है । आतंकवादी का अर्थ है शत्रु की योजना को छिन्न-भिन्न करने वाला, तो मैं जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1997 में प्रकाशित पुस्तक में जो यह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या उससे अगली पीढ़ी का निर्माण राष्ट्रीय या अराष्ट्रीय होगा । इस संबंध में मा० मंत्री जी सदन को अवगत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "जी नहीं" ऐसी चीज पुस्तक में नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह जो पुस्तक बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 8 के छात्रों को पढ़ायी जा रही है इसमें पेज 121 पर लिखा है कि कुछ उत्साही क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक मार्ग अपनाया । 1928 में चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन का निर्माण किया गया । इसी पुस्तक के पृष्ठ 135 पर यह लिखा है कि इस समय भारत में 25 राज्य हैं और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं । दिल्ली को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया है जबकि वह राष्ट्रीय राजधानी है न कि केन्द्र शासित प्रदेश है । इसके अलावा इस पुस्तक में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा है मत देने का अधिकार है । इसी तरह से इसके पृष्ठ 139 पर यह लिखा गया है कि 1 अप्रैल, 1980 से छठी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई । तो मेरा कहना है कि इस पुस्तक में जो जानकारी दी गयी है उसको अपडेट करके प्रकाशित किया जाना चाहिए था । इस संबंध में न केवल पुस्तक के निर्माण करने वाले अधिकारियों का ध्यान नहीं दिया गया और यह पुस्तक तैयार कर दी गयी । मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया है "जी नहीं" तो "जी नहीं" कहने से काम नहीं चल पायेगा । मैंने जिन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है अगर वह सही है तो उनको ठीक कराया जाय और इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी इसका उत्तर मैं विस्तार से चाहता हूं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि उक्त पुस्तक में चन्द्रशेखर आजाद को आतंकवादी के रूप में उद्धरित किया गया है ऐसी बात नहीं है । यह पुस्तक 80 के दशक में लिखी गयी थी और तभी से पुस्तक प्रचलित है । जब यह मामला फरवरी, 2001 में अखबारों में छपा और शासन के संज्ञान में आया तो शासन ने तुरन्त निर्देशित किया कि ऐसे समस्त मामले हटाये जायं और इस आशय का संशोधन किया

जाय । यह जब भी लिखा गया था तो उसका उद्देश्य यह नहीं था कि देश के क्रान्तिकारियों को अपमानित किया जाय । हम इसको पूरे संदर्भ में पढ़े तो देखेंगे कि कहीं पर ऐसी बात नहीं लिखी है । मान्यवर, इसमें लिखा है "कुछ उत्साही क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक मार्ग अपनाया। 1928 में चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक क्रान्तिकारी संगठन का निर्माण किया गया । जिसमें भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि महान देशभक्त थे ।" यह क्रांतिकारी स्वयं देश की दीप्ति शिखा थे इनके बारे में आदर्श और सम्मानपूर्वक शब्दों का उल्लेख है । केवल आतंककारी जो शब्द हैं उसका भाव अलग हो सकता है । उस भाव की भूमिका में मैं नहीं जाना चाहता मेरे पास डिक्शनरी उपलब्ध है उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता । आज आतंकवाद के कारण आतंकवादी शब्द के बारे में लोगों की राय बदली है । जैसे ही यह संज्ञान में आया इन शब्दों को पुस्तक से हटा दिया गया इस पुस्तक को अद्यतन संशोधित कर दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो सारी बातें कही गई हैं कि यह-यह गलतियां हैं यह सब संज्ञान में ले लिया ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

यह सारे संशोधन कर लिये गये हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर,मंत्री जी के हाथ में जो पुस्तक है वह अद्यतन करेक्ट हुई है । फरवरी, 2001 को टाइम्स आफ इण्डिया में 15-2-2000 को सम्पादकीय में लिखा हुआ है बैड एक्मोर । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त के संज्ञान में यह बात लाई गई थी उनके स्पष्ट निर्देश के बावजूद अभी तक पुस्तक करेक्ट नहीं हुई है । इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके बारे में क्या निर्णय हुआ । यह 1980 की पुस्तक है 1997 में प्रकाशित हुई है लेकिन उसमें पूर्व की चीजों को यथावत पढ़ाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार ने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सरकार तर्क न दे सच्चाई को स्वीकार कर ले कि यह गलत प्रकाशित हुई है । व अगले सत्र जुलाई से इसको ठीक एडीशन देंगे व दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी पुस्तक को पढ़ते हुए कहा कि इस पुस्तक में जहां उल्लेख है वह आतंकवादी शब्द है । श्रीमन्, आज नहीं पहले से आतंकवादी शब्द का उल्लेख आपत्तिजनक है इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों–चन्द्रशेखर आजाद, उधम सिंह आदि के लिए इन शब्दों के प्रयोग के संबंध में आपसे अनुरोध करूंगा कि इस युक्ति का जिसने परिभाषित करके लिखा है उसके खिलाफ व प्रकाशक के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यह नितान्त आवश्यक है ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आतंककारी कहा जाए इससे बड़ी शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है मैं इसके दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करना चाहता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी तर्क दे रहे थे कि उसको पूर्ण रूप से पढ़ा जाए तो उसका यह भाव है । एक शब्द आतंककारी आया यह अंग्रेजों की तरफ से लिखा जाता तो उनकी तरफ से सही हो सकता है कि चन्द्रशेखर ने उस समय आतंकवादी संगठन का निर्माण किया । यह अंग्रेजों की तरफ से लिखा जाता तो सही हो सकता था लेकिन हिन्दुस्तान की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा छपी

हुई पुस्तक है उसके प्रकाशक मंडल होंगे, सम्पादक मण्डल होंगे उनकी तरफ से लिखा गया है मंत्री जी तर्कों द्वारा साबित करना चाहते हैं कि यह सही लिखा गया है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निन्दनीय और कोई बात इस सदन के लिए नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कहा कि इसका संज्ञान ले लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिनकी बदौलत आज भारत स्वतंत्र हुआ उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना निन्दनीय है । मान्यवर, यह तो निकाल ही दिया जाय । मैं चाहता हूं आज यह सदन व्यवस्था करे जो भी पुस्तकें छात्रों को पढ़ाई जायेंगी वे अद्यतन होंगी और जो भी त्रुटि होगी उसको हर हाल में परिमार्जित करके परीक्षण करके सही किया जायेगा तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सम्पादक मण्डल की जिम्मेदारी तय करेगी । मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के कारण यह कमी आई है उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करे क्योंकि सम्पादक मण्डल अंततः उसको पढ़ता है उसके बाद ऐसा हो रहा है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

जब से यह संज्ञान में आया है शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद् को निर्देशित कर दिया है और परिषद् ने अपनी एक बैठक करके इन अंशों को निकाल दिया है । जो भी नई पुस्तकें जुलाई में मार्केट में आयेंगी उनमें संशोधन रहेगा । यह पुस्तकें 82 से चल रही हैं इससे पूर्व की सरकारों ने भी देखा होगा फिर आज ही क्यों यह सवाल उठाया गया ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपने संज्ञान ले लिया अच्छी बात है । सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए जितना भी साहित्य पढ़ाया जाता है उसको दिखवा लें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और इसके लिए सम्पादक मण्डल पर जिम्मेदारी डाली जाय क्योंकि प्रकाशन से पहले सम्पादक मण्डल के पास एप्रूवल के लिए पुस्तकें जाती ही हैं । इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । थोड़ी सी सतर्कता बरतें अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं नत्थी (ख) प्रश्न संख्या–1

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं परन्तु यह भी सुनिश्चित हो जाय कि इस प्रकरण में मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ताकि आइन्दा भी सम्पादक मण्डल गलत काम न कर सकें । या तो मंत्री जी कह दें मैं कोई कार्यवाही नहीं करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी व्यवस्था आ गयी है । कृपया अब बैठ जायं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर तो दिला दीजिए ।

श्री विनोद मणि–

[× × ×]

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मेरी व्यवस्था आ गई है । यह सब नहीं लिखा जायगा । कृपया बैठ जायं । इसके आगे जो लिखा है, सम्मान के शब्द क्रान्तिकारी लोगों के लिए लिखे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था आ गई है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट बनाये जाने की जानकारी

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन द्वारा संचालित की जाने वाली हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट बनाये जाने का कोई सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सही है कि गत वर्षों में उक्त परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट अलग-अलग सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? पूर्व सिद्धान्तों को बदलने का क्या औचित्य था ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

जी हां ।

प्रथम पच्चीस स्थानों पर क्रमशः अधिकतम अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट में क्रमानुसार सूचीबद्ध कर रखा जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर और श्री बाल चन्द्र मिश्र के बोलने के लिए खड़े होने पर

श्री अधिष्ठाता–

मा० बाल चन्द्र जी, बैठ जायं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री विनोद मणि–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जा रहा है ।

(श्री विनोद मणि ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन द्वारा संचालित की जाने वाली हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट बनाये जाने का कोई सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जी हां । मैंने यह पूछा कि वह क्या है ? तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रथम पच्चीस स्थानों पर क्रमशः अधिकतम अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट के क्रमानुसार सूचीबद्ध कर रखा जाता है । मैंने पूछा कि गत वर्षों में उक्त परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट अलग-अलग सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गयी थी ? मंत्री जी ने उत्तर दिया, जी नहीं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष की मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनायी गयी ? क्या वह अधिकतम अंक पाने वाले बच्चों की सूची बनाकर तैयार की गयी है तो क्या उस सूची को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? क्या इस लिस्ट को बनाने में कोई परिवर्तन किया गया था ? यदि हां, तो उसके आधार क्या थे ?

श्री चन्द्र किशोर–

मेरिट लिस्ट के बारे में पहले से ही है कि जो अधिकतम अंक पायेंगे उसी आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है । जहां तक सूची की बात है, विगत वर्ष की सूची चाहेंगे तो उनको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

बहुत महत्वपूर्ण बात है । गत वर्ष की परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट है उसके सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी सदन को चाहिए । माननीय मंत्री जी इसको सदन के पटल पर रख दें, यह मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, कोई सूची उपलब्ध है क्या ?

श्री चन्द्र किशोर–

सूची उपलब्ध करा देंगे ।

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

किसको उपलब्ध करा देंगे ?

श्री चन्द्र किशोर–

माननीय सदस्य चाहें उनको उपलब्ध करा देंगे, सदन के पटल पर चाहें तो सदन के पटल पर रख देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पूछा गया कि गत वर्ष की मेरिट लिस्ट के नाम और उनके प्राप्तांक का आधार सदन को बता दें । मंत्री जी फाइनल तैयारी करके नहीं आए यह सदन को नहीं बता पाये मेरिट लिस्ट क्या है? पिछले वर्षों में मेरिट लिस्ट तैयार करने में धांधली हुई है हम जानना चाहते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनाने के सिद्धान्त हैं उनको यथावत रखा गया है या उसमें परिवर्तन किया गया है, गत वर्षों में कोई तो मेरिट लिस्ट लाते कि यह नाम हैं और यह प्राप्तांक हैं । मंत्री जी गत वर्ष का बताने की स्थिति में नहीं हैं जबकि सदन में प्रश्न पूछा गया, सदन में प्रश्न आ गया तो यह पूरे सदन की सम्पत्ति हो गयी तो गत वर्ष की मेरिट लिस्ट से मंत्री जी अवगत करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मूल प्रश्न देखें, इसमें सिद्धान्तों के बारे में बात है, किस सिद्धान्त से सूची बनती है उन्होंने कहा सदन के पटल पर रख देंगे, इससे बड़ी और बात आप क्या चाहते हैं ?

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाये जाने की मांग

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सुविधा को और बढ़ाये जाने हेतु अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

क्योंकि लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के पदों पर अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण कुल 50 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कर दिया गया है व कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों को देय 27 प्रतिशत आरक्षण को और बढ़ाने की संस्तुति करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में नहर की पटरियों के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नहर की पटरियों को सर्विस रोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नहर की पटरियों के अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु सरकार कोई विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मंगल सिंह सैनी)––

जी हां ।

समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, नहरों की पटरियों के निर्माण से दुर्घटनाओं में कमी आई है लेकिन इन पटरियों पर अतिक्रमण होने से सड़कों का प्रयोग सुचारु रूप से नहीं हो पाता है, मैंने प्रश्न पूछा है कि नहर की पटरियों के अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु सरकार कोई विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रही है? मैं जानना चाहता हूं जिन पटरियों के बनाने में इतना धन व्यय होता है उसको विशेष अभियान के तहत अतिक्रमण हटाकर सुचारु रूप से व्यवस्था करने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई प्रश्न आता है तो उसको हटवा दिया जाता है । इसमें विशेष अभियान की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, इस विषय से जुड़ा एक प्रश्न है कानपुर में एक नहर पूरी तरह से बन्द कर दी गयी है हजारों एकड़ जमीन उसमें है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है यह कई हजार करोड़ की सम्पत्ति है साढ़े 14 किलोमीटर की सड़क है यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजर रही है हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है, मैं जानना चाह रहा हूं मैंने विशेष उल्लेख किया है, कानपुर से गुजरने वाली नहर है तो वह हिस्सा जो पूरी तरह से बन्द हो गया है उस पर अतिक्रमण हो रहा है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम इसी महीने में कराने के लिए अभियान चलायेंगे ?

श्री मंगल सिंह सैनी––

कोई अतिक्रमण नहीं है, आवागमन के लिए इस्तेमाल होता है कहीं जगह खाली है अतिक्रमण हो जाता है सूचना मिलती है तो तुरन्त हटवा दिया जाता है कोई विशेष स्थान हो तो बता दें उसको हटवा दिया जाएगा ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इससे पर्टिकुलर और क्या होगा ? यह कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं है और मैं घोषित कर रहा हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

कानपुर में सारी नहरें अतिक्रमित हैं । घंटाघर से कलेक्ट्रेट वाली अतिक्रमित है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर,मैं विशेष उल्लेख कर रहा हूं और बल देकर कह रहा हूं, सदन को घोषित कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बालचन्द्र मिश्र जी ने एक विशेष उल्लेख करते हुए अतिक्रमण की बात कही है । आप उसमें क्या कार्यवाही करेंगे यह बता दें ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, हम जांच कराकर, अगर अतिक्रमण हो गया है, तो उसे हटा देंगे ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, समय घोषित करा दें, कब तक कर देंगे ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, हम यथाशीघ्र करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णाराज–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में जो शारदा सहायक नहरें हैं वहां पर पटरियां ही नहीं बनी हैं । जहां पर पानी की आवश्यकता होती है वहां पानी नहीं पहुंच पाता है और जहां आवश्यकता नहीं होती है वहां पर पानी फैल जाता है । तो क्या वहां पर पटरियों का निर्माण करायेंगे ?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने कहा कि इस तरह से अनेक नहरें हैं जहां पर पटरियों पर अतिक्रमण हो रहा है तो क्या इसको हटाने के लिए कोई विशेष अभियान एक समय सीमा के भीतर चलायेंगे ?

श्रीमती कृष्णाराज–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रश्न पटरियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है ।

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि कहीं की हमारे पास नोटिस आती है तो वैधानिक कार्यवाही करते हैं । मान्यवर, इसमें जांच कराने के बाद, बिल्कुल हटवा दिया जायेगा, हटवाते ही हैं । आपने, माननीय मिश्र जी ने जो बताया है उसकी जांच करवा लेंगे और जांच के बाद हटवा लेंगे ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं उनको अपने पर आत्म विश्वास नहीं लग रहा है कि वे अतिक्रमण हटवा देंगे । मान्यवर, वहां इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार हेतु वह अतिक्रमण हटना जरूरी है, मान्यवर, यह अतिक्रमण सिंचाई विभाग ही हटायेगा लेकिन वे उसे डायलूट करके टाल रहे हैं । यथाशीघ्र तो कोई उत्तर नहीं हुआ । मान्यवर, मैंने विशेष उल्लेख कर दिया है, उत्तर आना चाहिए कि एक महीने के अन्दर हटवा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय मिश्र जी ने उल्लेख किया है कि अवैध कब्जे हो गये हैं तो इसका संज्ञान ले लीजिये और जांच कराके उस संबंध में कार्यवाही करा लीजिये, शीघ्र करा दें ।

श्री मंगल सिंह सैनी–

ठीक है, मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में आई० ए० एस० अधिकारियों के पदों की संख्या प्रतिनियुक्ति पर भेजने सम्बन्धी विवरण

*3—श्री संजय गर्ग तथा श्री प्रदीप कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कैडर में 535 आई० ए० एस० अधिकारियों के पद सृजित हैं और उक्त पदों में से 40 प्रतिशत अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार में होनी चाहिये । यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस समय मात्र 90 अधिकारियों को ही केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नियमानुसार 116 और आई ए० एस० अधिकारियों को केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*4—श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

[दिनांक 25-5-2001 को तारां० प्र० सं०–10 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में विलुप्त होती जीव प्रजातियों के कारणों की जानकारी

*5—श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गिद्ध, कौवा और कछुओं की प्रजातियां धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ने उन्हें विलुप्त होने के कारणों का कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब एवं इस दिशा में अब तक क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

उत्तर प्रदेश में गिद्ध, कौआ तथा कछुओं की प्रजातियों की संख्या में कमी होने का आभास विभिन्न स्तरों पर किया गया है, किन्तु अभी तक इनकी प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रमाण नहीं हैं ।

इन वन्य जीव प्रजातियों की संख्या ज्ञात करने अथवा इनके विलुप्त होने के कारणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है और न ही कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु विद्यालय खोलने के लिए विगत वर्षों में संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि

*6—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये कितनी संस्थाओं को असेवित विकास खण्डों में सरकार द्वारा धन दिया गया है ? उनमें से कितने विद्यालय बनकर तैयार हो गये तथा कितने शेष हैं ? शेष विद्यालय कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए असेवित विकास खण्डों में कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु वर्ष 1998-99 में 76 तथा 1999-2000 में 5 संस्थाओं को स्वीकृत करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को धन स्वीकृत किया गया ।

जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 18 विद्यालयों का भवन पूर्ण हो गये हैं तथा 63 विद्यालयों का भवन पूर्ण होना शेष है ।

कार्यवाही गतिमान है ।

*7–श्री जगदम्बिका पाल–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की अनुमन्य सुविधा

*8–श्री गोमती यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम के तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा दी जा रही है ? क्या यह सही है कि निगम के लेखाकर्मियों तथा गैरतकनीकी कर्मियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें निगम के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उक्त सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में केवल निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतन की सुविधा अनुमन्य है :–

सहायक स्थानिक अभियन्ता, सहायक वास्तुविद, उप अभियन्ता, वास्तुविद सहायक स्तर–II,ट्रेसर ।

गैर तकनीकी संवर्ग में केवल चपरासी/संदेशवाहक तथा कंसोल आपरेटर को समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है ।

शेष सभी संवर्गों के कर्मचारियों के संबंध में मुख्य सचिव समिति द्वारा विचारोपरान्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों में सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान/वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की सुविधा विषयक शासनादेश दिनांक 30 जून, 1994 को जारी किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

*9–श्री अजय कुमार पोइया–

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा, विकास खण्ड शमशाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों में छोटे-छोटे निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

1–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमशाबाद से भनपुरा से कुतुबपुर (रोहई) वाया एत्मादपुर अछनेरा तथा विकास खण्ड फतेहाबाद में चमरौली मझारा सम्पर्क मार्गों पर कपुआ नाले पर छोटे-छोटे पुल निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

2-3-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

क्षेत्र से आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम बरीपुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

2–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में ग्राम बरीपुरा को विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम 2 किलोमीटर तक किसी भी सम्पर्क मार्ग से जुड़ा नहीं है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम यमुना के बीहड़ों में बसा होने के कारण आवागमन हेतु कोई सम्पर्क मार्ग न होने से जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 से सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम बरीपुरा की आबादी 524 है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पहले 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2007 तक पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है । इस योजना का प्रशासकीय विभाग ग्राम्य विकास विभाग है ।

लखनऊ के बाबा ठाकुरदास हायर सेकेन्ड्री स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारम्भ चयन प्रक्रिया

3–श्री बाल चन्द्र मिश्रा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बाबा ठाकुरदास हायर सेकेन्ड्री स्कूल, लखनऊ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु पत्रांक सं०–6098/शि०/2000, दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 को मंत्री जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्देशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

बाबा ठाकुरदास हायर सेकेन्ड्री स्कूल के प्रधानाचार्य पद के प्रति दिनांक 14-11-99 को हुए साक्षात्कार में विशेषज्ञ उपस्थित न होने के कारण चयनित अभ्यर्थी का चयन अनुमोदित नहीं किया गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–2 विनियम 17 की धारा–16चच की उपधारा (17) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित

दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी । उक्त के परिप्रेक्ष्य में चयन अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रधानाचार्य पद के प्रति पुनः चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद जौनपुर, राष्ट्रीय डिग्री कालेज, महरेंव की सम्बद्धता

4–श्री श्रीराम यादव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाविद्यालयों की सम्बद्धता का मापदण्ड क्या है ? क्या राष्ट्रीय डिग्री कालेज महरेंव, पुरेंव, जौनपुर को सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड को पूरा करवाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही विश्वविद्याल के प्रस्ताव के आधार पर की जाती है । महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने का विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद जौनपुर, राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेंव में संचालित नर्सरी स्कूल हटवाने की मांग

5–श्री श्रीराम यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेंव, पुरेंव, जौनपुर की भूमि/भवन पर राष्ट्रीय डिग्री कालेज और एक नर्सरी स्कूल चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त महाविद्यालय और नर्सरी स्कूल को हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर, राष्ट्रीय डिग्री कालेज द्वारा महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु आय प्रमाण-पत्र की सत्यता की जांच

6–श्री श्रीराम यादव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डिग्री कालेज, महरेंव, पुरेंव, जौनपुर द्वारा महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु उपलब्ध कराये गये आय प्रमाण-पत्र की सत्यता की जांच हेतु उच्च शिक्षा अनु०–6 के पत्रांक सं०–896/70-6-98-2(26), दिनांक 27-4-98 द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर से कराये जाने व जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 18-9-98 को क्या जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

विश्वविद्यालय को कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फतेहपुर, क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम नरैनी से यमुना नदी के किनारे के मार्गों का डामरीकरण

7–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के किशुनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम नरैनी से यमुना नदी के किनारे तक पहुंचने वाला नरैनी-रामपुर-भसरौला मार्ग डामरीकृत होने के बावजूद ससुर खदेरी नदी में पुल न होने से आवागमन बाधित है ? क्या सरकार जनहित में ससुर खदेरी नदी पर छोटा पुल निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम नरैनी से भसरौल मार्ग की लम्बाई 7 कि०मी० है जिसमें 2 कि०मी० मार्ग पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत उ० प्र० प्रोजेक्ट एवं टियूवेल कारपोरेशन लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा निर्माणाधीन है । ससुर खदेरी नदी पर प्रश्नगत स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 8 कि०मी० दूरी पर तथा अप स्ट्रीम में लगभग 6 कि०मी० दूरी पर पुल विद्यमान है अतः आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद इलाहाबाद, विश्वविद्यालय/महिला छात्रावास में आपराधिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ सम्बन्धी कथित प्रकरण

8–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 4 मार्च, 2001 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास के अन्दर आपराधिक तत्वों द्वारा असलहे के साथ प्रवेश कर छात्राओं के साथ अभद्रता एवं तोड़-फोड़ की गयी है ? यदि हां, तो विश्वविद्यालय पुलिस चौकी और छात्रावास के सुरक्षागार्ड तैनात रहने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार सम्पूर्ण घटना की जांच एवं महिला छात्रावास की सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वाह्य सहायतित सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितनी और कौन सी वाह्य सहायतित परियोजनायें सिंचाई विभाग में चल रही हैं और उनके पूर्ण किये जाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी की नहरों की सिल्ट सफाई पर व्यय धनराशि का विवरण

10–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जनपद मैनपुरी में किन-किन नहरों की सिल्ट सफाई की गई और उनमें कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या उक्त जनपद में अब भी कुछ नहरों की सिल्ट सफाई होनी शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में मैनपुरी जनपद में कुल 480.770 कि०मी० नहरों की सिल्ट सफाई कराई गई । आवश्यकतानुसार सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है । सिल्ट सफाई पर कुल रु० 80.368 लाख व्यय किया गया ।

जी हां ।

सामान्यतः सभी नहरों की सफाई प्रतिवर्ष नहीं कराई जाती है । धन की उपलब्धता के आधार पर सिल्ट सफाई का कार्यक्रम बनाया जाता है ।

जनपद मैनपुरी के बेवर मोटर मार्ग के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराने की मांग

11–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में जी० टी० मार्ग छाछा से बेवर-मोटा मार्ग पर स्थित ग्राम आलीपुर खेड़ा बरहट, रकरी ग्रामों में सड़क में भारी गड्ढें होने के कारण बरसात में कीचड़ व जलभराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । आबादी भाग में बरसात एवं घरों के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, विकास खण्ड असोथर के पथरी पम्प कैनाल का कार्य पूर्ण कराने की मांग

12–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में विकास खण्ड असोथर के पथरी पम्प कैनाल का निर्माण सन् 1999 में पूरा होना था, किन्तु निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । कार्य सितम्बर, 2000 तक पूर्ण होना प्रस्तावित था ।

जी हां ।

विद्युत विभाग द्वारा नहर का ऊर्जीकरण माह 3/2001 में किया गया है । वर्षवार धनराशि के अनुरूप कार्य कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई शिथिलता नहीं बरती गई ।

जनपद जौनपुर, राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेंव के इण्टर कालेज से सम्बद्धता का प्रकरण

13—श्री श्रीराम यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेंव, पुरेंव जौनपुर की भूमि एवं भवन में अवैध रूप से संचालित प्राथमिक विद्यालय की किस आधार पर किस वर्ष में इण्टर कालेज से सम्बद्ध एवं अनुदानित किया गया है ? क्या प्राथमिक विद्यालय को हटाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विद्यालय न तो नियमानुसार सम्बद्ध है, और न अनुदानित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर में मार्ग निर्माण में अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

14–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-9-2000 जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सड़कों के निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार तथा मानक के अनुसार निर्माण न कराने के विषय में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मार्ग पर जहां-जहां कार्य खराब था उसे ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के परसपुर बाजार से पसका रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग

15–डा० वकार अहमद शाह तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग की गोण्डा जनपद में परसपुर बाजार से पसका रोड पर लोगों द्वारा अस्थाई अवैध अतिक्रमण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परसपुर बाजार में 300 मीटर लम्बाई में प्रश्नगत सड़क के दोनों ओर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है ।

नियमानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी की जा चुकी है एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर/कुशीनगर वन प्रभाग के दैनिक वेतनकर्मी/वाहन चालक की नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

16–श्री शिव गणेश लोधी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी वृत्त, उ० प्र० गोरखपुर का पत्र सं० बी–1234/16 एफ–1 (दैनिक श्रमिक) दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 जो कि

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर में कार्यरत दैनिक वेतनकर्मी को सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कुशीनगर में रिक्त वाहन चालक के सामान्य वर्ग के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किये जाने के संबंध में था, प्रमुख वन संरक्षक उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां । विनियमितीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में ही प्रमुख वन संरक्षक के पत्र दिनांक 12-5-2000 तथा दिनांक 4-8-2000 द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उत्तर प्रदेश (उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के प्राविधानों के तहत विनियमितीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी वृत्त, उ० प्र० गोरखपुर के प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 18-10-2000 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख वन संरक्षक के पत्र दिनांक 21-4-2001 द्वारा वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर को पुनः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग सिद्धार्थनगर में वाहन चालक का एक पद रिक्त है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है । इस प्रभाग में कार्यरत एक दैनिक वाहन चालक, जो सामान्य वर्ग का है, को उक्त पद के विरुद्ध नियमित नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक सामाजिक वानिकी प्रभाग सिद्धार्थनगर में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मी को सामाजिक वानिकी प्रभाग कुशीनगर में सामान्य वर्ग के पद में नियमित रूप से नियुक्त किये जाने का सम्बन्ध है, इस संबंध में अवगत कराना है कि जिले स्तर पर नियमितीकरण की कार्यवाही पात्रता के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा की जाती है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है ।

जनपद इटावा, ब्लाक ताखा के कतिपय रजवाहों के टेल तक सिल्ट सफाई कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था

17—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि भरतीया कोठी ब्लाक तारवा, जनपद इटावा के गांगसी रजवाह से कुदरैल को जाने वाले रजवाह में से पूरनपुर से सरेंधा ग्राम ब्लाक ऐरवा कटरा, जनपद औरैया तक पूरा रजवाह बन्द पड़ा है, क्या सरकार उक्त रजवाह में पूरनपुर उपरोक्त ग्राम से टेल तक सिल्ट सफाई करवा कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ब्लाक ताखा, जनपद इटावा में गांगसी राजवाहा से निकली कुदरैल माइनर के कि०मी० 2.40 (पूरनपुर ग्राम) बायें तट से निकली उमरैन माइनर, जिसकी लम्बाई 12.00 किमी० है, में पूरनपुर ग्राम से आगे केवल 3.00 किमी० तक रबी 1408 फसली में पानी पहुंचा है ।

जी हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में ग्राम पूरनपुर से टेल तक उमरैन माइनर की सिल्ट सफाई का प्रस्ताव भी रबी फसल में प्रस्तावित सिल्ट सफाई के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आदर्श विद्यालयों को समाप्त करने की नीति

18–श्री कमला प्रसाद रावत–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासन द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालयों को समाप्त करने की नीति बनायी गयी है और उनके अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित करने का निर्णय लिया

गया है ? यदि हां, तो क्या राजकीय आदर्श विद्यालय जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी को समाप्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

प्रश्नगत विषय पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय में प्रश्न में संदर्भित विद्यालय स्वतः आच्छादित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के राजकीय आदर्श विद्यालय जहांगीराबाद के जर्जर भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

19–श्री सरवर अली खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के राजकीय आदर्श विद्यालय जहांगीराबाद का भवन अत्यन्त जर्जर है जो किसी भी समय ढह सकता है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15-7-2000 को भेजा गया फैक्स सन्देश माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । भवन के जिस भाग में राजकीय आदर्श विद्यालय चल रहा है, उसके ढह जाने का खतरा नहीं है ।

जी हां ।

भवन के भौतिक स्थिति की जांच कराई गई । भवन के जिस भाग में राजकीय आदर्श विद्यालय चल रहा है उसके ढह जाने का खतरा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, प्राथमिक विद्यालय चिनहट से सेवानिवृत्त श्रीमती सबीहा हशमत सिद्दीकी की संशोधित पेंशन के भुगतान की जानकारी

20–श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सबीहा हशमत सिद्दीकी सेवानिवृत्त उर्दू अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिनहट, जनपद लखनऊ का पत्र जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को दिनांक 1-2-2001 को प्रेषित और उसकी प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को भी प्राप्त करायी गयी थी, प्राप्त हुए हैं जो उनके 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त संशोधित पेंशन का भुगतान आदेश जारी करने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर श्रीमती सबीहा हशमत सिद्दीकी सेवानिवृत्त उर्दू अध्यापिका के पेंशन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत पत्र वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । श्रीमती सिद्दीकी को पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

संशोधित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण में की गयी कथित धांधली के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री सरवर अली खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सिद्धौर जनपद बाराबंकी के प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण में की गई धांधली के संबंध में श्री कमला प्रसाद रावत, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 5-2-2001 को फैक्स संदेश द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मा० न्यायालय के निहित प्रकरण

22–श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित नगर क्षेत्र बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

तीन पद रिक्त हैं ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त यथास्थिति नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर क्षेत्र बाराबंकी में बेसिक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची संवर्गवार बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

23–श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-2000 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उसकी एक प्रति जिला अधिकारी, बाराबंकी को भी प्रेषित की गयी थी, जो नगर क्षेत्र बाराबंकी में अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार समस्त अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में संवर्गवार बनाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

पत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुरूप विभागीय नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची बनायी गयी एवं मा० उच्च न्यायालय में दायर वाद का प्रतिवाद किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

24–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 16-5-2001 को अता० प्र० सं०–56 द्वारा उत्तरित]

जनपद श्रावस्ती में ग्राम्य शिक्षा समितियों के प्रस्ताव के विपरीत शिक्षा मित्र/आचार्य का चयन सम्बन्धी प्रकरण

25–श्री समरपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद श्रावस्ती में शिक्षा मित्र एवं आचार्य के चयन में ग्राम्य शिक्षा समितियों के प्रस्ताव के विपरीत चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर उक्त अनियमित चयन को निरस्त कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शासनादेश के आलोक में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। पात्र अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद श्रावस्ती में अध्यापक श्री राजकिशोर पाठक एवं रमेश चन्द्र के शासनादेश के विपरीत स्थानान्तरण करने की जांच

26–श्री समरपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्रांक 5302 तथा 5684, दि० 10-8-2000 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधीनस्थ जनपदों में अध्यापकों का स्थानान्तरण दि० 25-8-2000 के पश्चात् न किये जाने का शासनादेश जारी हुआ था ? यदि हां, तो जनपद श्रावस्ती में राजकिशोर पाठक एवं रमेश चन्द्र आदि का स्थानान्तरण 24-2-2001 को किन परिस्थितियों में किये गये ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की मनोविज्ञान शाला में विशिष्ट कैडर के तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी व्यक्तियों को पदभार ग्रहण कराने की जांच

27–श्री सजंय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मनोविज्ञान शाला, उ० प्र० इलाहाबाद में निदेशक, शोध प्राध्यापक एवं वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक आदि विशिष्ट कैडर के तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी व्यक्तियों को पदभार ग्रहण कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, सिंचाई खण्ड टाण्डा के उप राजस्व अधिकारी द्वारा गत वर्ष अनियमित तरीके से हैण्ड रसीद पास करने की जानकारी

28–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप राजस्व अधिकारी को हैण्ड रसीद आदि पास करने का वित्तीय अधिकार शासन द्वारा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सिंचाई खण्ड टाण्डा जिला अम्बेडकर नगर के उप राजस्व अधिकारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता से मिलकर कई हजार रुपये का अनियमित तरीके से हैण्ड रसीद पास कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उप राजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड टाण्डा, जिला अम्बेडकर नगर द्वारा रु० 20790.41 की हैण्ड रसीद पास की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा, ब्लाक तारवा के ग्राम पृथ्वीपुर में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में जानकारी

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पृथ्वीपुर मौजा पुरैला, ब्लाक–तारवा, जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के परिषदीय विद्यालय का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ग्राम पृथ्वीपुर, मौजा पुरैला वर्तमान मानक के अनुसार सेवित श्रेणी में आता है ।

अतः प्राथमिक विद्यालय के स्थापना का औचित्य नहीं बनता है ।

उ० प्र० इलाहाबाद, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव के विरुद्ध कतिपय शिकायतों पर कार्यवाही का आश्वासन

30–श्री हरदेव सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों के लिये निर्धारित किया गया है तथा वर्तमान सचिव कब से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि वर्तमान सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितता के मामले शासन में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिव पद पर संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, कार्यकाल की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है । वर्तमान सचिव दिनांक 10-7-97 से कार्यरत हैं ।

वर्तमान सचिव सुश्री अचला खन्ना के विरुद्ध कतिपय शिकायतें शासन में प्राप्त हुई हैं ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, सिंचाई खण्ड टाण्डा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के रोके गये कतिपय भुगतान

31–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड टाण्डा, जिला अम्बेडकर नगर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह जून, 2000 से अब तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन, मकान भत्ता आदि अनियमित तरीके से बिना कारण बताये रोक दिया गया है ? क्या सरकार अनियमित तरीके से कार्य करने के लिये उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा द्वारा 02 कर्मचारियों एवं एक अधिकारी का वेतन/मकान किराया भत्ता रोका गया है ।

जी हां ।

जनपद गोरखपुर, ब्लाक ब्रह्मपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 के अन्तर्गत ब्लाक–ब्रह्मपुर में कौन-कौन सड़कें विगत वर्ष 1998 में क्षतिग्रस्त हुई हैं ? इनमें किस-किस की मरम्मत का कार्य, मिट्टी का कार्य, खड़ंजा, पत्थर, गिट्टी डाल कर इस समय रोक दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़कों का निर्माण घटिया और मानक से कम सामग्री डालने संबंधी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, पूर्व विधायक व सांसद एवं श्री राज नारायण पासी, सांसद बांसगांव–गोरखपुर का शिकायती-पत्र माह जुलाई, 2000 में जिलाधिकारी, गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता लो० नि० विभाग, मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि०, गोरखपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड ब्रह्मपुर में वर्ष 1998 की बाढ़ में मुख्यतः निम्न सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं :–

(1) झंगहा–बरही–बोहाबार मार्ग ।

(2) इटौवा–गजाईकोल मार्ग ।

(3) नई बाजार–इटौवाघाट मार्ग ।

उक्त मार्गों पर किये गये कार्य के प्राविधान व धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया गया है ।

मा० सांसद श्री राजनारायण पासी का पत्र दि० 15-7-2000 प्राप्त हुआ, जिसमें कार्य मानक के अनुसार कराने की अपेक्षा की गयी थी ।

प्रकरण में जांच कराई जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, ब्लाक बड़रांव के प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य निधि धनराशि जनपद आजमगढ़ से मंगवाने की जानकारी

33–कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवसृजित जनपद–मऊ अन्तर्गत ब्लाक–बड़रांव के प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य निधि का धन उनके पैतृक जनपद–आजमगढ़ से मंगा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धन कब तक मंगा लिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के बलदेव वैदिक विद्यालय इ० का० पलिया कला के श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के अवशेष वेतन भुगतान की मांग

34–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समता पार्टी उ० प्र० के अध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा का पत्र दिनांक 14-12-2000 जो श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव अध्यापक बलदेव वैदिक विद्यालय इ० का० पलिया कला, लखीमपुर खीरी के समस्त अवशेष तथा नियमित वेतन भुगतान के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर को दिनांक 12-4-2001 द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में लो० नि० विभाग के कार्यरत कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भुगतान दिये जाने की मांग

35–श्री समरपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में लोक निर्माण विभाग के कितने अधिकारी किन-किन पदों पर तैनात हैं तथा उन्हें कौन सा वेतनमान दिया जा रहा है? क्या राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय स्थिति को आधार बनाकर उन्हें पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो एक ही निगम में कार्यरत अधिकारियों को दो प्रकार के वेतनमानों के अनुसार वेतन भुगतान किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार निगम कार्मिकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पैतृक विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान निर्माण निगम में दिये जा रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

राजकीय निर्माण निगम में कार्मिकों की सीधी भर्ती/पदोन्नति के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी संवर्ग में प्रतिनियुक्ति कोटे का भी प्राविधान है । जो कार्मिक लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं उन्हें उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन ही नियमानुसार देय है ।

निगम की वित्तीय संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है ।

उपरोक्तानुसार ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र शोहरतगढ़ में लखनापार बांध हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

36–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र– शोहरतगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर में बैदोला–लखनापार बांध में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा कितने गांवों में बांटा गया ? अवशेष गांवों में कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उक्त बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि में से 10 गांवों की भूमि का मुआवजा बांटा जा चुका है ।

अवशेष गांवों की भूमि के मुआवजा का भुगतान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र शोहरतगढ़ में लखनापार बांध में विगत वर्ष रेगुलेटर लगाये जाने की जानकारी

37–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र–शोहरतगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर में बैदोला–लखनापार बांध पर वर्ष 2000 में रेगुलेटर लगाया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या उक्त रेगुलेटर लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो रेगुलेटर कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

तीन रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है । दो के कार्य अवशेष हैं ।

धनावंटन एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार अवशेष रेगुलेटर का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के कतिपय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य/प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

38–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के राजकीय इण्टर कालेज, घुरेसपुर एवं बरगढ़ तथा रा० बालिका इण्टर कालेज कर्बी एवं राजापुर में प्रधानाचार्य एवं विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या इन पदों पर नियुक्ति करके शिक्षण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट, जिला योजना हेतु विगत कई वर्षों में स्वीकृत सड़कों के निर्माण में आवंटित धनराशि का विवरण

39—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में अब तक जिला योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी ? क्या स्वीकृत कार्य समय से कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस कार्य (सड़क) पर अब तक किस वित्तीय वर्ष में कितना धन प्राप्त हुआ एवं कितने कार्य कराये गये ? क्या प्रस्तावित शेष कार्यों की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद चित्रकूट में जिला योजना के अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत सड़कों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1998-99 में

1–पहाड़ी नादी तौरा से कपना इटोरा मार्ग ।

2–बिधावल सम्पर्क मार्ग ।

3–मण्डोर सम्पर्क मार्ग ।

वर्ष 1999-2000 में

1–बांधी रामपुर सम्पर्क मार्ग ।

2–लोहदा सम्पर्क मार्ग ।

3–सकरोहा सम्पर्क मार्ग ।

4–राजापुर कमासिन मार्ग से बरदारा सरसेन मार्ग ।

वर्ष 2000-2001 में

किसी मार्ग की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये गये हैं ।

कार्यवार/वित्तीय वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्षवार आवंटन रु० लाख में			कार्य की भौतिक प्रगति
		98-99	99–2000	2000-01	
1	2	3	4	5	6
1	पहाड़ी नादी तोरा से कपना दूलोरा मार्ग	10.00	—	6.50	3 कि० मी० टापकोट स्तर तक एवं 1 कि० मी० सोलिंग स्तर तक

1	2	3	4	5	6
2	वियावल सम्पर्क मार्ग	5.00	8.49	11.00	4 किमी० मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण है।
3	मण्डौर सम्पर्क मार्ग	10.00	—	—	1.60 कि०मी० लेपित स्तर एवं 600 मीटर सोलिंग स्तर तक पूर्ण है।
4	बांधीरामपुर सम्पर्क मार्ग	—	10.00	3.60	2 कि०मी० में टापकोट पूर्ण है।
5	लोहदा सम्पर्क मार्ग	—	—	20.05	4.50 कि०मी० में मिट्टी का कार्य एवं 3 कि० मी० में सोलिंग कार्य पूर्ण है।
6	सकरोहा सम्पर्क मार्ग	—	—	14.50	1 कि० मी० टापकोट तक 3 कि० मी० में सोलिंग तथा 4 कि० मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण।
7	राजापुर कमासिन से बरदारा सरसेन मार्ग	—	—	15.00	कार्य पूर्ण है।

शेष कार्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

शेष कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम अरकी के आगे अवशेष पड़े मार्ग का निर्माण कराने की मांग

40–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अरकी मदेछदू मार्ग का कार्य ग्राम अरकी के आगे शेष पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य अब तक पूर्ण न कराये जाने का क्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कारण हैं ? क्या उक्त कार्य हेतु धन लोक निर्माण विभाग, कर्वी के पास जमा है ? यदि हां, तो कितना और कब से ? क्या उक्त कार्य को इस वर्ष पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फैजाबाद के गोरईयादेव मन्दिर के तालाब की खुदाई/घाटों को पक्का करने सम्बन्धी निर्देश के अनुपालन की जानकारी

41–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री सिंचाई ने प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को अपने पत्रांक–1743, दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 व पत्रांक–177, दिनांक 24 जनवरी, 2001 द्वारा ग्राम बरई खुर्द, पो० बड़ागांव, जनपद फैजाबाद में गोरईयादेव मन्दिर के पास स्थित तालाब की खुदाई कराकर घाटों को पक्का करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या मा० राज्य मंत्री सिंचाई के आदेश/निर्देश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्देशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । प्रश्नगत पत्रों पर अधीक्षण अभियन्ता, एकादश मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद की आख्या में अवगत कराया गया है कि कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं थे । इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्यों को नहीं कराया जा सकता है । तद्नुसार मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा मा० राज्य मंत्री जी को अवगत कराया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर बाईपास के मार्ग पुल के निर्माण पश्चात् ध्वस्त/रिसने के पुनः निर्माण पर व्यय धनराशि की जानकारी

42–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–102 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह 8/98 में गर्ग नदी में आई भारी बाढ़ से एवं ठेकेदार कम्पनी की लापरवाही के कारण पुल के निर्माणाधीन सुपर स्ट्रकचर का कुछ भाग जो बह गया था उसमें ट्रपलरार हाउस कान्सट्रक्शन इण्डिया कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

निर्माणाधीन सेतु अनुबन्धित अवधि में होने के कारण ठेकेदार फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य अनुबन्ध अवधि में ही पूर्ण कर दिया गया । इस कार्य पर पुनः विभागीय व्यय नहीं किया गया ।

जनपद रायबरेली, प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा में वार्षिक परीक्षाफल समय से घोषित न करने में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

43–श्री राम अचल राजभर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा, ब्लाक–राही, जिला रायबरेली में वर्ष 1994 की कक्षा 5 का वार्षिक परीक्षाफल समय से घोषित न किये जाने की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली द्वारा की गयी थी तथा जांच आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ने अपने पत्रांक 806, दिनांक 25-5-96 द्वारा जिलाधिकारी, रायबरेली को भेज दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त परीक्षाफल कब घोषित किया गया तथा जांच रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रश्नगत परीक्षाफल उसी वर्ष 1994 में ही घोषित कर दिया गया था । उक्त जांच में सर्वश्री होरा लाल एवं शिव दुलारे मौर्य, सहायक अध्यापक दोषी पाये गये थे जिसके लिए उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के नान टेक्निकल कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

44–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के नान टेक्निकल कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की संस्तुति राज्य सरकार को निदेशक मण्डल की दिनांक 23-11-1990 की 71वीं बोर्ड बैठक के आधार पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्तुति का क्रियान्वयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त संस्तुति का क्रियान्वयन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार करने के उपरान्त निगम की संस्तुति को स्वीकार नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

मुख्य सचिव समिति द्वारा विचारोपरान्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों में सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान/समयमान वेतनमान/वृद्धि रोध वेतनवृद्धि की सुविधा विषयक शासनादेश दिनांक 30 जून, 1994 को जारी किया जा चुका है ।

45–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर, अधिशासी अभियन्ता शारदा राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना को विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण

46–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे अधिशासी अभियन्ता शारदा राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99 व 1999-2000 तथा 28 फरवरी, 2001 तक कितना-कितना धन शासन तथा जिला योजना से आवंटित किया गया ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवंटित धन का उपयोग कर लिया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खण्ड में निम्नानुसार शासन तथा जिला योजना से धनावंटन प्राप्त हुआ :–

अवधि	शासन स्तर (लाख रु० में)	जिला योजना लाख रु० में)
1–वर्ष 98-99	161.61	36.78
2–वर्ष 99–2000	269.00	16.00
3–वर्ष 2000-2001 (माह 2/2001 तक)	218.40	—

खण्ड में विभिन्न लेखा शीर्षकों (शासन स्तर) तथा जिला योजना से प्राप्त धन का उपभोग निम्नानुसार कार्यों के सम्पादन में किया गया ।

अवधि	शासन स्तर (लाख रु० में)	जिला योजना (लाख रु० में)
1–वर्ष 98-99	134.35	36.78
2–वर्ष 99–2000	187.69	16.03
3–वर्ष 2000-2001 (माह 2001 तक)	147.26	—

जनपद सीतापुर, राजकीय इण्टर कालेज से सेवानिवृत्त श्री ब्रज बिहारी लाल मिश्र के समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

47–श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के राजकीय इण्टर कालेज, सीतापुर के सेवानिवृत्त स० अध्यापक श्री ब्रज बिहारी लाल मिश्र को न्यायालय के निर्णय संख्या 1267/पे०अ० लखनऊ दिनांक 8 फरवरी, 2000 के अनुसार पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 8-2-2000 के अनुपालन में श्री बृज बिहारी लाल मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, सीतापुर की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशन भुगतान के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

दिनांक 18-5-2001 को पेंशन स्वीकृत आदेश निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में यमुना नदी के पुल का ठेका

48–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत के यमुना नदी के पुल का ठेका वर्ष 1999-2000 में एक करोड़ बीस लाख में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसे निरस्त करके उक्त ठेके को अन्य एजेन्सी को रु० साठ लाख में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को हुई इस राजस्व हानि की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, प्रश्नगत सेतु हेतु वर्ष 1999-2000 में पहली नीलामी में उच्चतम बोली रु० एक करोड़ बीस लाख की आयी थी परन्तु औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण नीलामी निरस्त कर दी गयी थी ।

उच्चतम बोलीदाता द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण, आयुक्त, मेरठ मण्डल के आदेश दिनांक 24-2-99 द्वारा प्रश्नगत नीलामी निरस्त कर दी गयी । परिणामस्वरूप पुनः नीलामी के माध्यम से अन्य एजेन्सी को रु० 62 लाख में ठेका स्वीकृत किया गया ।

इस प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा के अधीन अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों की विसंगति के निराकरण के निर्देश

49–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–422841, दिनांक 24-12-99 जो जनपद शाहजहांपुर में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 1-1-2000 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वितीय, शाहजहांपुर तथा अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य की जांच कराई । अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने तथा विसंगति के निराकरण के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड बिछिया में टोकर–बिरची मार्ग की पटरियों पर मिट्टी भराई का कार्य

50–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत टोकर बिरची मार्ग के दोनों ओर पटरियों पर मिट्टी न डालने के कारण डामरीकृत सड़क कट रही है ?

यदि हां, तो क्या सड़क की दोनों पटरियों पर मिट्टी डाली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मिट्टी डाली जा चुकी है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में बरकौता ड्रेन की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

51—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव (सिंचाई) उ०प्र०, लखनऊ को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2000 जो उन्नाव जनपद के विकास खण्ड, सिकन्दरपुर सिरोसी अन्तर्गत बरकौता ड्रेन की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य हेतु आवश्यक धनराशि विभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य हेतु रु० 2.00 लाख का आवंटन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, शारदा सहायक खण्ड के काशीदासपुर माइनर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

52—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड–36, जनपद आजमगढ़ में काशीदासपुर माइनर के निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? क्या अधूरे पड़े काशीदासपुर माइनर के कार्य के कारण उस क्षेत्र की हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीन पर कृषि कार्य सम्पन्न नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार काशीदासपुर माइनर को पूर्ण करके उस पानी को उचित स्थान पर गिराने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, मात्र 90 एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित रह गयी है ।

जी नहीं ।

कृषकों द्वारा 4.20 कि०मी० से 5.00 कि०मी० तक निर्माण हेतु आवश्यक भूमि आपसी समझौते से न दिये जाने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया ।

जनपद सीतापुर, राजकीय इण्टर कालेज के सेवा निवृत्तशिक्षकों के पेंशन आदि के भुगतान की मांग

53–श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में राजकीय इण्टर कालेज, सीतापुर के स० अध्यापक ब्रज बिहारी लाल मिश्र दिनांक 30-6-97 तथा रामेश्वर प्रसाद दिनांक 30-6-2000 को सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या दोनों की सेवा शर्तें समान होने के उपरान्त रामेश्वर प्रसाद की

पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु श्री ब्रज बिहारी लाल मिश्र की पेंशन आदि के भुगतान में कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

जी हां ।

श्री बृज बिहारी लाल मिश्र के जे० टी० सी० वेतनक्रम की सेवाएं जोड़कर सी० टी० चयन वेतनमान स्वीकृत हो गया था, जिसके फलस्वरूप उनके सेवाकाल में रु० 63,139.45 का अधिक भुगतान हुआ है जिसका समायोजन वांछित है ।

54–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 9-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

संयुक्त सचिव, शिक्षा उ० प्र० शासन द्वारा तदर्थ विनियमित शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारण में तदर्थ सेवाओं का लाभ देने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

55–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम मंगललर हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त सचिव शिक्षा के पत्र दि० 20-6-1990 पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा कमाण्ड तिलहर, शाहजहांपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा कमाण्ड तिलहर शाहजहांपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 3-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन व परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां ।

जांच कार्यवाही प्रचलित है तथा अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों (शिक्षक) शिक्षिकाओं का संविलीनीकरण

57–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग (5) के शासनादेश सं०–3980/15-5-2000-289/99 दिनांक 27-7-2000 द्वारा विस्तारित नगर सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को नगर क्षेत्र में सम्मिलित करने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र सीतापुर, मिश्रिख, विसवां एवं खैराबाद के विद्यालयों एवं शिक्षक, शिक्षिकाओं का संविलीनीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक संविलीनीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

नगर क्षेत्र सीतापुर, मिश्रिख एवं खैराबाद का संविलीनीकरण किया जा चुका है। नगर क्षेत्र बिसवां की सीमा का विस्तार नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर के अम्बेडकर ग्राम की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का कथित प्रकरण

58–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बहुता विकास खण्ड सीयर जिला बलिया के चयनित अम्बेडकर ग्राम की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क विगत तीन महीने के अन्दर क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में कृषि आधारित उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु पुनर्वास पैकेज

59–श्री सुधाकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कृषि आधारित उद्योगों को अनुदान नावार्ड योजना के अन्तर्गत दिया जाता है ? क्या उ०प्र० वित्तीय निगम की वित्त पोषित इकाइयों को भी अनुदान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेंगी कि जनपद मऊ के कितनी रुग्ण इकाइयां हैं ? क्या उनको पुनर्वास पैकेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए नावार्ड योजना द्वारा मिलने वाले अनुदान दिलाने हेतु शासनादेश जारी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की ब्याज दर सामान्यतः प्राइम लेडिंग रेट +1% से अधिक होती है, जबकि नाबार्ड की शर्तों के अनुसार यह ब्याज दर प्राइम लेडिंग रेट +1% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा जनपद मऊ में वित्त पोषित कुल चार इकाइयां रुग्ण घोषित की गई हैं।

इन इकाइयों की आर्थिक निर्भरता न होने के कारण इनका पुनर्वासन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

नाबार्ड द्वारा निर्णय लेना होगा क्योंकि नाबार्ड राज्य सरकार की संस्था नहीं है।

प्रदेश में जिला योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की जांच के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क–2 सं०–170957 दिनांक 23-12-99 तथा पत्र क–2 सं० 170958 दिनांक 22-12-99 जो डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला योजना से प्राप्त बजट का आय तथा व्यय का विवरण देने तथा उक्त

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की जांच के सम्बन्ध में था, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 1-1-2000 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

माननीय सदस्य की अपेक्षा के अनुपालन में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 21-02-2000 द्वारा जनपद शाहजहांपुर में डी०पी०ई०पी० तथा जिला योजना में प्राप्त बजट का आय-व्यय तथा निर्माण कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यों को प्रगति से अवगत कराया गया । दिनांक 29-4-2000 के पत्र द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने पुनः माननीय सदस्य को अग्रेतर निर्माण कार्यों सम्बन्धी जांच परिणामों से भी अवगत कराया, जिसमें प्राथमिक पाठशाला जगन्नाथपुर के अध्यापक से रु० 1300/- मात्र तथा प्राथमिक पाठशाला चिरचिरा के अध्यापक से रु० 7000/- (रु० सात हजार मात्र) के रिकवरी के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालय बरवा के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

61–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मा० मुख्य मंत्री ने दिनांक 25-2-2001 को आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालय बरवा के भवन निर्माण के लिए धन स्वीकृत करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त राजकीय कन्या विद्यालय बरवा जनपद आजमगढ़ के भवन निर्माण के लिए कब तक धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु नियोजन तथा वित्त विभाग की सहमति से धन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अंशकालिक व्यवसायिक शिक्षा के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति कराने की मांग

62–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2000 द्वारा राज्य सरकार को 400 पूर्णकालिक एवं 400 अंशकालिक व्यवसायिक शिक्षा प्रवक्ता पद पर नियुक्ति करने हेतु सवेतन स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्तियां कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । भारत सरकार के उक्त शासनादेश दि० 12-7-2000 द्वारा 400 पूर्णकालिक तथा 400 अंशकालिक शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं । लेकिन वेतन की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने एवं योजना के अन्तर्गत पद सृजन न होने तथा व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों एवं शैक्षिक योग्यताओं आदि का निर्धारण न होने के कारण इनकी नियुक्ति करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय में आरक्षित पद पर प्रवक्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

63–श्री राम विशुन आजाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के इतिहास विभाग में पिछड़ी जाति के आरक्षित पद पर प्रवक्ता की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

इतिहास पुरातत्व एवं संकृति विभाग में वर्तमान में पिछड़े वर्ग हेतु प्रवक्ता का कोई पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील रुदौली के ग्राम सभा पटरंगा के प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

64–आचार्य राम देव वैश्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली स्थित ग्राम सभा पटरंगा में प्राथमिक विद्यालय भवन बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या भवन विद्यालय हेतु आरक्षित जमीन पर ही निर्मित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में शारदा सहायक की ब्रांच के सीपेज से हजारों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु समाधान योजना के अन्तर्गत आश्वासन

65–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक की सुल्तानपुर ब्रांच पर ग्राम विनायपुर से पाराधेन्भुवा तक की लगभग एक हजार एकड़ भूमि विगत 15 वर्षों से नहर की सीपेज से सम्पूर्ण क्षेत्र में जल भराव के कारण कृषि योग्य नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो कृषकों की प्रभावित भूमि व फसल को बचाने हेतु क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1000 एकड़ भूमि नहीं बल्कि लगभग 350 एकड़ भूमि नहर की सीपेज से जल भराव के कारण कृषि योग्य नहीं रह जाती है।

जी हां। समाधान की योजना बनाई जाएगी और सक्षम प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में कतिपय सड़कों के निर्माण की अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

66–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जालौन की कतिपय सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक, माधौगढ़ जनपद जालौन द्वारा प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन उ०प्र० शासन को दिया गया पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक 2149(1)/31,2000 दिनांक 1-08-2000 द्वारा मण्डलायुक्त झांसी मंडल, झांसी को भेजा गया? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवान सिंह शाक्य)–

जी हां।

शिकायतकर्ता मा० पूर्व विधायक से दिनांक 19-2-2001 दिनांक 20-2-2001 तथा दिनांक 5-3-2001 को टी० ए० सी० जांच के समय उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। किन्तु उनकी अनुपलब्धता के कारण जांच नहीं हो सकी। उनके उपलब्ध हो जाने पर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक जांच कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

67–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा में आल्हा ऊदल की एतिहासिक नगरी को क्या पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?यदि हां, तो उसे कब तक विकसित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी नहीं।

महोबा के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में ही कई कार्य कराये जा चुके हैं। स्वीकृत हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची हेतु देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर)

जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय को विगत वर्षों में आवंटित धनराशि

68–श्री राम औतार शाक्य –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय जनपद जालौन को वित्तीय वर्ष 1997-98 व 1998-99 तथा 1999-2000 में जिला योजना तथा सरकार द्वारा अलग-अलग कब और कितना धन प्रदान किया गया ? प्राप्त धन से कहां-कहां, कौन-कौन कार्य कराये गये ?क्या उक्त

वर्षों में कराये गये कार्यों का किसी एजेन्सी द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो किस के द्वारा और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98, 98-99 एवं 99-2000 में जिला योजना में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ अन्य डिपाजिट मद व सरकार द्वारा प्राप्त धन का विवरण निम्न प्रकार है :—

1–सरकार द्वारा

वर्ष	माह	आवंटित धनराशि				
		2701	2702	2711	4701	योग
97-98	7/97	68.71	4.00	1.33	—	74.04
98-99	8/98	63.55	3.00	1.20	12.10	79.85
99-2000	7/99	37.03	2.50	0.25	21.50	61.28

2–अन्य डिपाजिट मद

वर्ष	माह	आवंटन				
		बु० वे० निधि 9001	दस लाख कूप योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना	जवाहर रोजगार योजना	योग
97-98	9/97	10.00	0.75	—	—	10.75
98-99	6/98	—	10.27	2.52	—	12.79
99-2000	3/99	—	—	2.855	6.72	9.575

हां, उपरोक्त वर्षों में कराये गये कार्यों का समय-समय पर टेक्नीकल आडिट सेल, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया । इसके अतिरिक्त मा० जन प्रतिनिधियों द्वारा भी समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया ।

जनपद बुलन्दशहर के जिला शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर प्रचलित जांच

69–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री टी० एन० पचौरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा किये गये अपने भाई की अवैध नियुक्ति एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09-02-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

उप शिक्षा निदेशक (वि०), मुख्यालय, इलाहाबाद से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के छत्रपति शाहूजी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रगोली को हाईस्कूल मान्यता दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2000 एवं दिनांक 5-7-2000 जो जनपद चित्रकूट में संचालित छत्रपति शाहूजी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रगोली (चित्रकूट) को हाई स्कूल की स्थाई मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्र दि० 1-6-2000 एवं दिनांक 5-7-2000 प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण में क्षेत्रीय सचिव, मा० शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद एवं जिला विद्यालय निरीक्षक चित्रकूट से आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के नव ज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हजपुरा के अध्यापकों/कर्मचारियों के विनियमित सेवाओं का मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

71–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नव ज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हजपुरा, जनपद अम्बेडकर नगर के अध्यापकों/कर्मचारियों जिनकी सेवायें तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक शि० सं०–919/90-91 दिनांक 13-07-90 द्वारा विनियमित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ की रिट याचिका संख्या–1623(एस०एस०) दिनांक 18-02-93 के आदेशों के अनुपालन में रिट याचिकाकर्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद पाल, अध्यापक को नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

(क) जी हां ।

जी नहीं ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर की आख्यानुसार प्रकरण से सम्बन्धित याचिका 1623(एस० एस०)/1993 मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है ।

लखनऊ के अशोक नगर कालोनी की मरम्मत कराने की मांग

72–श्री शेर बहादुर सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री राम सेवक सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री राम कृपाल तथा श्री विजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्मित अशोक नगर कालोनी अत्यधिक जर्जर हो गई है जिसके कारण किसी भीं समय दुर्घटना हो सकती है यदि हां, उक्त कालोनी की मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत कालोनी अत्यन्त पुरानी है, परन्तु आवासों की स्थिति जर्जर नहीं है ।

सामान्य मरम्मत के कार्य वित्तीय उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से कराये जाते

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में बछाड़ी पुल में पंखी का निर्माण कराने की मांग

73–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ में इटैली तिलखरा मार्ग पर बछाड़ी पुल निर्माण में पंखी न बनने के कारण बरसात में सड़क कट जाती है तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बछाड़ी पुल की पंखी का निर्माण कराकर एप्रोच सड़क को सुदृढ़ करायेगी ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 2000-2001 में अत्यधिक वर्षा के कारण आंशिक रूप से सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी जिसकी मरम्मत करा दी गयी ।

पंखी का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया, बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय आश्रम बरहज की मान्यता पश्चात् छात्राओं का शुल्क स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

74–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय आश्रम, बरहज, देवरिया की गोरखपुर विश्वविद्यालय की दिनांक 13 नवम्बर, 2000 की कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता और मान्यता समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् बी०ए० भाग दो और तीन की छात्राओं का शुल्क बाबा राघव भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज (देवरिया) के खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी धनराशि किस-किस खाते में स्थानान्तरित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से बाबा राघव दास महिला महाविद्यालय आश्रम, बरहज, देवरिया की सम्बद्धता/मान्यता समाप्त कर प्रवेशित छात्राओं का स्थानान्तरण बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम, बरहज में करने सम्बन्धी प्रकरण

75—श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कार्य परिषद् ने 13 नवम्बर, 2000 को बाबा राघव दास महिला महाविद्यालय आश्रम बरहज, देवरिया की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त करके बी० ए० भाग दो तथा तीन की छात्राओं का स्थानान्तरण बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आश्रम, बरहज (देवरिया) में किया है ? यदि हां, तो क्या बी०ए० भाग एक में प्रवेशित 355 छात्राओं का स्थानान्तरण भी उक्त पी० जी० कालेज में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया के बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय आश्रम, बरहज वर्तमान शिक्षा सत्र की फीस छात्राओं द्वारा जमा करने सम्बन्धी प्रकरण

76–श्री अक्षयवर लाल--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय आश्रम, बरहज (देवरिया) की वर्तमान शिक्षा सत्र की बी०ए० भाग एक की 355 छात्राओं की परीक्षा फीस किस तिथि को जमा की गई है ? यह फीस किस महाविद्यालय के नाम से किसके आदेश से जमा की गयी है ? क्या कुलपति दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने 21 मार्च, 2001 के पत्र द्वारा उक्त छात्राओं की परीक्षा लेने की अनुमति बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज देवरिया को दिया है ? यदि नहीं, तो उन छात्राओं की परीक्षा बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज (देवरिया) से सम्पन्न करवाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । 22 मार्च, 2001 को विश्वविद्यालय में परीक्षा फीस जमा की गयी है । यह फीस बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज देवरिया के नाम से विश्वविद्यालय के कुलसचिव के आदेश दिनांक 23-3-2001 द्वारा जमा की गयी है ।

जी हां । कुलसचिव के पत्र दिनांक 21-3-2001 में लिपिकीय त्रुटि के कारण बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज, देवरिया अंकित हो गया था जबकि महाविद्यालय का वास्तविक नाम "बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज देवरिया" है । इस त्रुटि का निराकरण कुलसचिव के आदेश दिनांक 23-3-2001 द्वारा कर दिया गया था । स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है । जी नहीं । लिपिक त्रुटि थी जिसका निराकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय रजवहा की निरीक्षण रिपोर्ट

77–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के छठें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–158 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है ।

कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के हाटमिक्स प्लाण्ट में भ्रष्टाचार की जांच

78–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–76 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच आख्या से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

शिकायत में वर्णित तथ्य अभिलेखों पर आधारित थे।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कार्यरत श्री सी० एल० बघेल के नकदीकरण के भुगतान की जानकारी

79–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 27 अप्रैल, 1994 से 26 अप्रैल, 1997 तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कार्यरत श्री सी० एल० बघेल की अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि श्री बघेल की पोस्ट ग्रेजुएट चित्रगुप्त स्नातकोत्तर विद्यालय, मैनपुरी की सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्थान पर नियुक्त व्यक्ति का नकदीकरण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो श्री बघेल का नकदीकरण भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार श्री बघेल का नकदीकरण भुगतान कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री बघेल की अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान का आदेश कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या–426/सत्तर–2-2001–4(4)/2001, दिनांक 26-5-2001 द्वारा 84 दिन का।

प्रश्न नहीं उठता।

80–श्री राजपाल सिंह–

[6ठें गुरुवार में अता० प्र० सं०–30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल मुख्यालय आदि की मरम्मत कराने की मांग

81–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल मुख्यालय 9–बी त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ की छत तथा वहीं स्थित कर्मचारी क्वार्टरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या उनकी मरम्मत हेतु सरकार धनराशि स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वित्तीय उपलब्धता के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के कतिपय मार्गों की जांच में दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

82–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-9-2000 का प्रश्नकर्ता का पत्र जो अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खण्ड–2, खीरी द्वारा किये गये विधवा गौरी फन्टा एवं चन्दन चौकी–गौरी फन्टा मार्ग के निरीक्षण में दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये का सरकारी धन का दुरुपयोग एवं फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच कराई गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के बहलोलपुर के पास क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण की मांग

83–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि औड़िहार-मेहनाजपुर-देवगांव-जिवली (एम०डी०आर० मार्ग) आजमगढ़ में बहलोलपुर के पास पुल अत्यधिक पुराना तथा क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर नया पुल बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सेतु अत्यधिक पुराना है तथा पैरापेट्स क्षतिग्रस्त हैं किन्तु यातायात के लिए सुरक्षित है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के बेसो नदी पर लघु सेतु निर्माण की मांग

84–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लालगंज मीरा मार्ग से (जनपद–आजमगढ़) चिरकिहिट सम्पर्क मार्ग पर बेसो नदी का लकड़ी का पुल अत्यन्त जर्जर अवस्था में है जो कभी भी टूटकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है ? क्या सरकार चिरकिहिट मार्ग पर बेसो नदी पर लघु सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सेतु क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के औड़िहार-मेहनाजपुर के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने की मांग

85–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि औड़िहार–मेहनाजपुर–देवगांव–जिवली मार्ग (एम०डी०आर०) जनपद आजमगढ़ में अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार औड़िहार-मेहनाजपुर–देवगांव मार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बिजनौर के नहरौर बैराज के निरीक्षण में पायी गयी कथित अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण

86–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बिजनौर के अन्तर्गत नहरौर बैराज का मुख्य अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर द्वारा दिनांक 10-12-2000 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अनियमिततायें पायी गयीं ? क्या मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी, नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के सिंचाई उप खण्ड प्रथम द्वारा नगीना से निकाली गयी अल्पिकाओं में टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी

87—चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से क्या अधिशासी अभियन्ता अफजलगढ़, सिंचाई खण्ड जिला बिजनौर के अन्तर्गत अफजल सिंचाई उप खण्ड प्रथम द्वारा नगीना से निकलने वाली अल्पिकाओं में गत माहों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर, प्रथम खण्ड नगीना व धामपुर के डी० आर० डी० ए० द्वारा गत वर्ष प्राप्त धनराशि के उपयोग की जानकारी

88–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर ने डी०आर०डी०ए० द्वारा माह अगस्त, 2000 में प्रथम उप खण्ड नगीना को 5 लाख रुपया तथा द्वितीय उप खण्ड धामपुर को 10 लाख रुपये प्राप्त हुए थे ? उसका उपयोग अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बिजनौर में डी० आर० डी० ए० द्वारा माह अगस्त, 2000 में प्रथम उप खण्ड, नगीना को रु० 4.30 लाख प्राप्त हुए थे । द्वितीय उप खण्ड धामपुर को माह अगस्त 2000 में कोई भी धनराशि आवंटित/प्राप्त नहीं हुई । प्रथम उप खण्ड नगीना द्वारा ग्राम लक्खूवाला की बाढ़ सुरक्षा योजना पर रु० 3.92 लाख व्यय कर लिये गये हैं । शेष धनराशि रु० 38,000.00 का बोल्डर/जी० आई० वायर

क्रय कर लिया गया है । उप खण्ड–द्वितीय धामपुर में न तो कोई धनराशि प्राप्त हुई है और न ही कोई व्यय किया गया है । कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी शिकायती-पत्र

89–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मा० मुख्य मंत्री के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/39393/कुशीनगर/2000, दिनांक 15-10-2000 द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/1-एम०–2/38393/कुशीनगर/2000, दिनांक 5-10-2000 प्राप्त हुआ था । इसमें विभागीय जांच की जा चुकी है । जांच में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में अनियमितता नहीं पायी गयी ।

राज्य सेक्टर अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों के निर्माण कार्यों के आगणन हेतु प्रमुख अभियन्ता लो० नि० को दिये गये आदेश पर इंगित सेतु मार्गों की स्वीकृति का विवरण

90–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के पत्र संख्या–564/एम०ई०/23-11-99 अनु०–11 दिनांक 7-4-99 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के निर्माण कार्यों के आगणन उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को दिये गये आदेश के क्रमांक 29 एवं 30 पर इंगित सेतु एवं 22.23 क्रमांक के मार्गों को स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्रमांक–29 एवं 30 पर इंगित सेतु क्रमांक–22 पर इंगित मार्ग की स्वीकृति नहीं हुआ । क्रमांक–23 पर इंगित मार्ग के आंशिक भाग की स्वीकृति तीन मार्गों में लेपन स्तर तक प्रदान की जा चुकी है ।

क्रमांक–23 पर इंगित कार्य के स्वीकृत तीन भागों का विवरण निम्नवत् है :—

(अ) ढकवां से कौशल पट्टी मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.20 कि०मी०, लागत रु० 14.88 लाख ।

(ब) कौशल पट्टी से रत्तीपुर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 1.70 कि०मी० लागत रु० 12.82 लाख ।

(स) रत्तीपुर से कादीपुर होते हुए सराय भिखारी मार्ग का निर्माण, लम्बाई 2.00 कि०मी०, लागत रु० 10.74 लाख ।

कार्यों की स्वीकृतियां वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड तरवा रजबहा के कतिपय ग्रामों में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

91–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23 तरवा रजबहा के अन्तर्गत ग्राम इस्माइलपुर, चौरीखास तथा अब्बासपुर की अधिग्रहीत की गई जमीन के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है ।

भूमि अधिग्रहीत की कार्यवाही पूर्ण होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जा सकेगा ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

92–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज गोला रणमो स्वीकृत मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

स्वीकृत कार्य के संरेखण से अन्यत्र संरेखण लालगंज कस्बे में नहर की पटरी से सड़क का निर्माण कराया गया है ।

स्वीकृत कार्य के संरेखण में परिवर्तन किये जाने की जांच की जा रही है । जांच के निष्कर्षों के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में चिलबिला माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

93–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–2? जनपद–आजमगढ़ में चिलबिला माइनर के अन्तर्गत अधिग्रहीत बेला गांव के किसानों की जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त भुगतान कब तक करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण मुआवजा वितरण नहीं किया जा सका है।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा ।

जनपद आगरा, क्षेत्र फतेहाबाद के अधूरे सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूर्ण कराने विषयक शिकायती-पत्र

94–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा के अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों का नाबार्ड अथवा स्टेट सेक्टर में पूर्ण निर्माण करवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 मार्च, 2001 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में सन्दर्भित मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दिनांक 17-5-2001 को अता० प्र० सं० 16 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन में सहायतित हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं इसके प्रकरण के निस्तारण की मांग

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टर कालेजों में विद्यालयवार कौन–कौन शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन अथवा किसी अन्य आदेश के आधार पर कार्यरत हैं ? क्या ऐसे सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां विधिवत शासन की प्रक्रिया या निर्देशों के द्वारा हुई हैं ? यदि हां, तो किस निर्देश द्वारा ? यदि नहीं, तो नियुक्तियां कैसे तथा किस प्रकार की गयी हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी प्रकरणों को गम्भीरता पूर्वक लेकर कर्मचारियों के हित में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूची माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रबन्धतंत्रों द्वारा तथ्यों को छुपाकर एवं विहित प्रक्रिया न अपनाकर ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्तवत् ।

97–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[दिनांक 17-5-2001 को अता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव में मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु मांगे गये कथित प्रस्ताव

98–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2000-2001 हेतु जनपद–उन्नाव के सातों विधान सभा क्षेत्रों में प्रति विधान सभा क्षेत्र हेतु नाबार्ड योजनान्तर्गत चार गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव मांगे गये थे तथा जोनल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावों का प्राक्कलन शासन को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक प्राक्कलन में प्रस्तावित कितनी धनराशि जनपद उन्नाव को भेजी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की धनराशि कब तक अवमुक्त करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि वर्ष 2000-2001 के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के डी० ए० वी० इण्टर कालेज की सम्परीक्षा रिपोर्ट में अध्यापक की अवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण

99–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी०ए०वी० इण्टर कालेज गाजीपुर का वर्ष 1999-2000 की सम्परीक्षा रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2000 सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त हो गयी है ? क्या यह सही है कि सम्परीक्षा रिपोर्ट में विद्यालय के कला अध्यापक श्री बद्री नारायण की अवैध नियुक्ति, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति पर टिप्पणी कर अवैध तरीके से नियम विरुद्ध लिये गये धन की वापसी की विधिक संस्तुति की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त रिपोर्ट के तारतम्य में जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर के पत्र दिनांक 10-5-2001 द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से आख्या मांगी गयी । प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 13-5-2001 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 22-3-2001 को एक प्रत्यावेदन भेजा गया है जिसके निस्तारण के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, सिंचाई कार्यशाला खण्ड में कार्यशाला रूल्स के अनुसार वर्षवार जमा की गयी धनराशि का विवरण

100–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली में वर्ष 1997-98 से अब तक वर्षवार कार्यशाला रूल्स के अनुसार ए०ओ०सी०/जी०ओ०सी० के अन्तर्गत कितनी धनराशि

डिपाजिट हुई एवं डिपाजिट धनराशि से वर्षवार किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि मदवार व्यय की गयी तथा कितनी राशि राजस्व में जमा की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली में वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक शाप आन कास्ट (एस० ओ० सी०) व जनरल आन कास्ट (जी० ओ० सी०) के अन्तर्गत निम्न धनराशि (लाख रुपये) विभिन्न कार्यों के विरुद्ध डिपाजिट हुई :–

मद का नाम	97-98	98-99	99-2000	2000-2001
एस० ओ० सी०	95.97	89.38	50.45	62.39
जी० ओ० सी०	101.80	91.72	51.40	26.67
योग–	197.77	181.10	101.85	89.06

उक्त मदों में डिपाजिट धनराशि (लाख रुपये) से एस० ओ० सी० व जी० ओ० सी० के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत हुए व्यय का विवरण निम्नवत् हैं :–

मद का नाम	97-98	98-99	99-2000	2000-2001
एस० ओ० सी०				
1	2	3	4	5
1–पारिश्रमिक आदि	50.36	92.72	112.33	—
2–विद्युत ऊर्जा	18.96	18.59	18.14	24.60
3–शापों के संचालन हेतु सामग्री	8.80	9.93	12.96	9.45
4–स्टेशनरी	1.62	1.25	0.70	1.80
योग–	79.74	122.49	144.13	35.85

मद का नाम	97-98	98-99	99-2000	2000-2001
जी० ओ० सी०				
1–पारिश्रमिक आदि	52.59	20.65	8.37	—
2–विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था आदि	17.80	9.03	5.59	5.71
3–लघु उपकरणों की मरम्मत टूल्स, श्रम कल्याण आदि	20.64	11.08	8.56	8.12
योग–	91.03	40.76	22.52	13.83

प्रसंगगत वर्षों में रु० 44.85 लाख की धनराशि राजस्व में जमा की गई ।

जनपद जालौन के माधौगढ़ सिहारी मार्ग के कराये गये कार्य की जानकारी

101—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में माधौगढ़ सिहारी मार्ग से तोर के सड़क निर्माण हेतु वास्तविक दूरी 1.5 किमी० के स्थान पर 3.00 किमी० दूरी का कार्य स्वीकृत कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई के अन्तर्गत माधौगढ़ सिहारी मार्ग से तोर मार्ग की वास्तविक दूरी 1.5 कि०मी० की स्वीकृति हुई है तथा 1.5 कि०मी० लम्बाई में ही सड़क निर्माण कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जालौन में शिवगंज–हिम्मतपुर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि की मांग सम्बन्धी कथित प्रकरण

102–श्री राम औतार शाक्य –

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1997-98 में शिवगंज–हिम्मतपुर मार्ग पर लगभग 10 लाख रुपये जिला योजना में कार्य स्वीकृति के बिना ही खर्च किया गया ? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु धन कहां से उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

शिवगंज–हिम्मतपुर मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है और न तो कोई धनराशि व्यय की गयी है ।

जनपद जालौन में गड्ढा मुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

103–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1998-99 में गड्ढा मुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त धन 25 लाख रुपये का उपयोग कहां-कहां किस कार्य पर किया गया ? क्या सरकार उक्त धन से कराये गये कार्यों का सत्यापन किसी जांच एजेन्सी से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद जालौन में वर्ष 1998-99 में गड्ढा मुक्ति हेतु कुल रु० 40 लाख की धनराशि से जनपद के 22 मार्गों पर कार्य कराया गया ।

किसी विशिष्ट बिन्दु पर शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

उपरोक्तानुसार ।

जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या/परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण

104–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा) उ०प्र० ने अपने अर्द्धशा० पत्र सं० सी०नि० (बेसिक)/36789/ 2000-2001, दिनांक 8 मार्च, 2001 द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग–6 को सूचित किया है कि प्रकरण की जांच परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट से कराये जाने का उल्लेख है किन्तु जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या प्राप्त हुई परन्तु उक्त पत्र में परगनाधिकारी की जांच के आधार पर की गई कार्यवाही की सूचना शासन को नहीं दी गयी है ? क्या सरकार परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट प०सं० 166, दिनांक 5 नवम्बर, 1994 जो दिनांक 31-1-95 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्राप्त हुई थी के आधार पर कार्यवाही करके शासन को सूचित किए जाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

105–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर, क्षेत्र चुनार के परमहंसपुरी मार्ग के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

106–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद के चुनार विधान सभा क्षेत्र में स्थित पथरौरा से परमहंसपुरी वाया घुरहुपुर मार्ग के मरम्मत हेतु 6.60 लाख रुपये का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, नि०सो० भ० वृत्त मिर्जापुर के पत्रांक 893/135 काम-सी०सो०भ० वृत्त/99, दिनांक 10-3-2000 के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (पू०क्षे०) लो०नि०वि०, वाराणसी को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता के प्रस्तावानुसार धन आवंटित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

धन आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

107–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 22-5-2001 को तारां० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव, क्षेत्र बांगरमऊ में गंज मुरादाबाद के सड़क निर्माण सम्बन्धी कथित प्रकरण

108–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा गंज मुरादाबाद से बल्लापुर एवं भुड्डा से पतसिया की सड़क के निर्माण कार्य

की जांच लम्बित होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । केवल गंज मुरादाबाद से बल्लापुर मार्ग का कार्य रुका है । मुडडा से पतसिया नाम का कोई मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है ।

जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है ।

जनपद सहारनपुर, नगर शिक्षा अधिकारी के पद पर अवैध तैनाती विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

109–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री संजय गर्ग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-7-2000 जो जनपद सहारनपुर में नगर शिक्षा अधिकारी के पद पर अवैध तैनाती करने के संबंध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा, ब्लाक तिन्दवारी में कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

110–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा में ब्लाक तिन्दवारी मुख्यालय के कन्या जू०हा० के एक कक्ष पर हाईस्कूल की छात्राएं विगत दस वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराकर उसका अलग से निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि भू-अभिलेखों में विद्यालय के नाम दर्ज नहीं है, दर्ज हो जाने के उपरान्त नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विश्व बैंक के वित्त पोषित विद्यालयों में सामग्री क्रय करने की जांच

111–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में विगत वर्षों से शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के नाम सितम्बर, 2000 में निर्गत किये गये चेकों को निरस्त करने की अनुमति शासन से प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि बी०एस०ए० बांदा द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये निर्गत चेकों को अपने स्तर से संग्रहीत कर चेक निरस्त किये हैं तथा अपने स्तर से घटिया सामग्री की आपूर्ति ली गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० "बेसिक शिक्षा परियोजना" के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन से नियमानुसार कोटेशन प्राप्त कर सामग्री क्रय की गयी । सामग्री की गुणवत्ता की जांच एक समिति से कराई गयी । समिति द्वारा सामग्री मानक के अनुरूप एवं गुणवत्ता सही पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर में बी० बी० रोड के निर्माण की मांग

112–श्री सिंहासन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गाजीपुर में बी०बी० रोड के निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व निविदा आमन्त्रित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड का निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समय से कार्य पूरा न कराने के लिये दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष कार्य को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव श्री हरीशचन्द्र सक्सेना को संशोधित पेंशन स्वीकृत करने की मांग

113–श्री तेजभान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त उप कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ पी०पी०ओ० संख्या एच/5971 दिनांक 19-6-1996 को उन्हें शासनादेश संख्या–जी-3-697/दस-308/97, दिनांक 5 मई, 2000 का लाभ दिये जाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पत्र संख्या–536 दिनांक 21-7-2000 द्वारा उनका प्रार्थना-पत्र वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद को प्रेषित किया था ? क्या यह सही है कि इसी संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा को मा० राज्य मंत्री लघु सिंचाई, उ०प्र० शासन का पत्र दिनांक 30-11-2000 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या श्री सक्सेना को संशोधित पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या–3–697/दस–308/97, दिनांक 5-5-2000 केवल सरकारी कर्मियों पर प्रभावी है। श्री सक्सेना सरकारी कर्मी नहीं हैं अतः उक्त शासनादेश में विहित लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद औरैया, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय नीमरी, श्री शम्भू दयाल के मृतक आश्रित को सेवायोजित करने की मांग

114–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शम्भू दयाल नि० ग्राम अनेठा, पो० पिठौली (करियावली) जिला औरैया, कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नीमरी वि०ख० चकरनगर जिला इटावा की सेवा काल में दिनांक 11-3-95 को मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित पुत्र मान सिंह पुत्र स्व० श्री शम्भू दयाल को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला इटावा द्वारा मृतक आश्रित के रूप में समायोजित/सेवायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से बेघर किसानों को अन्यत्र बसाने की मांग

115–श्री मोतीलाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित शारदा नदी की कटान से बेघर हुये किसानों को अन्यत्र बसाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर में शारदा नदी के कटान को रोकने हेतु कार्यवाही की मांग

116–श्री मोतीलाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में शारदा नदी के बार-बार कटान से करोड़ों रुपये की फसल व भूमि नदी में समा जाती है ? यदि हां, तो उक्त कटान को ठोकर अथवा बंधा बना कर रोकने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कटान को नियंत्रित करने के लिए यथावश्यक हर समय कार्यवाही की गयी है ।

जब भी आवश्यक होगा संसाधनों एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार कार्यवाही करेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा फर्जी नियुक्तियों की जांच

117–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-6-2000 जो संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रथम मंडल) मेरठ द्वारा की गयी फर्जी नियुक्तियों की जांच कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/34750 दिनांक 6-6-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्जी नियुक्तियों, भ्रष्टाचार के जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

118–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि––

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-3-2000 जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा भ्रष्टाचार एवं फर्जी नियुक्तियां व शासनादेशों के विरुद्ध मध्य सत्र में स्थानान्तरण करने की जांच कराये जाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

दिनांक 23-3-2000 का नहीं, बल्कि दिनांक 22-3-2001 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जांच हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० को निर्देशित किया गया है । जांच के परिणाम आने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

119–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[दिनांक 28-5-2001 को अता० प्र० सं० 25 द्वारा उत्तरित]

जनपद बिजनौर में खो नदी की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को बचाने हेतु कार्ययोजना

120–श्री मूलचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धामपुर, जनपद बिजनौर में खो नदी की बाढ़ से मुकरपुरी ज्योतिहिम्मा, सिपाहीवाला, टाण्डा, बेरखेड़ा, नवादा केशों तथा उमरपुर खादर आदि ग्रामों को बचाने हेतु बनाई गई परियोजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-9-2000 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अभिलेखों के अनुसार प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-9-2000 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त नहीं हुआ है । विधान सभा क्षेत्र धामपुर, जनपद बिजनौर में खो नदी की बाढ़ से मुकरपुरी ज्योतिहिम्मा, सिपाहीवाला, टाण्डा, बेरखेड़ा, नवादा केशों तथा उमरपुर खादर आदि ग्रामों को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना रु० 58.55 लाख की स्वीकृति है । इस योजना पर दिनांक 10-5-2001 को रु० 8.00 लाख आवंटित कर दिये गये हैं । कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के असेविकखण्ड विकास कदोरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय को खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

121–श्री श्रीराम पाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के असेवित विकास खण्ड, जिनमें कन्या महाविद्यालय नहीं है, में राजकीय या निजी प्रबन्धतंत्र के माध्यम से नये कन्या महाविद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन के असेवित खण्ड विकास कदोरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय या निजी प्रबन्धतंत्र को आर्थिक सहयोग देकर खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान समय में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में विभिन्न विषयों के अध्यापकों की व्यवस्था कराने की मांग

122—श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में कितने ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल हैं जो अध्यापकों के न होने से बन्द पड़े हैं ? कितने ऐसे जूनियर हाईस्कूल हैं जिनमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े स्कूलों को खुलवाने तथा इनमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के शिक्षकों को पदास्थापित किए जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कोई नहीं ।

82 जूनियर हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान शिक्षकों की कमी है । सभी जू० हा० स्कूलों में भाषा शिक्षक उपलब्ध हैं ।

कोई विद्यालय बन्द नहीं है । विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रोन्नति के उपरान्त अर्ह अध्यापक उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग में आरोपों से घिरे अभियन्ताओं के नाम मंगवाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

123–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28 अक्टूबर, 2000 को उनकी समीक्षा बैठक में आरोपों से घिरे अभियन्ताओं के नाम मांगे गये थे, जिसके क्रम में श्री वी०पी० बंसल मुख्य अभियन्ता, श्री डी०के० सिंह अधीक्षण अभियन्ता ई-2, श्री सी०डी० राय अधिशासी अभियन्ता के नाम विभाग द्वारा उन्हें दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । आरोपों से घिरे अभियन्ताओं के नाम मांगे जाने की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर के जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति की तिथि का प्रकरण

124–श्री उदयराज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा, जनपद कानपुर देहात में किन-किन अध्यापकों की नियुक्ति दिनांक 23 अगस्त, 1999 को की गई ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से फर्जी दिखायी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद मण्डल के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा एक ही आवास में रहने के पश्चात् किराया भत्ता लेने के प्रकरण की जांच

125–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी सेवायोजित पति-पत्नी दोनों मकान किराया भत्ता पाने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो इलाहाबाद मण्डल में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहां पति-पत्नी दोनों को एक ही आवास में रहने के बाद भी मकान किराया भत्ता नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त भुगतान पर रोक लगाकर भुगतान की गयी धनराशि को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर, जनतंत्र इण्टर कालेज, सैंथा की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

126–श्री मूल चन्द–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनतंत्र इण्टर कालेज, सैंथा, जनपद कानपुर देहात की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध वर्तमान क्षेत्रीय विधायक व पूर्व विधायक श्री राम आसरे अग्निहोत्री तथा विद्यालय के कोषाध्यक्ष का जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, तथा जिलाधिकारी कानपुर देहात को क्रमशः दिनांक 19-2-98, 3-3-98, 5-8-98, 6-8-98, 12-11-98,

1-12-98 व 19-12-98 के शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन शिकायती-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम/राज्य सेतु निगम में मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु शासनादेश के अनुपालन की मांग

127–श्री मथुरा प्रसाद पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम/उ०प्र० राज्य सेतु निगम में मृतक आश्रित के रूप में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को शासनादेश संख्या–1250ई-बी आर/23-3-96 1(19) 94, दिनांक 2-7-96 तथा शासनादेश संख्या–एम०–22ईबी आर/23-3-97–1(19)94 टी०सी०, दिनांक 10-6-97 के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को सहायक अभियन्ता के पद पर अधोलिखित कारणों के आधार पर सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं बताया गया ।

(क) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में नियमित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में आकस्मिक निधन हो जाने पर निर्माण निगम कर्मी के मृतक आश्रित को ही निगम में सेवायोजित किया जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति के कोटे में पद उपलब्ध नहीं थे ।

(ग) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में पहले से कार्यरत सहायक स्थानिक अभियन्ता (मस्टर रोल) द्वारा योजित रिट याचिकाओं संख्या–9567/1993 एवं 1321ए०सी०/1994 में मा० उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिये हैं कि निर्माण निगम में नयी नियुक्ति करने के पहले निर्माण निगम में पहले से कार्यरत सहायक स्थानिक अभियन्ता (मस्टर रोल) को नियमित किया जाए ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा भी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को उनके पिता के राज्य सेतु निगम में कभी भी कार्यरत न होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर सेवायोजित नहीं किया गया ।

प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के निर्माण हेतु गत वर्ष में आवंटित धनराशि

128–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया था ? उसमें से कितना धन खर्च किया गया ? पूरा धन खर्च न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश में सड़कों के लिए सामान्य मरम्मत एवं पैच मरम्मत मद में रु० 42.72 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, श्री बजरंग शिक्षा निकेतन में कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

129–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बजरंग शिक्षा निकेतन गांधी नगर, उन्नाव में पूर्व प्रधानाचार्य एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के मध्य विवाद होने के कारण वहां के कर्मचारियों का वेतन माह नवम्बर, 1999 से अप्रैल, 2001 तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त विद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

मई, 2000 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) (बे०)/स०शि०नि०(बे०)/172/2001-2002, दिनांक 26-5-2001 द्वारा एकल संचालन कराकर नियमानुसार वेतन भुगतान कराने का आदेश दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में बौद्ध परिपथ पर विगत तीन वर्षों में मरम्मत व नवीनीकरण पर व्यय धनराशि का विवरण

130–श्री बिन्दु लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की सीमा में बौद्ध परिपथ पर पिछले तीन वर्षों में मरम्मत व नवीनीकरण में कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर एक कोट डाल कर पुनः बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बलरामपुर की सीमा में बौद्ध परिपथ पर तीन वर्षों में मरम्मत व नवीनीकरण पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :––

वर्ष	मरम्मत (रु० लाख में)	नवीनीकरण (रु० लाख में)	योग (रु० लाख में)
1998-99	4.62	4.20	8.82
1999-2000	5.01	41.23	46.24
2000-2001	5.24	—	5.24
योग	14.87	45.43	60.30

आंशिक रूप से खराब है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज एवं बेवर में बरसाती नाले की सफाई कराने की मांग

131–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज एवं बेवर में कितने व कौन से ऐसे बरसाती नाले हैं जिनकी सफाई/झराई विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है ? क्या सरकार उनकी सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज/बेवर में रामगंगा संगठन, कानपुर के अन्तर्गत कुल 15 नालों की सफाई/झराई विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है । इनमें ब्लाक सुल्तानगंज के 8 बरसाती नाले यथा औरन्ध किनावर, रजवाना, विक्रमपुर, शिवपुर, जलालपुर, बीलो, विच्छदा व नाका तथा बेवर ब्लाक के 7 बरसाती नाले यथा भौगांव, बेवर, बझेड़ा, पटोखा, जिनौरा सप्लीमेंट्री, जिनौरा व टोडरपुर हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त बरसाती नालों की सफाई कराना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि विगत 3 वर्षों से केवल ट्रंक ड्रेनों की सफाई का कार्य ही वर्तमान शासकीय नीति के अन्तर्गत कराया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी में ब्लाक वाइज गत वर्ष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु चयन के सम्बन्ध में जानकारी

132–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ब्लाक वाइज कौन-कौन से नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय किन-किन ग्रामों में निर्माण हेतु चयनित किये गये ? उनका निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सम्प्रति कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानगंज के कतिपय माइनरों की पुलियों के निर्माण का आश्वासन

133–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में स्थित मौजा तिसौली के नगला थौकल में महदवा माइनर की पुलिया एवं ग्राम सुलखनपुर छाछा के मध्य भोगांव रजबाहा की पुलिया टूट जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुलियों का पुनर्निर्माण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पुलियों का पुनः निर्माण वर्ष 2001-2002 तक करा दिया जायेगा ।

जनपद रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्र के चयन के प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर शिक्षा मित्र का चयन

134–श्री दीप लाल भारती–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2001 को ग्राम पंचायत बिसुनपुर बछरावां, रायबरेली उक्त पंचायत में शिक्षा मित्र के चयन का कोई प्रस्ताव मांगा गया था ? क्या उक्त पंचायत की विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर फरवरी/मार्च, 2001 में बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था ? क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा मित्रों का चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त पंचायत के विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुसार चयन न करके अन्य किसी का चयन कर नियुक्ति करने का आधार क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में ही शिक्षा मित्र का चयन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

135–श्री रामतेज यादव–

[दिनांक 24-5-2001 को अता० प्र० सं० 19 द्वारा उत्तरित]

136–श्री रामकुमार एडवोकेट–

[दिनांक 28-5-2001 को अता० प्र० सं० 26 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव–इलाहाबाद मार्ग के चौड़ीकरण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

137–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-3-2001 जो अचलगंज गंगाघाट मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नाव इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–38) के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के शारदा नहर उन्नाव ब्रांच के 1500 नीम के पेड़ की बिक्री का कथित प्रकरण

138–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में शारदा नहर उन्नाव ब्रांच के मील नम्बर 99 से मील नम्बर 102 तक लगभग 1500 पेड़ नीम, आम व शीशम के प्रभागीय निदेशक वन प्रभाग हरदोई द्वारा मार्च 2001 में बहुत कम दामों पर ठेकेदारों को विक्रय कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी धनराशि किस कोष से जमा की गयी है ? क्या पेड़ों को कटवाये जाने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा संस्तुति प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में उक्त गम्भीर प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग हरदोई द्वारा मार्च, 2001 में वृक्षों का कोई विक्रय नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर, क्षेत्र शिकारपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

139—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाले मार्गों, शिकारपुर जहांगीराबाद एवं सरांय छबीला से बालका तक पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हों, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भ्रष्टाचार की जांच

140—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-6-2000 जो श्री महेन्द्रदेव, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में था और जो मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–2/34746 दिनांक 6-6-2000 द्वारा उन्हें भेजा गया था, उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, ब्लाक सहपऊ के ग्राम गढ़ी खंजमा में सड़क निर्माण की मांग

141—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम गढ़ी खंजमा तक मात्र 600 मीटर सड़क बनने को शेष है जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त पक्की सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। ये ग्राम नगला है एवं प्रश्नगत मार्ग कच्चा है।

प्रश्नगत ग्राम की आबादी 125 होने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उन्नाव में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-06-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, दिनांक 7-5-2000 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

उन्नाव–कानपुर लिंक मार्ग सुधार कार्य का अनुमानित लागत रु० 93.90 लाख का आगणन शासन में प्राप्त हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर सिरोसी में मार्ग निर्माण का कथित प्रकरण

143—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सिकन्दरपुर सिरोसी ब्लाक में ऐरा चौराहे से थाना मार्ग पर 21 कि०मी० फेज–VI के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़े जाने की योजना

144—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के 2500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-2000 जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 लो०नि०वि० उन्नाव द्वारा पत्रांक–1 कैम्प दिनांक 6-5-2000 पर भेजा गया है, उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के समस्त ग्रामों को वर्ष 2003 तक लेपित मार्ग से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क [illegible] अन्तर्गत जोड़े जाने की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद, डा० एस० एन० सिंह, प्राचार्य हिन्दू कालेज द्वारा स्टीम कार खरीदने विषयक प्रकाशित जांच

145—श्री समर पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० एस० एन० सिंह प्राचार्य, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद ने एक मारूति स्टीम कार वर्ष 2000-2001 में छात्रनिधि खाते से खरीदी है ? यदि हां, तो क्या छात्र

निधि को खर्च करने एवं निजी उपयोग हेतु स्टीम कार खरीदने के लिए वे दोषी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

छात्रनिधि से निजी उपयोग हेतु स्टीम कार खरीदने के दोषी नहीं हैं ।

प्राचार्य द्वारा निजी उपयोग हेतु स्टीम कार खरीदने विषयक जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146—डा० सरजीत सिंह डंग–

[दिनांक 24-5-2001 को अता० प्र० सं०–20 द्वारा उत्तरित]

शासनादेश को लागू करने सम्बन्धी डा० एस० पी० मित्तल सेवा निवृत्त निदेशक शिक्षा का शिक्षा सचिव को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

147—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासनादेश संख्या–916/15-10-97-14(5)/89, जो दिनांक 19 जून, 1997 को शिक्षा अनुभाग–18 द्वारा जारी किया गया है, को लागू किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में डा० एस० पी० मित्तल, सेवानिवृत्त निदेशक, शिक्षा का पत्र दिनांक 4-4-2001 जो शिक्षा सचिव को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । इनका इसी सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 8 फरवरी, 2001 का प्राप्त हुआ है । जिस पर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से आख्या मांगी गयी है जो अप्राप्त है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ के मोहनलालगंज उदवत खेड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जानकारी

148—श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज उदवत खेड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर अब भी गड्ढे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त मार्ग को गड्ढा मुक्त करते हुए ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग गड्ढा मुक्त है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर एवं किशनी में बनकिया रजबहा का पानी टेल तक पहुंचाने की जानकारी

149—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक–बेवर एवं किशनी जनपद मैनपुरी के बनकिया रजबहा में ग्राम–कौआटाडा से लेकर अछईपुर तक पिछले 40 वर्ष से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए दोषी कौन है ? क्या सरकार उक्त रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह सत्य नहीं है। पानी टेल तक पहुंचा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पानी प्रत्येक फसल में टेल तक पहुंचा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के नेशनल पब्लिक स्कूल बेवर में केन्द्र व्यवस्थापक श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा पद के दुरुपयोग विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

150—श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रवक्ता अमर शहीद इण्टरमीडिएट कालेज, बेवर, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध उनके द्वारा नेशनल पब्लिक स्कूल, बेवर, मैनपुरी में केन्द्र व्यवस्थापक के पद के दुरुपयोग व अनियमित कार्य करने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य अमर शहीद इण्टर कालेज, को अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का पत्र माह अप्रैल, 2001 में लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

प्रबन्धक, अमर शहीद इण्टर कालेज, बेवर, मैनपुरी ने अपने पत्र दिनांक 15-5-2001 द्वारा सूचित किया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही करना विधिक नहीं है। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा के पत्र दिनांक 28-5-2001 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ को लिखा जा चुका है।

फैजाबाद/अम्बेडकर नगर के चार संस्कृत विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनियमित वेतन भुगतान कराने पर रोक सम्बन्धी प्रकरण

151–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3937/15-11-84–15(5)/84, दिनांक 18 जुलाई, 84 तथा शासनादेश संख्या–1994/15-17-86-51(2)/86, दिनांक 10-2-87 के अनुपालन में उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद की जांच आख्या दिनांक 27 मार्च, 98 एवं मुख्यलेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा आडिट करने के बाद अवैध वेतन भुगतान पर रोक लगाने के बावजूद भी जिला फैजाबाद/अम्बेडकर नगर के चार संस्कृत विद्यालयों में अनियमित वेतन भुगतान सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमित वेतन भुगतान पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा के किसान मजदूर विद्यालय पुरैला में प्रधानाचार्य की नियुक्ति का प्रकरण

152—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि किसान मजदूर विद्यालय पुरैला इटावा में प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक सगे भाई हैं ? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने उक्त प्रधानाचार्य की अवैध तरीके से नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि से ग्राम त्रिवेणी सम्पर्क मार्ग निर्माण में भारी अनियमितता निवारक कार्य कर कार्यवाही की जानकारी

153—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-3-2001 जो बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 1999-2000 से ग्राम त्रिवेणी सम्पर्क मार्ग निर्माण में भारी अनियमिततायें कर सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सड़क निर्माण में ग्रिट व डामर का प्रयोग मानक से कम मात्रा में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य की टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शिकायत की जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त ज्ञात हो पायेगा ।

प्रमुख अभियन्ता से जांच आख्या मांगी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर लोक निर्माण खण्ड–1 में कोदरी-सुरगहना मार्ग में मानकों के विपरीत क्रस्ट कम पाये जाने की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

154—श्री जय प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के टास्क फोर्स की टीम बाबा हरदेव सिंह की अध्यक्षता में जनपद गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के कार्यों का अचानक निरीक्षण दिनांक 3-2-2001 से 6-2-2001 तक किया था जिसमें निर्माण खण्ड–1 में कोदरी-सुरगहना मार्ग में मानकों के विपरीत क्रस्ट कम पाया गया था तथा राष्ट्रीय मार्ग संख्या–28 के राप्ती नदी पर पुल संख्या–261/1 में ढुलाई की मिट्टी की जगह बालू व सिल्ट डाला जा रहा था ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कार्यों के

लिए अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव, प्राइमरी पाठशाला तौरा में फर्जी शैक्षिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यरत प्रधान शिक्षिका के विरुद्ध जांच की मांग

155—श्री राम नक्षत्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत श्रीमती शकुन्तला पत्नी सुदामा लाल शुक्ल, निवासी ग्राम व पोस्ट तौरा, जनपद उन्नाव तथा निर्मला पुत्री छेदालाल अवस्थी निवासी ग्राम बीबीपुर, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात फर्जी शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर कन्या प्राइमरी पाठशाला, तौरा, जनपद उन्नाव में प्रधान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रकरण की जांच की जा रही है ।

जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज, क्षेत्र फरेन्दा के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

156—श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज के फरेन्दा क्षेत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी से फरवरी, 2000 में वन निगम सेनाबन्दी मार्ग व बरगाहपुर लिंक मार्ग वनकटी से सेखुई लिंक मार्ग व कम्हरिया लिंक मार्ग में निर्माण खण्ड महाराजगंज द्वारा कराये जा रहे कार्य की गुणवत्ता काफी खराब होने के कारण टी०ए०सी० जांच की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी टी०ए०सी० जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में किन-किन मार्गों में मानक के विपरीत कार्य पाये गये ? क्या जांच में दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० सदस्य का एतद्विषयक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, मुख्य विकास अधिकारी से मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से कृत कार्यों के भुगतान की जांच

157—श्री जय प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर से प्राप्त रुपया 192.60 लाख पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु चेक संख्या–39452 दिनांक 15-3-99 द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड नम्बर एक लोक निर्माण विभाग गोरखपुर को प्राप्त हुआ था ? क्या यह सत्य है कि श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने लगभग पचास लाख रुपया डी०सी०एम० की मद से जिला योजना के कार्यों का भुगतान किया जिसके कारण इस मद में कराये गये कार्यों के लगभग पचास लाख रुपये के ठेकेदारों के बिल अभी भी लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जिला योजना हेतु केवल 27.27 लाख का भुगतान किया गया तथा रु० 27.27 लाख के बिल भुगतान हेतु लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच के आदेश दिये जा रहे हैं ।

जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील मोहम्मदी के ग्राम पिपरौला आदि के ड्रेनों की सफाई की जांच

158—श्रीमती कृष्णा राज–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पिपरौला कुंवरपुर एवं ग्राम उचौटिया के आसपास के क्षेत्र के ड्रेन की सफाई कई वर्षों से न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है ? क्या उक्त ड्रेनों की सफाई कराने की व्यवस्था शीघ्र की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पिपरौला कुंवरपुर एवं ग्राम उचौटिया के आसपास के क्षेत्र का पानी बनका गांव ड्रेन के माध्यम से सुखेता नाले में गिरता है । बनका गांव ड्रेन की वर्ष 1996-97 में हेड से 1.6 कि०मी० सफाई की गयी थी ।

जी नहीं ।

वर्तमान में विभाग की नीति ट्रंक ड्रेनों की सफाई की है, छोटी ड्रेनों की नहीं ।

जनपद लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड पसगवां ऋषि के पवित्र स्थान के मार्ग के निर्माण की जांच

159—श्रीमती कृष्णा राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील के विकास खण्ड पसगवां में पराशर ऋषि के पवित्र स्थान के लिए जाने वाले मार्ग के अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में लुम्बनी से दुद्धी/बांसी/बस्ती के मार्ग निर्माण हेतु विगत तीन वर्षों में अवमुक्त धनराशि की जानकारी

160—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लुम्बिनी से दुद्धी तथा बांसी से बस्ती के मार्ग निर्माण पर पिछले तीन वर्षों में कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्गों पर कोई भी कार्य नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त मार्गों को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लुम्बनी से दुद्धी मार्ग पर पिछले तीन वर्षों में निर्माण एवं अनुरक्षण पर कुल रु० 904.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

उक्त मार्ग पर अवमुक्त किये गये धन के सापेक्ष निर्माण कार्य किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद रायबरेली, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी को बिना जांच बहाल किये जाने के प्रकरण की जांच

161—श्री होराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली को दिनांक 24-3-2001 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें बिना किसी जांच के बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इनके ऊपर पूर्व से चल रहे आरोप एवं निलम्बन आदेश में लगाये गये आरोपों की जांच किसी अन्य एजेन्सी से कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोमती नदी पर प्रारम्भ पुल निर्माण कार्य

162—श्रीमती कृष्णा राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-2001 जो मोहम्मदी तहसील के जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत औरंगाबाद एवं बरवर के बीच गोमती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, लेकिन सेतु का निर्माण कार्य उ० प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, ग्राम व पोस्ट अड़ीग के ठेकेदार श्री धर्म सिंह द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

163—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्मसिंह एवं किशन सिंह ठेकेदार निवासी गांव व पोस्ट अड़ीग जनपद मथुरा द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–2/44213/मथुरा/2001, दिनांक 28-3-2001 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होते ही किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच से समिति द्वारा चयनित उ० प्र० वि० की स्थापना के स्थानों को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रकरण

164—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा०/उ० प्रा० विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थलों के चयन हेतु कोई समिति गठित है ? क्या समिति द्वारा किये गये स्थलों के चयन के उपरान्त स्थल परिवर्तित करने का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी को है ? यदि नहीं, तो जनपद बहराइच में वर्ष 1999-2000 में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की असेवित बस्तियों के लिए समिति द्वारा चयनित 38 उ० प्रा० वि० की स्थापना हेतु स्थलों में चार स्थलों का परिवर्तन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 28-3-2001 को जिला पंचायत की बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा चार विद्यालयों के निर्माण का रोकने का आदेश दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद श्रावस्ती के गठन उपरान्त बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जनपदों में लिपिकों के स्थानान्तरण के आदेश की जानकारी

165—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा परिषदीय लिपिकों की कुल संख्या 12 थी और नव सृजित जनपद श्रावस्ती के गठन के उपरान्त सचिव, बेसिक शिक्षा

परिषद्, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1998 में पदों का विभाजन कर सात पद बहराइच तथा पांच पद जनपद श्रावस्ती में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जनपद श्रावस्ती में उक्त पांचों लिपिकों का स्थनान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बुलन्दशहर, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शिकारपुर की प्रधानाचार्या द्वारा कारगिल शहीद सहायता हेतु जमा धनराशि के दुरुपयोग की जांच

166—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर की कार्यवाहक प्रधानाचार्या श्रीमती शकुन्तला गौड़ ने कारगिल युद्ध के समय कारगिल शहीद सहायता फण्ड हेतु अध्यापिकाओं, छात्राओं एवं अभिभावकों, स्टाफ कर्मचारियों से धन एकत्र किया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त धन का उपयोग कार्यवाहक प्रधानाचार्या द्वारा अपने निजी कार्यों में किया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के आनन्द भवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान का विवरण

167—श्री राम ललित चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी नगर में स्थित आनन्द भवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाराबंकी में जूनियर हाई स्कूल स्तर में कौन-कौन सी शिक्षिकायें कार्यरत हैं ? उनमें से प्रत्येक को वर्तमान में कितना वेतन व भत्ते दिये जाते हैं ? क्या उन्हें वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है अथवा नकद दिया जाता है ? क्या उन शिक्षिकाओं को जी०पी०एफ० तथा पेंशन आदि की सुविधा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

आनन्द भवन उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बाराबंकी में जूनियर हाईस्कूल स्तर पर 8 शिक्षिकायें कार्यरत हैं जिनके नाम तथा वेतन भत्ते निम्नवत् हैं :–

नाम	वेतन + भत्ते
कु० लीना रोडिग्स	5026.00
कु० एस० कठैत	4543.00
कु० कठैत	4448.00
श्रीमती माया मोरिस	4448.00
श्रीमती अंजना अग्निहोत्री	3777.00
श्रीमती नीलम सेठी	3715.00

श्री मो० मुबीन उस्मानी	3715.00
श्री एम० जे० डिकूज	3715.00

उक्त शिक्षिकाओं का वेतन का भुगतान नकद किया जाता है ।

उक्त शिक्षिकाओं को जी० पी० एफ० के स्थान पर ई० पी० एफ० सुविधा लागू है और उसी के तहत शिक्षिकाओं को पेंशन की सुविधा अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, ब्लाक काकोरी के ग्राम भरोसा में प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल परिसर की चहारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

168—श्री रामाधार सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा में स्थित प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल के परिसर के कुछ हिस्से में चहारदीवारी निर्मित है ? यदि हां, तो दोनों स्कूलों के शेष भाग पर भी चहारदीवारी बनाये जाने हेतु धन आवंटित कर निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

सम्प्रति बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद रायबरेली, तहसील लालगंज के लोन नदी के क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण की मांग

169—श्री हीरा लाल गौतम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली तहसील लालगंज के भितरी स्थित लोन नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बस आदि बड़े वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नदी के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में गौरी कला में कोइलाव नाले पर रपटा मरम्मत हेतु मरम्मत में अनियमितता की जांच

170—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में गौरी कला बाउण्ड्री के बीच कोइलाव नाले पर रपटा पिचिंग/मरम्मत हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1999-2000 में 7.75 लाख रुपये लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त रपटा मरम्मत में निम्न स्तर की सामग्री व कम मात्रा में सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त ज्ञात हो सकता है ।

प्रकरण की जांच कराई जाएगी ।

जांच के परिणाम पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा में भूरागढ़ फिल्टर हाउस के क्योटरा मार्ग पर निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

171—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में भूरागढ़ फिल्टर हाउस के बगल से क्योटरा मार्ग पर डामरीकरण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को 3.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो प्रदत्त धनराशि से कुल कितने मीटर सड़क निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मानक के अनुरूप व प्राक्कलन में सम्मिलित ग्रिट की मात्रा का प्रयोग न करके पुरानी सड़क की पैच मरम्मत कर धन निकाल लिया गया है । यदि हां, तो क्या इसकी टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

500 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण प्रथम सतह लेपन तक पूर्ण है द्वित्तीय सतह लेपन का कार्य प्रगति में है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ, बनकोटी बाया सकरा मार्ग में मिट्टी ढुलाई के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

172—श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनकोटी बाया सकरा मार्ग, जनपद लखनऊ का निर्माण अस्थाई खण्ड (डास्प) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा गठित अनुबन्धों के अनुसार कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग गठित अनुबन्धों के अनुरूप ढुलान मिट्टी की जगह स्थानीय मिट्टी से कराकर उसका भुगतान ढुलान मिट्टी का किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार मार्ग का नाम बनकोटी वाया सकरा मार्ग न होकर राज्य मार्ग संख्या–40 से काकोरी वाया सकरा मार्ग है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जी नहीं, अनुबन्ध में ढुलाई की मिट्टी की मात्रा 7796.88 घन मी० तथा स्थानीय मिट्टी की मात्रा 9357.82 घन मी० विद्यमान है, जिसके सापेक्ष अब तक ढुलाई की मिट्टी की मात्रा 6704.95 घन मी० तथा स्थानीय मिट्टी की मात्रा 6919.75 घन मी० का भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर/महराजगंज में राप्ती नदी पर बने तटबन्ध में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे भुगतान की मांग

173—श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी पर करमैनी पनघटिया तथा करमैनी रिगोली बेलसड़ जनपद महराजगंज बने तटबन्ध में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर करमैनी पनघटिया तक करमैनी रिगौली बेलसड़ जनपद महराजगंज में बने तटबन्धों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का आंशिक भुगतान किया जा चुका है ।

अवशेष मुआवजे का भुगतान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद महाराजगंज, नगवा लेहड़ा बन्धों के उच्चीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

174—श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में नगवां-लेहड़ा बन्धों के मरम्मत व उच्चीकरण हेतु वर्ष 1997 सें अब तक कितना धन विभाग को अवमुक्त किया जा चुका है ? क्या सरकार ड्रेनेज खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा बन्धे पर मानक के विपरीत कराये गये कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच टी०ए०सी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद महराजगंज में नगवां लेहड़ा बांध की उच्चीकरण हेतु अब तक निम्न प्रकार धनराशि अवमुक्त की गयी है :—

वर्ष	नगवा	लेहड़ा
	धनराशि (लाख रुपये में)	
97-98	12.47	12.00
98-99	45.00	44.00
99-2000	54.54	42.20
2000-2001	33.00	31.50
2001-2002	34.88	57.80

इन बन्धों पर मानक के विपरीत कार्य कराये जाने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, दुबग्गा से बरावन कला मार्ग को चौड़ा करने की मांग

175—श्री सरवर अली खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में दुबग्गा से बरावन कला जाने वाला मार्ग चौड़ा न होने के कारण दुबग्गा से बरावन कला तक नगर बसें नहीं चल पा रही हैं ? यदि हां, तो

नागरिकों की असुविधा को देखते हुए क्या सरकार उक्त मार्ग को चौड़ा कराने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी नहीं ।

ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

176—श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये संबंधित विषय की विशेषज्ञता आवश्यक है ? यदि हां, तो भूमि संरक्षण अधिकारी के पद के लिये अर्ह योग्यता मृदा संरक्षण से कृषि पर स्नातक डिग्री आवश्यक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी नहीं, विभागाध्यक्षों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रादेशिक सिविल सेवा तथा विभिन्न प्रादेशिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों में से की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उल्लिखित प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा के ग्राम डहिया मुबारकपुर में घाघरा नदी के कटान की समस्या निदान हेतु बोल्डर लगाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

177—श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डहिया मुबारकपुर, विकास खण्ड–टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी के कटान की समस्या के निदान हेतु वर्ष 1998-99 में बोल्डर लगाने हेतु धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु कुल कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कटान से उक्त गांव को बचाने हेतु धन अवमुक्त कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । जनपद अम्बेडकर नगर के प्रश्नगत ग्राम ऊंचे पर बसे होने के कारण घाघरा नदी के बाढ़ के पानी से प्रभावित नहीं होते हैं । वर्तमान में घाघरा नदी इन गांवों से सटकर बह रही है । प्रश्नगत ग्रामों की कटान से सुरक्षा हेतु 9 डैम्पनर पहले ही बनाये जा चुके हैं । पूर्व निर्मित डैम्पनरों की मरम्मत सहित 7 नये डैम्पनर के निर्माण हेतु एक योजना टी० ए० सी० की 108वीं बैठक दिनांक 8-6-98 द्वारा रु० 47.00 लाख की स्वीकृत की गयी थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2001-2002 में रु० 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है । कार्य प्रगति पर है ।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के चयन में आरक्षण कोटे की पूर्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

178—श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 1993 से 1997 तक अधियाचन, रोस्टर तथा चयन में आरक्षण कोटे की पूर्ति विषयक श्री एल० बी० तिवारी, सचिव, लोक सेवा आयोग का पत्रांक 118/9/ई–1/1997-98 दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 सचिव, उ० प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग–4 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 में संदर्भित बिन्दुओं का परीक्षण कर, पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1999 द्वारा लोक सेवा आयोग को समुचित उत्तर प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के बाढ़ से बचाव हेतु स्वीकृत परियोजनाएं

179—श्री दीप लाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी–कुशीनगर के पत्रांक सं० 275(1)/आपदा–2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 द्वारा बड़ी गण्डक नदी के बाढ़ से बचाव के लिये कार्य समय से पूर्ण कराये जाने एवं क्षतिग्रस्त तटबन्ध/कटान निरोधक कार्यों के सम्पादन हेतु इस खण्ड की कुल 9 परियोजनायें दिनांक 2-2-2001 को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 120 वीं बैठक में स्वीकृत की गयी है जिनके कार्यों की कुल लागत रु० 717.372 लाख है ? यदि हां, तो सूची के अनुरूप धनावंटन जनपद कुशीनगर को कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परियोजनाओं के नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, कस्बा पाली में सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज, पाली की प्रबन्धक द्वारा समिति गठन में आरक्षण नियमों के पालन के सम्बन्ध में जानकारी

180—श्री बाबू खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा पाली में सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज पाली की प्रबन्ध समिति का गठन 1994 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक द्वारा समिति के गठन में आरक्षण नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच कराकर समिति को भंग किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ब्लाक भदखनी के कतिपय ग्रामों में स्वीकृत विद्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

181—श्री बाबू खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण हेतु जो मानक दूरी रखी गयी है उसका उल्लंघन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? क्या ब्लाक भदखनी में बिल्सर हरसेन गांव में स्वीकृत विद्यालय भवन निर्माण हेतु मानक दूरी का उल्लंघन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

182—श्री राम कृपाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० के विश्वविद्यालयों में छात्रों के अनिवार्य उपस्थिति का प्राविधान है ? यदि हां, तो इस नीति का वर्ष 1999-2000 व वर्ष 2000-2001 में किन-किन विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया गया है ? क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, लखनऊ, बुन्देलखण्ड, गोरखपुर, कानपुर व चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू किया गया ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थित का प्राविधान है, परन्तु छात्रों की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण उक्त का अनुपालन सम्भव नहीं हो पाया है ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील कोरांव के बड़ोखर/महुली न्याय पंचायतों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग

183—श्री राम कृपाल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले की कोरांव तहसील में बड़ोखर व महुली न्याय पंचायतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त न्याय पंचायतों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु टोंस अथवा बेलन नदी पर लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

टोंस नदी पर लिफ्ट स्कीम बनाकर सिंचाई सम्भव नहीं है । बेलन नदी पर बरौधा पिक अप वियर बना हुआ है लेकिन जमीन ऊंची हो जाने के कारण इसमें पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं रहता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर से गोल मार्ग चौड़ीकरण हेतु कार्य प्रारम्भ कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

184—श्रीमती कृष्णा राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-3-2001 जो शाहजहांपुर से गोल मार्ग चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सुल्तानपुर, क्षेत्र जयसिंहपुर में विगत वर्षों में जिला योजना अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

185—श्री राम रतन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में स्वीकृत जिला योजना के अन्तर्गत दीन दयाल, अम्बेडकर सम्पर्क मार्गों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 व 98-99 में जिला योजना के अन्तर्गत कुल 9 स्वीकृत मार्गों में से 01 मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

मध्य बरेली मण्डल आयुक्त/अपर जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जांच

186—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फरवरी, 2000 से अप्रैल, 2000 के मध्य बरेली मण्डल आयुक्त एवं अपर जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जांच के आदेश अखिल भारतीय जनता संघर्ष वाहिनी के कार्यकारी अध्यक्ष राम किशोर कश्यप द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका में पारित किये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त जनहित याचिका इन अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करके नगर निगम की जमीन तथा भवन आदि का पंजीकृत विक्रय-पत्र अपनी पत्नी तथा बच्चों एवं अन्य रिश्तेदारों के नाम कराकर करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पत्ति हड़प करने के सम्बन्ध में थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट में उक्त दोनों अधिकारियों को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका निरस्त कर दी गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पुस्तकालयाध्यक्ष राजकीय जिला पुस्तकालय व जिला विद्यालय निरीक्षक आदि पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जानकारी

187—श्री राजपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद के पत्र सं०सी-2/13242/98-99 दिनांकित 11-3-99 के अनुपालन में पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा द्वारा दिनांक 8-4-2000 को दिये गये उत्तर में कौन कौन से आरोप तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा कु० चम्पा मिश्रा एवं तत्कालीन सहायक शिक्षा निदेशक, सेवा-1 शिक्षा निदेशालय माध्यमिक, इलाहाबाद श्रीमती उमा गुप्ता पर लगाये गये हैं ? क्या इन दोनों अधिकारियों से पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा द्वारा दिनांक 8-4-2000 दिया गया उत्तर निदेशालय/शासन में प्राप्त नहीं है ।

चूंकि कथित आरोपों की कोई सूचना ही शासना/निदेशालय में प्राप्त नहीं है अतएव उस पर स्पष्टीकरण मांगने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में की गयी अनियमितता विषयक उ० प्र० सीनियर प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जनपद फतेहपुर के अध्यक्ष के पत्र पर कार्यवाही की मांग

188—श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सीनियर प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद फतेहपुर के अध्यक्ष श्री चन्दन सिंह का पत्र दिनांक 22-1-2001 जो जनपद में मृतक आश्रित रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में की गयी अनियमितता के संबंध में था, सचिव बेसिक शिक्षा उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के कतिपय प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराने की मांग

189—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय को शिक्षिकाओं के स्थायीकरण, एल० टी० में संविलीनीकरण, चयन वेतनमान, पी०पी०ए० एल० टी० सी० अवकाश स्वीकृति वेतन निर्धारण, अवशेष भुगतान दक्षता रोक पारण, पदोन्नति आदि के कई प्रकरण जनपद मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मात्र एक पदोन्नति का प्रकरण मण्डल स्तर पर लम्बित है ।

निस्तारण की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन/फैजाबाद स्तर पर गतिमान है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच से संगत अभिलेख प्राप्त होने पर यथेष्ट कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी, आर्य कन्या पाठशाला में नियुक्त प्रवक्ता श्रीमती सईदा जाफरी के वेतन भुगतान का प्रकरण

190—श्री श्याम देव राय चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं०–181 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी के इण्टरमीडिएट सेक्शन में मा० उच्च न्यायालय की स्पेशल रिट पिटीशन संख्या–494/99 एस०बी० के निर्णय दिनांक 19-1-2000 के क्रम में श्रीमती सईदा जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार श्रीमती जाफरी को विनियमित कर उनके वेतन का नियमित भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

नियुक्ति नहीं बल्कि प्रश्नगत निर्णय के अनुपालन में प्रबन्धक द्वारा श्रीमती जाफरी को दिनांक 1-2-2000 को कार्यभार ग्रहण कराया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय में मनोविज्ञान प्रवक्ता के एक रिक्त पद के प्रति दो प्रवक्ताओं के वेतन भुगतान के आदेश मा० न्यायालय द्वारा विभाग को प्राप्त हुए हैं और अवमानना वाद भी प्रस्तुत किया गया है । न्याय विभाग से परामर्श लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

बालू खनन बन्द कराने विषयक श्री भुखन मल्लाह ग्राम–सहिया, पो०–बिल्थरा रोड, जनपद बलिया के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

191—श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री भुखन मल्लाह पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम सहिया पो० बिल्थरा रोड बलिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-4-2001 तथा रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17-4-2001 जो बालू खनन बन्द कराने विषयक था और जो मुख्य मंत्री मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, श्री भुखन मल्लाह पुत्र श्री रामवृक्ष मल्लाह निवासी सहिया पो० बिल्थरा रोड, बलिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-4-2001 मात्र प्राप्त हुआ है ।

श्री भुखन मल्लाह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-4-2001 में दिये गये तथ्य जिलाधिकारी बलिया द्वारा कराई गई जांच में गलत पाये गये । चूंकि श्री भुखन मल्लाह स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बालू अवैध खनन के दोषी पाये गये हैं और उनके द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से सम्बन्धित रायल्टी की विभिन्न किश्तों का भुगतान भी नहीं किया गया है । अतः पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

192—श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत घाघरा नदी तल का भूखन मल्लाह को बालू खनन का पट्टा दिया गया, जिसकी अवधि 10-2-2001 तक है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 13-4-2001 से स्थानीय पुलिस द्वारा बालू खनन व बिक्री बन्द करा दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, लेकिन उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री भूखन मल्लाह के पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टे की अवधि दिनांक 10-9-2001 तक के लिए न होकर दिनांक 5-8-2001 तक के लिए है ।

जी हां ।

श्री भूखन मल्लाह के खनन कार्य को जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कारणों से रोका गया :–

(1) खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बालू के अवैध खनन करने के कारण ।

(2) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से संबंधित पट्टा धनराशि के द्वितीय वर्ष की तृतीय किश्त एवं तृतीय वर्ष की तीन किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण ।

(3) स्वीकृत क्षेत्र के लिए खनिज परिवहन हेतु आपूर्ति किये गये रवन्ना (प्रपत्र–एम०एम०–11) का दुरुपयोग अन्य स्थान पर अवैध खनन एवं परिवहन में किये जाने के कारण ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

सूचनाओं से सम्बन्धित सभी माननीय सदस्य–श्री रूप चौधरी, डा० अशोक बाजपेयी, डा० पूर्णमासी पंकज, श्री बिन्दु लाल, श्री जगदीश नारायण राय, श्री भोला शंकर मौर्य तथा श्री उदय राज यादव सदन में उपस्थित हैं, आपकी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।

प्रतीक्षा सूची में अंकित श्री राम विशुन आजाद की सूचना थी, जो नहीं आ पायी है । माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी वे हैं श्री शिशु पाल सिंह यादव तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

प्रदेश में आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने तथा नाबालिग लड़कियों को अपहरण कर विदेशों में बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, भारत विरोधी एवं पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई० एस० आई० द्वारा प्रदेश में हथियार, मादक द्रव्यों की तस्करी करने, बम विस्फोटक हत्या आदि करके अराजकता व आतंक फैलाने

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के अनेक मामले प्रकाश में आ चुके हैं । नकली नोट प्रचलित करके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के अनेक प्रयास किये जा चुके हैं । इस समय प्रदेश के प्रत्येक जिले में 151 के एजेण्टों का जाल बिछा हुआ है । इनकी सक्रियता व कार्यवाही सभी प्रदेश वासियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर नेपाल ले जाने के प्रकरण के भण्डाफोड़ हो जाने से प्रदेश की जनता विचलित है । इसी प्रकार के अन्य कई गिरोह प्रदेश व देश में सक्रिय हैं जो गरीब परिवारों की बच्चियों को अपहरण करके विदेशों में धनाढ्य लोगों की अय्यासी के लिए भेज रहे हैं । इस प्रकार की घटनाएं सभी देशवासियों के लिए चिन्ता का विषय है एवं माथे पर कलंक है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर अथवा अपहरण करके ले जाकर विदेशों में बेंचने वाले धन्धे में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ताकि यह जघन्य कार्य बन्द हो सके ।]

जनपद हरदोई के राजकीय महाविद्यालय पिहानी में बी० काम० की कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी–

[महोदय, जुलाई, 2000 से राजकीय महाविद्यालय, पिहानी में बी० ए० प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ हुईं । राजकीय महाविद्यालय, पिहानी 30 कि०मी० की परिधि में अकेला महाविद्यालय होने के कारण छात्रों के विशेष दबाव से प्रभावित है । महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं । मैंने शासन से निरन्तर अनुरोध किया था कि बी० ए० प्रथम वर्ष का एक अतिरिक्त सेक्शन जुलाई, 2001 से प्रारम्भ कर दिया जाये । इस सेक्शन के खुलने से एक नये पैसे का भी अधिभार नहीं आयेगा शासन पर और न ही महाविद्यालय पर क्योंकि महाविद्यालय में भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं पुस्तकालय की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है जिससे बी० ए० में दो सेक्शन खोलने से कोई अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी । मात्र प्रशासनिक स्वीकृति से ही 2 सेक्शन जुलाई से प्रारम्भ हो सकेंगे । इससे विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या एक सीमा तक हल हो सकेगी। क्षेत्रीय जनता का शासन से निरन्तर दबाव व अनुरोध रहा है कि राजकीय महाविद्यालय में बी०काम० प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायें । बी० काम० की कक्षायें प्रारम्भ करने से न तो भवन की आवश्यकता होगी और न फर्नीचर आदि की । मात्र 2 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन आज के व्यवसायिक युग में कामर्स की कक्षायें खुल जाने से महाविद्यालय की उपादेयता और अधिक बढ़ जायेगी । इस सम्बन्ध में मैंने शासन से निरन्तर अनुरोध किया है । कृपया अपने प्रभाव का प्रयोग कर राजकीय महाविद्यालय, पिहानी, जनपद हरदोई में बी० ए० में 2 सेक्शन तथा बी० काम० प्रथम वर्ष की अतिरिक्त कक्षा प्रारम्भ कराये जाने की कृपा करें ।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय को आपके माध्यम से सदन में उपस्थित कर सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के सुरियावां को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, कृपया जनपद संत रविदास नगर भदोही में सम्प्रति मात्र दो तहसीलें हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों तहसीलें बड़ी हैं तथा जनता के कार्यों का निपटारा समय से नहीं हो पा रहा है।

तहसील भदोही का क्षेत्रफल काफी लम्बा होने से लोगों को तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में भी कठिनाई होती है। सुरियावां को तहसील बनाने हेतु काफी समय से जनता द्वारा मांग किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में हर बार बजट भाषण में भी मांग दुहराई जाती रही है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्र की जनता द्वारा मांग किया जाता रहा कि सुरियावां ब्लाक के समस्त ग्रामों तथा जनपद जौनपुर और इलाहाबाद के सटे हुए ग्रामों को सम्मिलित कर तहसील बनाया जाना उचित होगा तथा जनता को काफी राहत मिलेगी।

अतः कृपया जनहित में जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के अन्तर्गत सुरियावां को तहसील का दर्जा दिये जाने हेतु शासन को निर्देश देने का कृपा करें।]

जनपद गोण्डा के ब्लाक रुपईडीह के कौड़िया बाजार में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[महोदय, बनगोई टाउन (कौड़िया बाजार) ब्लाक–रुपईडीह, जिला गोण्डा में विद्युत आपूर्ति बहराइच जनपद के विशेश्वरगंज विद्युत उपकेन्द्र से होती है। यहां पर कोई अवर अभियन्ता कार्यरत नहीं है। जिस अवर अभियन्ता को चार्ज दिया गया है वह लगभग चार उपकेन्द्रों का कार्य देखते हैं। जिसके कारण विशेश्वरगंज उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। कई-कई दिनों तक लोगों को विद्युत नहीं मिल पाती है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए कौड़िया बाजार, ब्लाक रुपईडीह, जिला गोण्डा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जनपद बहराइच के विशेश्वरगंज विद्युत उपकेन्द्र पर अवर अभियन्ता नियुक्त करने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर की ग्राम सभा धनेजा की जमीन के फर्जी इन्द्राज की सतर्कता जांच कराकर भूमि खाली कराने के सम्बनध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के तहसील सदर जौनपुर स्थित ग्राम सभा धनेजा खाता संख्या–597, 578, 408, 390, 373, 355 आदि स्थित सैकड़ों नम्बर एवं 50 बीघा जमीन जो ग्राम सभा की सम्पत्ति थी। मौके पर पानी नहीं कुछ जालसाज लोग फर्जी तरीके से तथ्यों को छिपाकर कागजात में अपना नाम दर्ज करा दिये हैं जिससे क्षेत्र में असंतोष है तथा गरीब लोग आवंटन नहीं पा सके।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की सतर्कता जांच कराने का फर्जी इन्द्राज को निरस्त कराकर ग्राम सभा की भूमि खाली कराने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी द्वारा बजट पारण बैठक की कार्यवाही को नगर पालिका अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत निरस्त कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[महोदय, बदायूं जनपद की नगर पालिका परिषद् बिल्सी का बजट वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पारण हेतु दिनांक 19-05-2001 की बैठक बुलाई गई और उसमें निर्वाचित 22 सदस्य एवं विधायक एवं पालिका अध्यक्ष को मिलाकर कुल 24 सभासद उपस्थित थे, बजट पर चर्चा हो ही रही थी कि ठेका हड्डी, चमड़ा को बिना खुली बोली के ही अध्यक्ष एवं ई० ओ० नगर पालिका ने मात्र 1000/- रुपये में एक वर्ष को देने पर घोर आपत्ति चल रही थी कि अध्यक्ष एवं ई० ओ० सदन से कार्यवाही पंजिका लेकर बाहर चले गये और बजट को पारित नहीं कराया । बजट की मीटिंग हेतु नियमानुसार एजेंडा जारी करते समय विशेष संकल्प का उल्लेख किया जाना नियमानुसार आवश्यक है । नगरपालिका अधिनियम की धारा–99 के अन्तर्गत विशेष संकल्प के द्वारा ही बजट पारित किये जाने का प्राविधान है । इसी प्रकार ठेका की नीलामी में भी घोर वित्तीय अनियमिततायें अध्यक्ष, ई० ओ० एवं लेखाकार ने की हैं । क्योंकि उन्होंने ठेका नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद चौथाई धनराशि जमा नहीं कराई और काफी समय के बाद जमा कराई जो नीलामी की शर्तों का उल्लंघन है । इस प्रकार अवैधानिक रूप से लिखी गई मीटिंग की कार्यवाही को, नगरपालिका अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत निरस्त की जाय तथा दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय । प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस लोक महत्व एवं तात्कालिक प्रकरण पर सरकार किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करे तथा पुनः बैठक उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में करायें । इसके साथ-साथ यह निर्देश प्रदान करें कि बिना बजट स्वीकृत हुए व्यय करने के लिए पालिका अधिकारियों को प्रतिबन्धित किया जाये अन्यथा अवैधानिक रूप से किये गये व्यय के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे ।]

जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा से ग्राम कसरौर तक मार्ग बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मौरावां पुरवा मार्ग कस्बा पुरवा से ग्राम कसरौर तक जाने का मात्र एक रास्ता था जिससे कई गांवों के लोग आते-जाते थे, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के निवास के उत्तर दिशा से गाटा सं०–1872, रकबा 0.101 से रास्ता था उक्त की भूमि पर कुछ लोगों ने दुकानें बनवा ली हैं तथा कुछ लोगों के द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जिसके कारण पुरवा कसरौर मार्ग पूर्णतया बन्द हो गया है उक्त रास्ता बन्द होने से लोगों के सामने आने-जाने का एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को वक्तव्य का निर्देश दें ।]

श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री रामवीर उपाध्याय, श्री बी० आर० वर्मा, श्री आर० के० चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा की है जो श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने के संबंध में तथा उनकी पत्नी को भी सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है इसे निरस्त कर रहा हूं । सरकार को यह निर्देश देता हूं कि प्रश्नगत नये शासनादेश के पूर्व श्री उपाध्याय को जो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी, उसे बहाल करने पर सरकार पुनर्विचार कर ले ।

समाजवादी पार्टी के नेताओं/कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न विषयक नियम–311 की सूचना पर सदस्यों को सुनने के उपरान्त सम्पूर्ण कार्यवाही को निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो नियम–311 में हम लोगों ने दिया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसमें कल आपकी पीठ से जब हम लोग 311 पर अपनी बात रखें, पूरे सदन ने और आपने भी कृपापूर्वक उसको सुना और सुनने के बाद आपने एक व्यवस्था दी कि वह अखबार में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में और प्रिन्ट मीडिया में यह खबर नहीं छपेगी । मान्यवर, यह अधिकार किसी भी तरह आपको प्राप्त नहीं है । जहां तक नियमों का सवाल है, नियमों में स्पष्ट प्राविधान है कि आक्षेप अगर किसी के ऊपर लगाया जाय या असंसदीय बात कही जाय या कोई ऐसी बात कही जाय जो उसके प्रतिकूल हो तभी उसके इन शब्दों को हटाया जा सकता है लेकिन पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग हैं, उसको किसी भी तरह अधिकार आपको प्राप्त नहीं है कि पूरी प्रोसीडिंग को आप यह आदेशित कर निकलवा दें कि छपेगा नहीं । मान्यवर, यह किताब ग्लिम्पसेस आफ पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर, श्री भालचन्द्र शुक्ला के पेज नम्बर 109 में देखने की कृपा करें, उसमें दिया हुआ है, साफ तौर से दिया हुआ है, 109–110-111 पेज में कि कहां पर यह दिया जायेगा :–

> "द पोजीशन इन अदरवाइज इन इण्डिया द रूल्स आफ प्रोसीजर आफ इण्डियन पार्लियामेन्ट एण्ड द स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्सप्रेसली इमपावर द स्पीकर टू एक्सपंग द अनचेरिटेबुल रिमार्क मेड बाई द मेम्बर्स इनसाइड द हाउस । हाउएवर दिस पावर इज नाट अबसोल्यूट । द स्पीकर कैन डिलीट द आब्जेक्शनेबुल वर्ड एण्ड फ्रेजेस ओनली व्हेन ही इज आफ द ओपीनियन दैट दे आर डिफेमेटरी, इन्डीसेन्ट, अनपार्लियामेन्ट्री ऑर अनडिग्नीफाइड इट इज नेसेसरी टू अन्डरस्टैण्ड द फुल इनपोर्ट आफ दीज लीगल टर्मिनोलीजीस ।"

तो मान्यवर, इसीलिए मैंने आपको यह उद्धरण दिया है कि कल यहां पर जो आपने एक व्यवस्था दी वह किसी भी तरह से हमारी संसदीय मर्यादाओं के प्रतिकूल है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि व्यवस्था देने के पहले आपको विचार करना चाहिए था और आज भी मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जब यह 300 पर आपने व्यवस्था दी उस पर कृपया यह विचार कर लें कि जो शक्ति आपमें निहित नहीं है उन शक्तियों का प्रयोग आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए । कल जो आपने व्यवस्था दी थी उसको वापिस करते हुए आप यह निर्देश करें कि प्रिन्ट मीडिया में अखबारों में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में यह बात आनी चाहिए यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के मूल्यों के विपरीत आपका आदेश था, यही मुझे आग्रह करना था ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा ने आपको असीम अधिकार दिये हैं, आपके विनिश्चय पर कोई आपत्ति करने की न तो मेरी मंशा है लेकिन जो हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है और जो विधान सभा की मान्य परम्परायें हैं उसके अनुसार पीठ को अपने दिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार है । मेरा अनुरोध है कि कल एक सूचना हम लोगों ने 311 में दी । सूचना में हस्ताक्षर कुंवर रेवती रमण जी के, मेरे और राम औतार शाक्य जी के थे । बड़ी कृपापूर्वक आपने 311 की सूचना पर समय निर्धारित कर, क्योंकि हम लोगों का प्रयास था कि तत्काल विधान सभा की कार्यवाही तमाम नियमों को निलम्बित करके हमको सुना जाय लेकिन जब पीठ ने कृपापूर्वक आदेश दिया कि जब औचित्य का प्रश्न लेंगे तो उसमें बात सुनेंगे, आपका निर्णय शिरोधार्य था । हम लोगों ने कहा

कि हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, पीठ का रखने के लिए निर्देश हुआ और आपकी अनुज्ञा से हम लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया । कुंवर रेवती रमण सिंह बोले, उसके बाद मैं बोला और शाक्य जी बोले । हम लोगों ने घटना के संबंध में ग्राह्यता पर अपने विचार रखे और आपने कृपापूर्वक उसको सुना । उसके बाद एकाएक निर्णय दिया कि इसे कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मैं मान्यवर, आपके अधिकारों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाता । मान्यवर, जो हमारी विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 है, उसके नियम–304 को देखने की कृपा करें । सदन की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना–"यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें ।" मान्यवर, यह आपका अधिकार है और मैं कहीं पर भी इसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं हूं । लेकिन आप तीनों लोगों के भाषण को देख लें, इसमें एक भी शब्द अससंदीय लगे, अमर्यादित लगे, संसदीय गरिमा के विपरीत लगे तो उस शब्द को निकालने का पूर्ण अधिकार आपको है । लेकिन हमने अपने भाषण में जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है जो मर्यादा के विपरीत हो । माननीय अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर जो व्यवस्थायें दी गई हैं, जिनके सहारे यह सदन चलता है, मैं उनका उद्धरण देना चाहूंगा । आप अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1990-95 के पृष्ठ–59 के नियम–29 को देखने की कृपा करें । इसमें है "अध्यक्ष अपनी किसी भी रूलिंग पर पुनर्विचार कर सकते हैं" । यदि कोई विनिश्चय कर लिया गया है तो माननीय सदन अथवा माननीय सदस्यों के आग्रह पर उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं । कल जो आपने व्यवस्था दी है, उस पर पुनर्विचार करने का हम लोगों का आग्रह है । यह नियमसंगत है । इसीलिये मैनें आपका ध्यान नियम–29 की ओर आकृष्ट कराया है कि आप अपने कल के निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

इसके साथ ही, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1985-89 के पृष्ठ–51 की तरफ दिलाना चाहूंगा, इसके नियम–28 को देखें । "अध्यक्ष को कार्यवाही में संशोधन का पूर्ण अधिकार है । वे अपने विवेक से कार्यवाही का कोई भी अंश निकाल या शामिल कर सकते हैं ।" इसमें कहा गया है कि दिनांक 15 फरवरी, 1989 को श्री राम जन्म भूमि और बावरी मस्जिद विवाद विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना देते हुये श्री हर्षवर्धन ने कहा, मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया था, उसके संबंध में हम लोगों ने संशोधन के प्रस्ताव के रूप में दिया है । माननीय अध्यक्ष भाषण के किसी अंश को निकाल सकते हैं, इस अधिकार को मैं कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा । लेकिन पूरी कार्यवाही को निकालने का अधिकार अध्यक्ष पीठ को भी नहीं दिया गया है, केवल उन अंशो को छोड़कर, जो आपत्तिजनक हों, जो अमर्यादित हों, उन्हें निकालने का अधिकार है । मान्यवर, इसी संकलन के नियम–78 को देखने की कृपा करें । सदस्य क्या बोलें, इसके लिये निर्देश नहीं दिया जा सकता है । हम अपनी बात रखने के लिये स्वतंत्र हैं । इसमें कोई निर्देशित नहीं कर सकता । यह अवश्य है कि हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करें । किसी को ऐसी बात न कहें जो आपत्तिजनक हो, अपमान सूचक हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे । लेकिन अपनी बात कहने के लिये स्वतंत्र हैं, उस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता । कहां क्या बोलें, इसके लिये निर्देश नहीं दे सकते । दिनांक 2 सितम्बर, 1986 को प्रदेश में नवविवाहित युवतियों को जलाने, मारने तथा आत्महत्या के लिये.....

श्री अधिष्ठाता–

आपको बोलने के लिये तो नहीं रोका ?

डा० अशोक बाजपेयी–

आपने बोलने के लिए नहीं रोका, आपने आपत्ति नहीं किया लेकिन बोलने के बाद इसे कार्यवाही का अंग न माना जाये, ऐसी व्यवस्था.....

श्री अधिष्ठाता–

मैंने तो चार माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपने बोलने के लिए नहीं रोका, यदि आपने बुलाया है तो वह कार्यवाही का अंग क्यों नहीं बनें ? मान्यवर, इसके साथ ही इसी संस्करण के पेज 122 में देखें–जिसके निर्णय संख्या–302 में लिखा हुआ है कि सदन की कार्यवाही कभी बदली नहीं जा सकती । इसमें व्यवस्था अध्यक्ष पीठ से हो गयी है कि सदन की जो कार्यवाही है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । यह अधिकार पीठ को भी नहीं दिया जा सकता है, कार्यवाही को बदला नहीं जा सकता है और मान्यवर, इसके साथ ही आप नियम–305 को देखें, इसमें है कि 311 और 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ से अनुज्ञा के साथ लाया जायेगा, इसमें मैंने 311 का प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ की अनुज्ञा के साथ प्रस्तुत किया । इसलिए मान्यवर, कार्यवाही से निकाले जाने का औचित्य नहीं बनता । मान्यवर, इसी संस्करण के पेज 131 को देखें जिसमें संसदीय और असंसदीय कथन के बारे में कहा गया है कि क्या संसदीय है, और क्या असंसदीय

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

है, जिसके निकाले जाने का अधिकार है । मान्यवर, यह स्थापित परम्परा रही है कि अगर कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है तो उसे कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता है और न निर्देश दिया जा सकता है कि यह प्रकाशित होगा कि नहीं होगा या छापा जायेगा या नहीं छापा जायेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कल के निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें । यह अधिकार संयत है और ऐसा अधिकार आपको है भी । मान्यवर, आप इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देना चाहें ।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

यह पीठ का अधिकार है कि कितने लोगों को सुनेंगे ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा हम संक्षेप में कल की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । एक विषय उठा 311 में, आपने कृपापूर्वक अनुमति दी जो माननीय सदस्य उस विषय पर बोलना चाहते थे, बोले, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बोले और बोलने के बाद पीठ की ओर से इशारा किया गया जवाब देने के लिए, मैं जब जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, और जवाब देना शुरू ही किया था, मुझको निर्देश आने शुरू हो गये, फलां बिन्दु पर आप बोलेंगे, फलां पर नहीं बोलेंगे । मैंने बार-बार बोलने का प्रयास किया लेकिन नहीं बोलने दिया । पीठ ने अनेकों बार आग्रह किया कि सरकार का उत्तर भी आना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर भी आना चाहिए । मान्यवर, सदन स्थगित किया गया । उसके पश्चात् फिर मुझको बोला गया कि यह नियमावली में है नहीं । मान्यवर, यह अध्यक्ष पीठ का एक अधिकार है कि किस सदस्य को बुलायें, किस सदस्य को न बुलायें । उत्तर देने के लिए जब मुझे बुला लिया गया, मैं उत्तर देना चाह रहा था, मान्यवर, आपके निर्देश के बाद क्या कोई सदस्य या सदन मुझको उत्तर देने से रोक सकता है लेकिन मुझको रोका गया, अन्ततोगत्वा जो कुछ भी मैं कहना चाहता था वह नहीं कह सका और कार्यवाही में नहीं आ सका । श्रीमन्, स्पीकर के पावर क्या हैं, मैं

पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस प्रोसीजर, डा० सुभाष कश्यप, इसका पेज–104 है जिसमें है कि चुनौती नहीं दी जा सकती, मैं पढ़ देता हूं "विदिन द वाल्स आफ द हाउस हिज आथोरिटी इज सुप्रीम" और आगे है:

"दो हिज पावर्स एन्ड ड्यूटीज हैव बीन लेड डाउन इन द रूल्स एन्ड टू सम एक्सटेन्ट इन द कान्सटीट्यूशन, द रूल्स व्हिच ही हैज टू एडमिनिस्टर आर आफ एन इलास्टिक कैरेक्टर एन्ड इन सम मैटर्स ही हैज टू एक्सरसाइज हिज डिसक्रीशन । हिज ड्यूटीज आर वेरी आरडूअस एन्ड इन देयर डिसचार्ज ही मस्ट वी एक्टूऐट बाई ए सेन्स आफ जस्टिस एन्ड फेयरनेस अन इनफ्लूमेन्स बाई पैशन आर प्रिज्यूडिस ।" मान्यवर, आगे कुछ पंक्तियां हैं, यह पेज 105 पर हैं ।

"ही रेगुलेट्स द डिबेट्स एन्ड प्रोसीडिंग्स आफ द हाउस । ही इज चार्जड विद द मेन्टीनेन्स आफ आर्डर इन द हाउस एन्ड इनफोर्सेस द आब्जरवेन्स आफ रूल्स बाई द मेम्बर्स । टू दिस एन्ड, ही इज इक्यूप्ड विद आल नेसेसरी पावर्स । ही डिटरमाइन्स व्हेन ए मेम्बर शुड बी काल्ड अपान टू स्पीक एन्ड हाउ लांग ही बी एलाउड टू स्पीक ।"

ये कुछ बातें जिनका मैंने उल्लेख किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब बातें अपनी प्रक्रिया नियमावली में भी हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–314 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें यह कहा गया है कि "किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी । एक बार जो विनिश्चय हो गया उस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है ।" एक बात कही गयी उसके बारे में मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा–जो कुछ बोला वह संसदीय था, कहीं सदन की गरिमा के प्रतिकूल नहीं था तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, सीमित है सदन का संचालन कैसे करें, क्या केवल एक पक्ष अपनी बात कहने के बाद दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने से वंचित रखेगा । यह अधिकार किसी को नहीं है । अनाधिकार चेष्टा करके किसी को वंचित रखा जाता है, यह सारी शक्ति अध्यक्ष पीठ में है कि वह सारे सदस्यों को अवसर देने के लिए क्या प्रोसीजर अपनावें या विनिश्चय करें। यह जो नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है, इसको आप निरस्त कर दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, निर्णय देने से पहले मुझे भी सुन ले ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना इसी विषय पर है । मुझको भी सुन ले ।

श्री अध्यक्ष–

अवसर की अनुकूलता तथा विषय की महत्ता को देखते हुए दो माननीय सदस्यों को सुन लिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मना करने पर भी आप अपनी बात कहेंगे, इसलिए बोलिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मना करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा ।

मान्यवर, दो बातें कहनी हैं । नियम–304 का पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी बात कही जाय जिससे देश की प्रभुसत्ता पर खतरा हो जाये, फौजों में बगावत हो जाय या स्थिति गड़बड़ हो जाये तो जो बातें कही गयी हैं उसको आप निकाल सकते हैं । दूसरे अगर आपकी अनुमति के बगैर एक भी शब्द कहेंगे तो वह बात नहीं लिखी जायेगी । मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि इन चीजों के परे अगर नियमों में व्यवस्था नहीं है और न कोई दूसरा दृष्टान्त है । इस तेरहवीं विधान सभा में दो अवसर ऐसे आये हैं जब आपकी पीठ से निर्णय हुए हैं । इससे पूर्व कोई ऐसा दृष्टान्त नहीं है । कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके विचार या दृष्टिकोण न आ पाये और इस अवसर को देने के लिए पूरी कार्यवाही निकाल दी जाय । जितने लोगों ने अनुमति से नहीं बोला है उनको निकाल दिया जाये लेकिन जितने लोगों को आपने अनुमति दी और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही है । तो कार्य संचालन नियमावली के नियम–313 में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनका उपयोग इसलिए होना चाहिए कि कल जो रूलिंग दी गयी है उस पर पुनर्विचार कर ले । मान्यवर, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं वह सिर्फ महामहिम के प्रसाद से मंत्री हैं उनको महामहिम का प्रसाद प्राप्त है । माननीय मंत्री जी यहां पर जो कुछ कहेंगे वह सिर्फ सरकार और महामहिम की आज्ञा से कहेंगे । लेकिन मैं यहां पर किसी के प्रसाद से नहीं खड़ा हूं । मैं यहां पर सिर्फ आपकी अनुकम्पा से हूं, मैं किसी का प्रसाद नहीं हूं । मैं यहां पर जो कुछ भी बोलता हूं सिर्फ आपकी अनुमति से बोलता हूं, मैं किसी के कहने से नहीं बोलता हूं । हमें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है,मैं यहां जो कुछ बोलता हूं आपकी अनुमति से बोलता हूं और नियमों से जो अधिकार हैं उसी के तहत बोलता हूं, मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं जिस पर नियमों में एक स्पष्ट व्यवस्था है कि कहीं-कहीं असंसदीय वर्ड हों उन्हें एक्सपंज किया जा सकता है । इसके लिए लोक सभा में अनेक बार मामले आये हैं यह एक दृष्टान्त बनेगा । तो मान्यवर, अगर इस तरह से इन शब्दों का अर्थ दूसरा चला जाएगा तो यह सत्यानाश हो जाएगा । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अगर किसी राजनीतिक दल की विचारधारा न आ पाये तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं ।

मान्यवर, कृपया आप इस पर विचार कर लें, अगर आप इसके लिए पूरी कार्यवाही को निकलवा देंगे तो यह उचित नहीं होगा, जो माननीय सदस्य आपकी अनुमति से नहीं बोले थे, उनके भाषण आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए, लेकिन जो आपकी अनुमति से बोले थे वह तो नहीं निकलना चाहिए । इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं । मान्यवर, आप इस पर विचार कर लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जो प्रकरण कल सामने आया था वही आज फिर आया है । कल जब माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह और मैं स्वयं जब बोल रहा था, तो सदन व्यवस्थित था । सरकार का पक्ष आ सकता था, और माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जो सदस्य सदन को अव्यवस्थित कर रहे थे उन्हें सदन से बाहर निकाल सकते थे जो कुछ वह कहते, कार्यवाही से निकाल सकते थे । इस प्रकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ सकती थी । बेहतर होता कि जो सदन के वेल में थे उन्हें निकाल दिया जाता और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य आ जाता । मान्यवर, ऐसे भी क्षण आते हैं जब सदन अव्यवस्थित होता और सदन की कार्यवाही चलती रहती है और बजट भी पास होता है । व्यवस्थित सदन की कार्यवाही निकाल दी जाये और अव्यवस्थित सदन की कार्यवाही, कार्यवाही का अंग बने तो आप ही बतायें कि इससे आने वाली पीढ़ियों को क्या सन्देश जायेगा । मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी सुरक्षा के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय मैंने जो सूचना ली है उससे आपका कोई संबंध नहीं है। यह सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य व श्री अम्बिका चौधरी की है। इस सूचना पर मैं माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा को प्राप्त गनर न हटाये जाने तथा उनकी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

श्री रामवीर उपाध्याय जी का जो प्रश्न था उस पर पीठ से निर्देश दे दिये गये हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अभी हाल ही में जो शासनादेश निर्गत हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो पहले सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी, इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय की पृष्ठभूमि पर विचार करके यथोचित निर्देश दे दीजियेगा।

अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है, जो कि 39वां वृत्त विद्युत लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में अवर अभियन्ताओं की तैनाती गलत तरीके से किये जाने के संबंध में है। यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं।

दिनांक 2 मई, 2001 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 तथा 28 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने 2 मई, 2001 की कार्यसूची के नत्थी 'क' पर अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 में, माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी द्वारा पूछा गया था कि क्या सरकार नौकरियों में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कमी करने का विचार कर रही है, तो उत्तर दिया गया था कि सरकार का कोई इरादा नहीं है। कल की कार्यसूची में तारांकित प्रश्न संख्या 3 जो श्याम देव राय चौधरी ने दिया था, उसके उत्तर को आप देखें तो उसमें माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ कहा है कि प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए शासन की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कमी करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से दोनों उत्तरों में विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए निदेश संख्या 165–166 में व्यवस्था है कि यदि किसी माननीय मंत्री का उत्तर भ्रामक है, विरोधाभास है और सत्य से परे है तो क्या करना चाहिए। नियम–300 में यह नहीं आता। निदेश संख्या 165-166 में जो सुसंगत निर्देश हैं उसमें आप दे दीजिए।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नियम–300 में है। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मान्यवर, सरकार ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3 प्रतिशत पद रिक्त हो रहे हैं और उनमें से 2 प्रतिशत पदों को समाप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। डा० बाजपेयी जी को यह छूट है कि निदेश संख्या–166 के अनुसार नियमों का पालन करते हुए आवश्यक सूचना दे दें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मई, 2001 की बैठक में सदन के दिनांक 29 मई से 1 जून, 2001 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :––

मई, 2001

29 मंगलवार — 1–वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घण्टा।

3– प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के संबंध में एक घण्टे की चर्चा–जारी।

4–(i) कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य की 50 हजार एकड़ से भी अधिक भूमि लुप्त हो जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर स्वीकृत एक घण्टे की चर्चा–जारी।

(ii) राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास निधि के गठन के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर स्वीकृत एक घण्टे की चर्चा–जारी।

5—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा–जारी।

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बंद कर दिया जाय।"

30 बुधवार, 31 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

जून, 2001

1 शुक्रवार — (1) विथीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) 4.00 बजे अपराह्न से

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29 मई, 2001 को नियम 56 में 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं एवं 311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित किया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं ।

प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री बी० आर० वर्मा की है यह सूचना नियम–311 में प्राप्त हुई थी जिसको नियम–56 में ले लिया गया है । इसी विषय पर श्री आर० के० चौधरी, श्री लालजी वर्मा एवं श्री राम अचल राजभर की सूचना है ।

दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है । तीसरी सूचना श्री राम प्यारे सिंह व वसीम अहमद की है। इस प्रकार चौथी सूचना डा० अशोक बाजपेयी व कुंवर रेवती रमण सिंह की है । पांचवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है तथा छठी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह की है । सातवीं सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की है तथा आठवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है । नवीं सूचना श्री रामशंकर पाल व श्री आर० के० चौधरी की है तथा इसी विषय पर श्री उदयराज यादव की सूचना । 10वीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न रोकने के लिए और उनके त्वरित विकास के लिए भारत सरकार ने 1980 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की योजना बनायी थी और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इन वर्गों के लिए आर्थिक विकास के काम संचालित किये थे । इन वर्गों के विकास के लिए जो भारत सरकार ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राइबल प्लान संचालित किये थे उनमें व्यवस्था की गयी थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर वार्षिक योजना का परिव्यय निर्धारित किया जाय । यह जो धन आवंटन करने की बात कही गयी थी उसका मकसद साफ था लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ जिसका कारण यह था कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी क्योंकि हमेशा मात्राकरण के आधार पर आवंटन किया जाता रहा है । सन् 1980 से लेकर 1995 तक लगभग 15 साल मात्राकरण के आधार पर परिव्यय आवंटित किया जाता रहा है । इसमें भी जो धन खर्च हुआ यह मात्र 8 फीसदी खर्च किया गया है और लगभग 11 फीसदी धन बच गया । कभी भी स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल प्लान योजना का सही-सही कार्यान्वयन नहीं किया गया । भारत सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया । जब यह देखा गया कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तो सन् 95 में एक शासनादेश जारी किया गया जिसका मकसद था कि इन जातियों की जनसंख्या के

आधार पर जो अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत है, और जनजाति का प्रतिशत 0.21 है उसके अनुसार कुल बजट आवंटित किया जाय । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार असफल रही जिसके कारण 16 अक्टूबर, 1995 को फिर एक नया शासनादेश जारी होता है जिसके तहत 21 प्रतिशत तथा 0.21 धन स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और सब ट्राइबल प्लान के लिए निश्चित किया जाता है ।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

पूरे देश की आजादी के बाद से लेकर 1980 में जब योजना लागू की गई । 80 से लेकर आज तक केवल 1996-97, 1997-98 में ही शत् प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जो योजना बनाई गई थी उसमें यह धन खर्च किया गया । उनके हर प्रकार के उन्नयन के लिए जो भी इसकी मद में खर्च किया जाना था वह खर्च किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने जब शत् प्रतिशत इस योजना में धन 1996-97, 1997-98 में खर्च किया गया तो भारत सरकार ने भी यहां के इस क्रियाकलाप की काफी सराहना की । तत्कालीन नियोजन राज्य मंत्री, भारत सरकार के निर्देश पर इसकी सराहना करते हुए देश के अन्य सभी प्रदेश हैं उनको निदेश जारी किया जाता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए उनकी जनसंख्या के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1996-97, 97-98 में धन आवंटित किया गया है उसी प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों में भी उसका अनुश्रवण करना चाहिए अनुश्रवण करना तो दूर जैसे ही उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्य मंत्री बनते हैं और उनके मुख्य मंत्री बनते ही 1998 की 18 जनवरी को यह एक महत्वाकांक्षी योजना को जो अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास से जुड़ी हुई थी, उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती थी उसमें कुठाराघात करते हुए इसे 1995 के पूर्व की स्थिति में लाते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया । यह नया शासनादेश 12 जनवरी, 1998 को तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आर० एस० माथुर ने जारी किया है वह शासनादेश अर्धशासकीय-पत्र 17/2-4/95-96 जारी किया गया है, 16 अक्टूबर, 1996 के पूर्व की स्थिति को जो बहाल किया गया है वह अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के खिलाफ है । इस प्रकार से जो शासनादेश है उसे निरस्त कर देना चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि इसी विषय पर यहां के जो पूर्व महामहिम राज्यपाल थे उन्होंने भी इस पर अपना आक्रोश जाहिर किया था और प्रधान मंत्री को, उत्तर प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेंट योजना ठीक ढंग से नहीं चल रही, इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए पत्र भी लिखा था । इस पत्र के बाद यहां उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश भी आये थे कि इसको सही ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए । इसी बिन्दु को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल जी ने राज्यपालों का सम्मेलन भी किया था उसमें 7 राज्यपाल इकट्ठा भी हुए थे उस राज्यपाल सम्मेलन में भी इस बात पर गुस्सा जाहिर किया गया था, आक्रोश जाहिर किया गया था कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जो अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की योजना बनी है, उसको कारगर ढंग से हर प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए । इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है यह लगातार अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के खिलाफ काम कर रही है । भारत सरकार की मंशा के विरुद्ध काम कर रही है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यह लगातार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों पर कुठाराघात करती जा रही है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोकमहत्व का विषय है । केवल अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी आज उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ है यह 6 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है इससे पूरे प्रदेश के दलित समाज के लोग चिन्तित हैं, इस सरकार के रहते भयाक्रांत भी हैं आक्रोशित भी हैं कि यह सरकार लगातार हमारे हितों पर कुठाराघात करती जा रही है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसे समाज के लोगों के लिए जो सदियों से विकास से वंचित है, दलित हैं, शोषित हैं उनके उन्नयन के लिए जो विषय उठाया है, महत्वपूर्ण है । ऐसे लोगों के यहां विकास की किरण पहुंच सके इस मंशा को लेकर तत्कालीन भारत सरकार ने 1980 में सभी प्रान्तों को पत्र लिखकर पूछा था और चाहा था कि जितने भी उनके यहां अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी का प्रतिशत है उसके हिसाब से वहां बजट को मात्रीकृत किया जाय । 95 में गहन अध्ययन कराया गया । किसी भी वित्तीय वर्ष में चाहे वह 91-92 रहा हो या 93-94 इन जातियों के विकास के लिए 9.7 तो कहीं 3.8 और अधिकतम 11 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं किया गया । इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाकर उसके तहत मोडल बनाकर 21 प्रतिशत और सब ट्राइब प्लान के लिए 0.21 प्रतिशत मात्रीकृत करके बजट मात्रीकृत किया । पूरे देश में केन्द्र सरकार ने इसको एक आदर्श मानकर एक प्रपत्र के माध्यम से इस योजना को सर्कुलेट किया और आशा की कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है उसी तरह से सभी जगह इस योजना को लागू किया । इसके बाद 95-96 फिर 97-98 में जो मात्राकृत किया गया उसके अनुरूप व्यय नहीं किया गया । कारण 12 जनवरी, 98 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इसको अपने नजरिये से देखने का काम किया । उन्होंने शासनादेश जारी करके जिसकी मानीटरिंग के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव को बनाया गया उस नोडल विभाग की अध्यक्षता दी गई उसको चेन्ज करने का काम किया गया इसका हश्र यह हुआ विगत 98-99, 99-2000 और 2000-2001, मान्यवर, 2000-2001 का आंकड़ा उपलब्ध तो नहीं है मैंने कोशिश जरूर की जानने की, परन्तु जो 97-98, 98-99, 99-2000 इन तीन वर्षों का जो आंकड़ा है चाहे वह सेवा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वह शिक्षा का विभाग हो, सेवा के अन्य विभाग हों, कृषि विभाग या जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पी० डब्लू० डी० विभाग है, सिंचाई विभाग हो, ग्राम्य विकास विभाग हो, इनमें जो मात्राकृत किया गया था कि 21 परसेन्ट पैसा अनुसूचित जाति के उन्नयन में खर्च होगा । माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो आज आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं होंगे तो सारे आंकड़ों को भी मैं बताना चाहूंगा, ये सारे आंकड़े देख लेंगे इन तीन वित्तीय वर्षों में जितना 21 परसेन्ट था उसके अगेन्स्ट कहीं 20 प्रतिशत किसी एक विभाग में, इससे ज्यादा खर्च नहीं हुआ है । ज्यादा से ज्यादा बीस परसेन्ट और कम से कम 9.7 परसेन्ट खर्च हुआ है । इसी तरह से मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 का आंकड़ा हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया । पूरा डि स्ट्रिक्ट प्लान चाहे ऊर्जा हो, चाहे पी० डब्लू० डी० हो चाहे पेयजल का हो.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, समाप्त कर दूंगा । हमने बताया कि बहुत ही कम लोग के हस्ताक्षर हैं, कम लोग बोलेंगें । इसलिये थोड़ा समय दे दें । मान्यवर, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बना था उसमें मात्राकृत किया गया परन्तु डिस्ट्रिक्ट प्लान जीरो कर दिया गया है । जो इनका स्टेट सेक्टर था, किसी भी विभाग का अगर देखेंगें उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की कितनी उपेक्षा हुई है । इनके हर विभाग के जो आंकड़े हैं, मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप लाल बत्ती जला दे रहे हैं । हर विभाग में स्टेट सेक्टर से पैसा मिलता था लेकिन इतना बड़ा भेद-भाव किया गया है अनुसूचित जाति के साथ । कहीं पर 3% कहीं पर 7% कहीं पर 5.2% किया गया है । इस तरह के आंकड़े इनके विभिन्न विभागों के हैं । डिस्ट्रिक्ट प्लान जीरो हो गया । एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ । इस तरह से आज जो सदियों से वंचित लोग हैं, जिनको आवश्यकता थी, विकास की गति में जो ज्यादा पिछड़ गये हैं, उनके विकास की आवश्यकता थी । ऐसे

लोगों को त्वरित गति से मात्राकृत करके विकास की मुंख्य धारा में चलने के लिये जोड़ने की आवश्यकता थी । आज जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं रोजगार करना चाहता है, उनके घरों पर पहुंचने के लिये सड़कें नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा । मान्यवर, जब अनुसूचित जाति का आदमी अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहता है और दरवाजे तक अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाकार विदा करना चाहता है, दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आता है तो आगरा का पनवारी जैसा कांड होता है । आये दिन वह अपने घरों से निकल नहीं पाता है । बेगारी करना बन्द करता है तो किस रास्ते से जायेगा हमारे खेतों की मेड़ पकड़कर जाता है । आजादी के 52 साल बाद आज भी इस तरह के शब्द अनुसूचित जाति के लोगों को सुनने को मिलते हैं । इसको ध्यान में रखकर डा० साहब की शताब्दी वर्ष जब शुरू हुआ था, तमाम योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं लेकिन सही मायने में 1995 और 1997 में जब बहिन मायावती मुख्य मंत्री थीं अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना के तहत दस-दस गांवों को चिन्हित करके, उनके विकास करने का काम किया था । गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया ताकि आजादी के 52 साल के बाद गांव का किसान मेंड़ से न जाकर, सुश्री बहन मायावती द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पक्की सड़क से जायेगा । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बन्द करा दिया, कागजों में नहीं बन्द किया लेकिन व्यवहारिकता में बन्द करा दिया । उत्तर प्रदेश के जितने गांव अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना में चयनित किये गये हैं वहां न विद्युतीकरण किया जा रहा है न पक्की सड़क बन रही है, इससे सदैव से विकास से वंचित जो लोग रहे हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके प्रति अत्याचार और दलित विरोधी जो इनकी मानसिकता है वह परिलक्षित हो रही है । उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जो शिड्यूल कास्ट के थे उनके साथ इस नाते ऐसा व्यवहार किया गया, क्योंकि वह सभी विभागों का जो देय पैसा था उसको भेज देते.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसलिए उनको हिमांचल प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया, इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों का विकास नहीं चाहती है, अनुसूचित जाति विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता के नाते अनुसूचित जाति के लिए धन व्यय नहीं करना चाहती है । इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों में आक्रोश है । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वर्मा जी ने जो विचार व्यक्त किये उसे मैं दो भागों में समझ पाया, विचारों का एक भाग दार्शनिक था दूसरे भाग में आंकड़े दिये गये थे और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित वर्ग की उपेक्षा कर रही है, मैं संक्षेप में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं । श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी, वर्मा जी और अन्य नेतागण ईमानदारी से इस पर विचार करें । बात कही जाती है लेकिन बात कहने के साथ सामजंस्य स्थापति करके बात का निष्कर्ष निकालना चाहिये । मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान क्या है यह वास्तव में उसी वर्ग के लिए है, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लिए हैं, यह उपेक्षित लोग

हैं समाज में इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । अगर यह उपेक्षित न होते तो यह हालत न होती, उनको भी बराबर में खड़ा होना चाहिए इसके लिए योजनायें सभी सरकारों ने बनाई हैं । पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना 1980-81 में तैयार की गई, पहली बार 1980-85 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का शब्द आया ताकि इस वर्ग के लिए प्राविधान किया जाये और प्राविधानित धनराशि उनकी देखभाल में खर्चा हो । छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई इसमें राज्य सरकार का कुल योजनागत परिव्यय 6 हजार 200 करोड़ रुपया था । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में 570 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया । कुल नौ प्रतिशत खर्चा हुआ । सात प्रतिशत शनैः-शनैः धनराशि दी गई । नवीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2000 तक 18.98 का प्राविधान किया गया, 1997-98 की वार्षिक योजना है इसमें 20.23, 1998-99 का 21.01 और 1999-2000 में 20.75 और दो हजार-दो हजार एक में 20.94 यह प्राविधानित किया गया । हम नौ से बढ़ाकर बीस, इक्कीस प्रतिशत तक ले आये हैं । आपकी पीड़ा यह है कि इसका स्वरूप बदल दिया गया और जो जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को दी गयी थी उससे यह जिम्मेदारी ले ली गयी । मान्यवर, पालिसी क्या है यह मैं रखना चाहता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पीड़ा केवल इस बात की है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, जो मंत्रीकृत किया गया उसमें कितना व्यय हुआ, विभिन्न विभागों को देखेंगें तो किसी में सात प्रतिशत किसी में नौ प्रतिशत.....

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह भी बता देता हूं । क्योंकि समझना पड़ेगा, कि प्राविधानित किया जो टोटल प्लान का ले आउट था, उसके अगेन्स्ट खर्च कम हुआ । आपने आऊट ले तो बढ़ा दिया लेकिन आप संसाधन नहीं जुटा पाये । संसाधन किसी के पास नहीं रहे । हर मुख्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली से हम आऊट-ले ले आये हैं लेकिन उसके विरूद्ध संसाधन नहीं जुटा पाये । इससे यह चिन्ता का विषय बन गया । मान्यवर, पहली बार एक सही निर्णय लिया कि हम आऊट ले उतना ही लेंगे जिसके अनुरूप हम संसाधन जुटा पायेंगे । यह हमारे मुख्य मंत्री जी का साहस था । उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे जनता में क्या मैसेज जायेगा । एक व्यवहारिक पहलू देखें । 2000-2001 के लिए 11,400/- था इस बार 9025/- किया । यदि और बढ़ा देते तो खर्चा होता 50 प्रतिशत । जो व्यय करने वाली बात कही गयी है सही स्थिति यह है कि छठीं पंचवर्षीय योजना में सात प्रतिशत, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 85-90 तक की थी उसमें 10 प्रतिशत और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 13 प्रतिशत तथा यह जो नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है 97–2001 की इसमें 11 प्रतिशत है । इसका खर्चा हम नहीं बता पायेंगे क्योंकि अभी पूरा विवरण आया नहीं है । अभी यह चल रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 1996-97, 97-98 में किसी योजना का शत्प्रतिशत क्रियान्वयन हुआ और कुल परिव्यय 1996-97 में सात हजार सतहत्तर करोड़ था जिसमें से 1916 करोड़ रुपया समाज कल्याण ने इस योजना के तहत खर्च किया था । जो उनकी जनसंख्या के मुताबिक 21 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत है । तो यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिस तरह से 96-97 में जितना प्रतिशत खर्च किया गया था क्या उसी तरह से प्रतिवर्ष कुल बजट का 21 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत खर्च करने को सुनिश्चित करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मौर्या जी आपका आशय मैं समझ गया हूं यह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में 96-97 में जो नीति बनायी गयी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में परिव्यय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया तथा इस आशय के निर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 16 अक्टूबर,

1995 निर्गत किया गया इसका परिणाम यह हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल आयोजनागत व्यय रु० 5904.35 करोड़ के सापेक्ष क्रमशः (1242.53 करोड़ व रु० 40.35 करोड़) 21.04 व 0.68 प्रतिशत व्यय हुआ एवं 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) हेतु इसकी जनसंख्या के अनुपात में योजना तैयार कराकर कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया । मान्यवर, योजना तो वही है आधार वही है । अन्तर की जो बात है वह स्पष्ट कर दें ।

मान्यवर, एक जी० ओ० अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1998 द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया । पुनः राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1998 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान से सम्बन्धित योजनाओं/उप योजनाओं में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षित मात्राकरण किया जाये । मान्यवर, यह केवल शब्दावली का अन्तर है । मान्यवर, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा मात्राकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सम्प्रति राज्य योजना आयोग–1 का समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2000 की व्यवस्था प्रभावी है । जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है ।

जिला योजनाओं से 50 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत अंश स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान हेतु परिमात्रीकृत किया जायेगा ।

प्रदेश की कुल योजना में सेक्टर वार परिव्यय में से उक्त परियोजना हेतु परिमात्रीकृत परिव्यय के समक्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में प्रशासकीय विभाग एवं नियोजन विभाग के परामर्श से सेक्टर वार/योजनावार फंड को अन्तिम रूप देते हुए प्रदेश के संकलित स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान उप योजना, नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो उसका समावेश प्रदेश की योजना में करेंगे ।

मान्यवर, अन्त में यह है कि विभागों को परिमात्रीकृत परिव्यय में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार नहीं होगा । यह भी नहीं है कि डाइवर्जन कर दिया जाये । जहां ऐसा अपरिहार्य होगा वहां संबंधित विभाग को समाज कल्याण विभाग को संतुष्ट करते हुए उनकी अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

मान्यवर, इस तरह से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को उनके अनुपात में लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजनाओं का चयन/चिन्हांकन करने व सेक्टर वार/योजनावार मात्राकरण के उपरान्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं को कार्यानिवत करने की कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, इस तरह से कोई अन्तर नहीं आया । कठिनाई कहां है आपने कहा कि गवर्नर को हटा दिया । यह बिल्कुल दूसरे स्वरूप के पद होते हैं जहां जिसकी उपयोगिता होती है वहां रखे जाते हैं । महामहिम राज्यपाल जी सबके चहेते थे जहां उनकी आवश्यकता पड़ी वे वहां चले गये । कठिनाई कहां आयी किसी योजना जो आगे कार्य रोक देते हैं सड़क बनती है वह अम्बेडकर ग्राम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं सड़क तो बन गयी अब सड़क बनने में यह आपत्ति होने लगी कि इसे आरक्षित करके लिख दिया जाये दूसरा व्यक्ति सड़क पर नहीं चलेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आपका अनुसूचित जाति के प्रति लगाव उसी दिन से स्पष्ट हो जायेगा आपने वर्षवार छठी योजना से शुरू किया 96-97 तक का बताया कि कितना-कितना मात्रात्मक किया गया, कितना व्यय हुआ । एक साल के बाद बजट अनुमोदित होता है दूसरे साल पुनरीक्षित होता है तीसरे साल वास्तविक हो जाता है । 96-97 का बजट वास्तविक हो गया और आगे देखें तो 97-98, 98-99, 99-2000 का वास्तविक हुआ

अब 2000-2001 का पुनरीक्षित है और 2001-2002 का अनुमानित है तो जो वास्तविक बजट हो गया कितना व्यय हुआ ? 97-98, 98-99, 99-2000 में कितना मात्रात्मक किया गया और कितना व्यय किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

1998-99 की बात आप कह रहे हैं आउट-ले प्लान के लिए कितना हुआ ? कितना धन उपलब्ध हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इनका कहना है कि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । मान्यवर, इस सरकार में जम्बोजेट मंत्रिमंडल को अनाप-शनाप खर्च करने के साधन हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए जो भारत सरकार ने योजना बनायी है स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और दूसर ट्राइबल सब-प्लान के लिए पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, यह मंत्री जी का जवाब आ रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का पक्ष आ रहा है उसको आने दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बता दें कि 99 में, 2000 में कुल बजट का अनुसूचित जाति का जनजाति का स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान में कितना व्यय किया है ?

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं हो रही है, ग्राह्यता पर आप दोनों माननीय सदस्यों को सुना गया, अब शासन का पक्ष आ जाने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास सारी सूचना है मैं बड़े अदब के साथ माननीय मौर्या जी से इतनी बात कहना चाहता हूं कि सारे अनुसूचित जाति जनजाति को आपने तो केवल वोट तक सीमित करके रख दिया है हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सारे समाज को तोड़ने का ठेका आपने ले लिया है । ये सबसे बड़े शोषक बैठे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह दलित विरोधी बात करते हैं.....

(श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री रामवीर उपाध्याय व श्री जगदीश नारायण राय आदि बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्या जी, अपने सदस्यों से कहें कि वह स्थान ग्रहण करें ।

माननीय मौर्या जी अपने सदस्यों को वापस बुलाइये । कृपया शासन का पक्ष सुन ले ।

(श्री अधिष्ठाता के बार-बार आग्रह करने के बावजूद सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपने आसन पर वापस न जाकर बराबर नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 48 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 48 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आप स्थान ग्रहण करें। शासन का पक्ष आने दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। मैंने ग्राह्यता पर आप लोगों को सुन लिया, शासन का पक्ष आ रहा था, चर्चा तो स्वीकृत नहीं है। पहले शासन का पक्ष आ जाने दीजिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो मात्राकृत किया था, उस.....

श्री अधिष्ठाता–

शासन का पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद जो पूछना हो, पूछ लीजियेगा। यदि इस तरह बीच-बीच में क्वेरी होती रहेगी तो किस तरह से स्थिति साफ हो पायेगी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हमारे पास भी सूचना है, विभाग वाइज। 2 अगस्त, 2000 को जो शासनादेश जारी हुआ है,मैं उसी की बात कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन तो सुन लें। मैं कह रहा हूं कि इस तरह बीच-बीच में प्रश्न उठेगा तो आपकी बात का जवाब कैसे आ पायेगा ? इसलिए शासन का पक्ष पहले आ जाय, कुछ पूछना हो, उसको ध्यान में रखियेगा, फिर पूछ लीजियेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

शासनादेश जो जारी किया है, वह 10 प्रतिशत का है, जबकि बात 21 प्रतिशत की हुई थी तो 10 प्रतिशत करने का क्या औचित्य है।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं हो रही है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 97-98 में आवंटन हुआ 1448 करोड़ और खर्च हुआ 1062 करोड़। इस प्रकार आवंटन हुआ 20 प्रतिशत, खर्च हुआ 18 प्रतिशत। 98-99 में आवंटन हुआ 2156 करोड़ और खर्च हुआ 1354 करोड़ इस प्रकार आवंटन हुआ 21.01 प्रतिशत और खर्च हुआ 21.31 प्रतिशत। मान्यवर, वर्ष 99-2000 में 2365 करोड़ का आवंटन हुआ और खर्च हुआ 1153 करोड़, प्रतिशत आवंटन का था 20.75 और खर्च का प्रतिशत है 17.54, वर्ष 2000-2001 में 1884 करोड़ का आवंटन हुआ और 1094 करोड़ खर्च हुआ और आवंटन का रेशियो था 20.94 और खर्च हुआ 13.37, यह टोटल मैंने बता दिया और प्रतिशत भी। आपकी क्वैरी है कि 21 परसेंट से 10–15 परसेंट क्यों किया गया, इसमें डिस्टिक योजना की बात आई, जब 50 प्रतिशत जिला योजना में ही आरक्षित कर दिया गया है तो हमने यह 10–15 परसेंट कर दिया है तो कम होने के बजाय मात्रा बढ़ गयी है और जो मैंने सोचा था और

हमने उसी के अनुरूप कार्यवाही की है लेकिन आपकी सोच कुछ और हो सकती है कि केवल एक वर्ग विशेष के लिए यह है और बाकी को यह संदेश देना हो कि उनकी उपेक्षा हो रही है लेकिन हमारी योजना सभी वर्गों के विकास के लिए, समरसता के लिए है किन्तु जो शोषित और दलित हैं उनके लिए विशेष योजना बनाकर, उन्हें डेवलप करें, विकास का अवसर दें, यही कहना था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सोच केवल एक वर्ग विशेष के लिए है, हम भी कहते हैं कि विकास सब का जरूरी है, सब का होना चाहिए लेकिन जो सदियों से वंचित हैं, अगर उनको बराबर लाना है तो उनके लिए ज्यादा विकास की जरूरत है । मान्यवर, मेरा कहना है कि जब आपने यह शासनादेश जारी कर दिया कि जो स्टेट सेक्टर है उसमें 10 परसेन्ट और जो आप जिला योजना में 50 परसेन्ट आप बता रहे हैं तो 50 परसेंट का शासनादेश मंत्री जी ने जारी नहीं किया और नम्बर–2 जैसा मान्यवर, आप ने स्वयं भी जिज्ञासा जाहिर की थी कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में 2000-2001 में सड़क के मद में, ऊर्जा के मद में और दूसरे विभागों के मद में तो पैसा गया ही नहीं, शून्य हो गया और मंत्री जी ने कहा है कि.....

श्री अधिष्ठाता–

50 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 50 परसेंट का कोई शासनादेश जारी किया न किसी डिस्ट्रिक प्लान में मात्रागत हुआ, वह जो हुआ है वह मात्र 21 परसेंट हुआ तो क्या मंत्री जी स्टेट सेक्टर से उस पैसे को खर्च करके अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट और जो सब ट्राइबल प्लान हैं उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ नहीं कहना है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि करोड़ों-करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । सरकार यह तो कहती है कि 21 प्रतिशत धन उसके लिए आवंटित करते हैं । अभी खुद माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1999 का 17 प्रतिशत धन खर्च किया है और 2000 में 13 प्रतिशत खर्च किया । मान्यवर, 1995 के पहले 8 और 10 प्रतिशत के बीच में धन की व्यवस्था रहती थी और कभी-कभी 13 प्रतिशत तक पहुंचती थी । वर्ष 2000 में मंत्री जी ने बताया कि 13 प्रतिशत पर आ गया । अगर इनकी मंशा है और यह वाकई में उनके हितों के रक्षक हैं तो उनकी जनसंख्या के मुताबिक जिस तरीके से 1996-97 और 1997-98 में पूरे बजट का 21.4 प्रतिशत धन आवंटित किया गया था और आवंटन करके खर्च भी किया गया था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था उस समय सुनिश्चित की गयी थी उसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, चर्चा नहीं हो रही है । ग्राह्यता पर आपकी बात आ गयी, अब आप बैठें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल सूरजभान जी ने भी चिन्ता व्यक्त की और राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा, राष्ट्रपति महोदय ने प्रधान मंत्री जी को लिखा और प्रधान मंत्री जी ने सचिव को लिखा । पुष्पा सुब्रहमणयम जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा लेकिन अभी जो 21 जुलाई, 2000 को शासनादेश का जिक्र कर रहे थे वह शासनादेश 1995 की स्थिति बहाल करने के लिए है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर, 1995 को शासनादेश जारी हुआ था, क्या यह सरकार उस शासनादेश का अनुपालन करेगी या नहीं करेगी ? इस पर माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं । जिस शासनादेश के तहत 1996-97 में 21 प्रतिशत धन जनसंख्या के अनुपात में आवंटित करके खर्च किया गया था, उसको यह सरकार सुनिश्चित करेगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और शासनादेश की कापी आपके पास भेज रहा हूं । यह शासनादेश 21 अगस्त, 2000 का है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मात्राकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से ह्यासन द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन और प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की एक समिति गठित की गयी और समिति की संस्तुतियों के अनुरूप शासनादेश 3 सितम्बर, 1997 के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न व्यवस्था की जाती है । जिला योजना से 50 प्रतिशत, राज्य सेक्टर से 10 से 15 प्रतिशत अंश ट्राइबल सब प्लान में मात्रीकृत किया जायेगा । शासनादेश की कापी आपके पास भेज रहा हूं । वह केवल एक योजना विशेष के लिए नहीं हुआ है । वह सभी जिला योजनाओं के लिए किया गया होगा । हमारे वित्त मंत्री द्वारा जिला योजनाओं को जो धन का प्राविधान किया गया था उसी के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराकर कार्यवाही की जाएगी । ऐसा नहीं है कि जिला योजनाएं कम हो गयी हैं । जिला योजनाएं तो दी गयी हैं वह अपनी जगह ही हैं, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो 21 परसेन्ट धन सभी विभागों को मात्रीकृत किया गया है क्या उसको उसी के अनुरूप व्यय करने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करवायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने एक सवाल 21 परसेन्ट धन के बारे में उठाया है तो कहना चाहता हूं कि विकास योजनाओं के लिए जो 2001-2002 की वार्षिक योजना है उसके लिए 8,208 करोड़ रुपये हैं जिसमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए 1722 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है यह 21 परसेन्ट बैठता है । जो वार्षिक जिला योजनाओं को मिलने वाला धन है वह 21 परसेन्ट से कम नहीं है वह अपनी जगह ज्यों का त्यों कायम है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार की नीयत साफ नहीं है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय मौर्य जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । माननीय मौर्य जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(संसदीय कार्य मंत्री के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर बहुजन समाज पार्टी के श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी आदि अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(शोर)

(सदन की वेल से नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम–56 के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया :–

श्री संजय गर्ग	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में उल्लिखित सभी जातियों को संविधान के अनुच्छेद–38 के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में समुचित लाभ न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
श्री रामप्यारे सिंह एवं श्री वसीम अहमद	जनपद आजमगढ़ में जामियां उर्दू अलीगढ़ प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानकर वेतन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
डा० अशोक बाजपेयी एवं कुंवर रेवती रमण सिंह	प्रदेश में सार्वजनिक उद्यमों के निरन्तर बन्द होने के सम्बन्ध में ।
श्री रघुवर दयाल वर्मा	जनपद अलीगढ़ के अतरौली थानान्तर्गत ग्राम बसई व रामपुर मुजरवा में पुलिस द्वारा नागरिकों की पिटाई किये जाने तथा फैजाबाद के अयोध्या नगर में स्वामी नृत्यगोपाल दास पर बमों से हुए हमले के सम्बन्ध में ।
श्री अशोक कुमार सिंह	जनपद फतेहपुर की पुलिस की निरन्तर बढ़ती निरंकुशता से जनसामान्य विशेषतः व्यापारियो/संभ्रान्तजनों में व्याप्त भयंकर आक्रोश के संबंध में ।
श्री रामतेज यादव एडवोकेट	जनपद बहराइच व बाराबंकी में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के कार्यों में ठेकेदारों के लम्बित भुगतान के संबंध में ।
श्री भीम प्रसाद सोनकर	प्रदेश में घटिया पेय पदार्थों यथा फैन्टा, कोकोकोला, पेप्सी आदि के प्रयोग से जनसामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में ।

(श्री राम शंकर पाल तथा श्री आर० के० चौधरी का नाम पुकारा गया किन्तु वे अनुपस्थित थे ।)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उदय राज यादव — जनपद उन्नाव में यू० डी० डी० एस० शराब फैक्ट्री की दीवार गिरने से मजदूरों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में ।

श्री राम विशुन आजाद — प्रदेश में वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा खालों आदि की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

जिन मा० सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं उनके नाम हैं :—श्री मूलचन्द्र, श्री रामचन्द्र यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर व श्री विनोदमणि, श्री मो० मुकीम ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या—18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,11,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,11,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या—4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या—7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या—8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,32,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(शोर)

(श्री जगदीश नारायण राय, श्री भगवती प्रसाद, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री अब्दुल मन्नान, श्री आर० के० चौधरी, श्री आर० के० सिंह 'पटेल', श्री शिव प्रसाद तथा श्री अरिमर्दन सिंह के साथ बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित सूचना पर व्यवधानरत सदस्यों को सदन त्याग के निर्देश तथा निर्देश वापसी की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया आसन ग्रहण करिये । माननीय मौर्या जी, आप माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बुलायें ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी माननीय सदस्य जो सदन के वेल में हैं सदन का त्याग करें । मैं निर्देश देता हूं कि आप सदन का त्याग करें ।

(श्री अधिष्ठाता ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–299(1) के अन्तर्गत फ्लोर में खड़े सभी सदस्यों को सदन त्याग करने का निर्देश दिया ।)

(नारे निरन्तर लगाये जाते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अभी संसदीय कार्य मंत्री ने 21 अगस्त, 2000 के शासनादेश को प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से साफ-साफ स्पष्ट कर दिया गया है । जिला योजनाओं से 50 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर से 10–15 प्रतिशत धन स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान में प्रमाणित जाता है । अतः भारत सरकार की मंशा के अनुरूप 1980 से लेकर आज तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान ट्राइबल सब प्लान को सरकार रद्दी की टोकरी में डालना चाहती है इसलिए यह सरकार दलित विरोधी है, इसी नाते इन्होंने महामहिम श्री राज्यपाल श्री सूरजभान का यहां से बोरिया बिस्तर बांध दिया । यह अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है । उनके हितों के खिलाफ काम कर रही है । सरकार की इस नीति के विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

जो सदस्य वेल में उपस्थित थे मैंने उनको सदन त्यागने का निर्देश दिया था मेरे आग्रह पर उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया था इसलिए वह निर्देश मैं वापस लेता हूं ।

[श्री अधिष्ठाता ने नियमावली के नियम–299(1) के अन्तर्गत दिये गये अपने निर्देश को वापस ले लिया ।]

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो बजट पारित हो गया, उस पर पुनः चर्चा करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सम्भव नहीं है ।

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मद संख्या 8 (3) मद संख्या 8 (4) को एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (क्रमागत)

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,32,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,03,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उद्योगों के विकास पर कुल बजट 2 अरब छाछठ करोड़, चौबीस लाख 47 हजार रुपये जिसमें खानें एवं खनिज पर 7,99,52,000 भारी एवं मध्यम उद्योग पर 2 अरब 19 करोड़, 10 लाख 7 हजार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर 40 करोड़ 40 लाख 88 हजार अलग-अलग धनराशि है । कुल मिलाकर निवेदन यह है कि आर्थिक विकास के युग में आज आर्थिक विकास की परिकल्पना अगर करनी है तो उद्योग को अलग करके आर्थिक विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के लिए सरकार ने तमाम देश भर के उद्योगपतियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित किया है । जिस कारण प्रदेश में निवेश की स्वतंत्रता दी गयी है उसी कारण सारे देश के उद्यमी प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं । खनन के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है और तमाम कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं । स्कूल, चिकित्सालय, सड़क इत्यादि सुविधायें मुहइया कराई जाने के लिए खनिज विकास निगम का सृजन किया गया है । उद्योगों को गति देने के लिए ग्रोथ सेन्टर्स का विकास किया गया है,वे हैं बिजौली (झांसी) शाहजहांपुर, मुरादाबाद, खुर्जा (बुलन्दशहर) एवं दिबियापुर ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को इस कार्य के लिए नोडल एजेन्सी बनाया जा रहा है । 2001-2002 में कार्य हेतु अधिक रुपयों का प्राविधान किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में निगम के अंश को राज्य सरकार द्वारा रु० 41.25 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है तथा सिडबी से

नोट :–अनुदान संख्या–4 पूर्व पृष्ठ ...109.... पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

भी 41.25 करोड़ की धनराशि अंश पूंजी के रूप में प्राप्त हो सकेगी इस प्रकार निगम की चुकता पूंजी रु० 100 करोड़ से बढ़कर 182.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जिससे किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी ऋण इत्यादि में स्वतंत्रता और सहायता प्रदान की जा सके और इससे उद्योगों के विकास को समुचित स्थान मिलेगा । उद्योगों की स्थापना और उनकी सुविधा की दृष्टि से बलवती बनाने के लिए सरकार ने पश्चिमांचल के विकास के लिए सहभागिता का विकास किया है और अवस्थापना की व्यवस्था की गयी है । उद्योगों की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले जहां दर-दर भटकना पड़ता था तो इस समस्या के समाधान के लिए एक मेज योजना की व्यवस्था की गयी है जहां पर 60 दिन के अन्दर उनकी समस्याओं आदि का समाधन हो सकेगा और समय की भी बचत होगी । हमारी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है । हमारी सरकार ने जो उद्योगों के आमंत्रण का प्रस्ताव किया है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है । गुजरात और राजस्थान को छोड़कर तीसरा स्थान हमारा है । 2000-2001 के बजट में रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गयी । जो उद्यमी वित्तीय या व्यक्तिगत कारणों से अपनी इकाइयों को बन्द करने या बेचने का कार्य करने जा रहे थे तो सरकार ने उन रुग्ण इकाइयों को प्रदेश सरकार ने सरप्लस मनी की व्यवस्था की है और निश्चित रूप से ये छोटे उद्यमी अपनी रुग्ण इकाइयों को इस व्यवस्था योजना के चलते आगे बढ़ा सकेंगे । उद्योगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की दृष्टि से और उन्हे अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना बनाई है । इस सबके विकास की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निवेश टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कार्ययोजना को क्रियान्वित बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाकर कार्य होगा जिससे निश्चित रूप से उद्योगों को गति देने का प्रयास किया जायगा । यह सफल प्रयास होगा । उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ेगी और उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकेंगे । प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र का भी गठन किया गया है । ग्रेटर नोएडा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है । प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को स्थापित किये जाने हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कन्सल्टेन्ट्स से प्रस्ताव मांगे गये हैं । नोएडा से आगरा तक 'एक्सप्रेस वे' के निर्माण हेतु 'ताज एक्सप्रेस वे प्राधिकरण' का गठन किया गया है और इसके लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है । इस प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन करके निजी पूंजी निवेश के माध्यम से 'एक्सप्रेस वे' का निर्माण कराया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रदेश में चार जनपद बुलन्दशहर सहारनपुर, वाराणसी एवं लखनऊ स्थित प्रमुख मण्डियों के समीप संबंधित मण्डी समिति के सहयोग से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण हेतु एग्रो काम्पलेक्स की स्थापना का कार्य किये जाने की योजना बनाई है । इससे फल एवं सब्जी के प्रसंस्करण के कार्य में गति प्राप्त होगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे । ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को इसमें रोजगार के साधन मिलेंगे । उच्च गति दूरसंचार लिंक एवं सुदृढ़ तथा पर्याप्त क्षमता का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क विकसित किये जाने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता लिये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को मिल सके । प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि अधिनियम, 2001 बनाया गया है । नगम निगमों, नगर पालिका, जिला परिषद् व संबंधित विकास प्राधिकरण कार्यालयों को अपने नेटवर्क पर सूचना के आदान-प्रदान हेतु निःशुल्क 2 एम० बी० पी० एस० की बैण्ड विथ की सुविधा दी जायेगी । इसके साथ ही सरकार ने उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए 5 नगरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी, नोएडा एवं इलाहाबाद में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में किये जाने हेतु निर्णय लिया है और इन पार्कों की स्थापना हेतु 480.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है ताकि गुणवत्ता के साथ

साफ्टवेयर का उत्पादन निर्यात किया जा सके। शासन की आई० टी० नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट के रूप में विकसित किये जाने के लिये जिलों को चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे नागरिकों को सूचनाएं व सेवाएं सही तरीके से प्राप्त हो सकें। पहले चरण में लखनऊ, इलाहाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर हेतु 50-50 लाख और इलाहाबाद के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु यू० पी० डेस्को और इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड तथा एन० आई० सी० से सहयोग लिया जा रहा है। कम्प्यूटर साक्षरता बढ़ाने हेतु प्रथम चरण में आगरा, अलीगढ़, मिर्जापुर व प्रतापगढ़ जनपदों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में जी० आई० एस० पर आधारित निर्णय लिये जाने हेतु यू० पी० स्पेशियल डिसीजन रिपोर्ट सिस्टम योजना आई० आई० टी० कानपुर के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। पहले चरण में लखनऊ के 5 विभाग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई तथा ऊर्जा का अध्ययन कर आई० आई० टी० कानपुर से रिपोर्ट प्राप्त करके शासन को दे दी है और इसके लिए उनको 34 लाख रुपये की धनराशि भी प्रथम किश्त में प्रदान की गयी है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ शाहजहांपुर, बिजनौर, झांसी, कानपुर देहात व प्रतापगढ़ जनपदों हेतु अध्ययन कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के और जनपद भी लाभान्वित हो सकेंगे इन प्रदेश के विभिन्न मण्डलों को राज्य मुख्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़े जाने हेतु ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग योजना'' लागू की जा रही है उक्त सुविधा से माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव, ए० पी० सी० एवं कांफ्रेंस के अध्यक्ष एक ही समय में एक दूसरे से एवं विभिन्न मण्डलों के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा टी० वी० स्क्रीन पर आमने-सामने वार्तालाप कर सकेंगे। योजना हेतु रुपये 238.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन को प्रदान की जा चुकी है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा वित्तीय वर्ष 2000-2001 की जो हमारी विशिष्ट उपलब्धियां हैं, श्रीमन्, 2000-2001 में 2028 करोड़ रुपये के 266 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 2011 रुपये के इच्छा-पत्र आई० ई० एम० एवं 17 करोड़ रुपये के आशय पत्र एल० ओ० आई० हैं। उदारीकरण के कारण बहुत से उद्योगों को आशय पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। इसलिए उनकी संख्या कम नजर आती है।

मान्यवर, ''एकल मेज व्यवस्था'' के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कुल 25225 पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 24854 आवेदन पत्रों का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत किया गया इसकी सफलता की दर 98.53 प्रतिशत है। इससे प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को अभूतपूर्व गति प्राप्त हुई है। इसी तरह से मान्यवर, प्रदेश में निवेशकों को वी० आई० पी० का दर्जा देने हेतु ''वी० आई० पी० गोल्ड कार्ड'' दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। यह सुविधा ऐसे उद्यमियों को दी जाती है जिनकी इकाई पचास करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश अथवा इलेक्ट्रानिक्स व कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक पूंजी निवेश अथवा 100 प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयों के प्रवर्तकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों के प्रवर्तकों को उपलब्ध कराई जाती है। वी० आई० पी० गोल्ड कार्ड धारकों के उद्योगों से सम्बन्धित तीन प्रतिनिधियों को ग्रीन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्ड धारकों को शासकीय कार्यों में प्राथमिकता और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने में प्राथमिकता प्रदान की गयी है। उद्यमियों का मानना है कि इस सुविधा से उनके समय की काफी बचत होती है तथा वह विशिष्ट व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं।

मान्यवर, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए हमने कदम उठाए हैं । विभिन्न विभागों के इंस्पेक्टरों के मनमानेपन तथा निरंकुशता को समाप्त करने के लिए, यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण, बिना सक्षम जिला मैजिस्ट्रेट अथवा मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा । इस प्रक्रिया से केवल यू० पी० पावर कारपोरेशन के सतर्कता दल तथा पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है इससे इंस्पेक्टर राज का व्यवहारिक समापन हो गया है । इस तरह से मान्यवर, प्रदेश की सीमाओं पर व्यापार कर चौकियों की प्रक्रियाओं को सरलीकृत करके औद्योगिक इकाइयों को ग्रीन चैनल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । यह एक प्रभावशाली कदम है । उद्योगों द्वारा कैप्टिव पावर प्लाण्ट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क से मुक्ति प्रदान की गयी है ।

इसी तरह से प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए सात गलियारे चिन्हित किये गये थे यह हैं नोएडा–ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद भदोही–वाराणसी–मिर्जापुर, गोरखपुर बस्ती देवरिया आगरा अलीगढ़ फिरोजाबाद खुर्जा (बुलन्दशहर) कोसी (मथुरा), झांसी ललितपुर, मेरठ मुरादाबाद लखनऊ कानपुर । प्रदेश सरकार का उद्देश्य इन गलियारों में उच्च स्तरीय औद्योगिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने का है, जिससे अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो सके । यह प्रभावशाली कदम हमने उठाया है मान्यवर, प्रदेश की अवस्थापना के विकास हेतु "इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशियेटिव फंड" का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक दृष्टि से वाईबल योजना विकसित की जाएंगी एवं इनका क्रियान्वयन निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में किया जायेगा । इस हेतु दस करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । इस धनराशि से विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं की अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और यह निश्चित रूप से यह सोचते थे कि हमें संरक्षण नहीं मिलता है तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि औद्योगिक इकाइयों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षक की एक बैठक मासिक रूप से उद्यमियों के साथ होगी । यह त्रिपक्षीय बैठक एक साथ होने से यह होगा कि जो कठिनाइयां होंगी उनका वे एक साथ बैठकर समाधान कर लेंगे । मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समुचित कदम उठाकर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को सहूलियत देने का सार्थक प्रयास किया है । मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से यह आग्रह करूंगा कि जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन वह करेंगे ।

[मद संख्या–8(2) पर कटौती प्रस्ताव के लिए पुकारे जाने पर तथा माननीय निषाद जी द्वारा प्रस्ताव रखने हेतु खड़े होने पर]

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से अपने भाषण में मद संख्या–7 व (8) से संबंधित बातें कही हैं इसलिए मैं कटौती का प्रस्ताव उसमें रख देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी, मद संख्या–2 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

श्री सीताराम निषाद–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।] मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खनिज के सम्बन्ध में मुख्य खनिज के अन्तर्गत लाइम स्टोन, सोप स्टोन, कोयला, डोलोमाइट, मैगनेसाइट, सिलिकासेंड, पाईरोफलारेट ,डायसफोस यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और लघु खनिज में आयामी पत्थर, इमारती पत्थर, बोल्डर, मौरंग, बालू तथा ईट बनाने की मिट्टी आदि होती है ।

मान्यवर, जो खानें और खनिज का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में वह सारे देश का 2.6 प्रतिशत है । यह अपने आपमें साबित करता है कि उ० प्र० में भारी संख्या में खनिज के रहते हुए उसका दोहन नहीं हो पा रहा है । उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं और मान्यवर, यह सरकार उस पर संवेदनशीलता से कार्य करे । जो खनिज बहुतायत में पाया जाता है उसका दोहन किया जाय तो हमारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में कोयला भी पाया जाता है । मान्यवर, सोना और हीरे भी पाये जाते हैं उनके वृहद् अन्वेषण की आवश्यकता है किन्तु यह हो क्यों नहीं रहा है हमारे यहां वैज्ञानिक नहीं है प्रदेश में इसके संबंध में वैज्ञानिक नहीं है इसलिए उसका दोहन नहीं हो पा रहा है । हमारे प्रदेश मे जो विश्वविद्यालय हैं उसमें केवल बनारस विश्वविद्यालय में खानें और खनिज के संबंध में वहां पर व्यवस्था है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय हैं, पालीटेक्निक हैं उसमें पाठ्यक्रम नहीं है और जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मैं मान्यवर, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुतायत में खनिज सम्पदा है उसका उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक पैदा किये जायें तो उससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा ।

मान्यवर, नदियों में बालू और मोरंग पायी जाती है, मिट्टी पायी जाती है । सन् 1998 में एक खनिज नीति सरकार ने इस संबंध में बनायी थी । लघु विभाग के अन्तर्गत भी जो नदियां पायी जाती हैं उनके तल में बालू, मोरंग, खनन का काम किया जाता है और जो अन्य नदियां पायी जाती हैं उनमें बालू, मोरंग खनन का काम किया जाता है जो मकान बनाने के काम में आता है । जो खनिज नीति बनी थी उससे बहुत बड़ा नुकसान पिछड़े वर्ग के इन लोगों को जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जिनकी जीवनवृत्ति ही यही है कि नदियों के तल से बालू, मोरंग खनन करके उनकी जीविका चलती है । वह मल्लाह, केवट, बिन्द, धीवर, कश्यप, निषाद समाज के लोग हैं उनकी जीविका उस नीति से मारी गयी है उनको बेरोजगार बना दिया है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । मान्यवर, उस नीति में यह व्यवस्था की गयी है कि एक खनिज निधि बनायी जायेगी जिससे जो यह पिछड़े लोग हैं उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जनकल्याणकारी योजनायें बनायी जायेंगी। लेकिन मान्यवर, कोई खनिज निधि में पिछले वर्ष यह कहा गया था कि एक करोड़ रुपये का उसमें प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इस वर्ष उसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मैंने पिछले वर्ष यह अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश में इस समाज के लोग जो इस पर आधारित हैं और जिनकी जनसंख्या लगभग एक करोड़ है तो आप जो एक करोड़ रुपये दे रहे हैं यह एक रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से धनराशि बहुत कम है उसको बढ़ाकर कम से कम सौ करोड़ रुपया कर दिया जाये । यदि उस खनिज विकास निधि में उस धनराशि को रखा जाये और उसकी योजना बनाकर के जो लोगों की यह जीवनवृत्ति है, उनको लाभान्वित किया जा सकता है । लेकिन मान्यवर, बजट देखा है उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए अधिकारियों की कमेटी बनायी गयी एवं जो कार्ययोजना बनायेगी । मान्यवर, कैसे उस पैसे का सदुपयोग होगा केवल अधिकारियों पर न छोड़ें उस कमेटी में कम से कम 2 प्रतिनिधि इस केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर समाज के लोगों में से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो इस दिशा में लगे हुए है जो उनके लिए संघर्ष करते हैं उनको कमेटी में शामिल किया जाये । तब तो जनकल्याणकारी योजना बन सकेंगी और उससे लाभ हो सकेगा । मान्यवर, सन् 1994 में 22 सितम्बर, 1994 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे उनके शासनकाल में उप-खनिज परिहार नियमावली में संशोधन करने का काम किया गया था । मान्यवर, उसमें 9(1) (क) में यह व्यवस्था की थी कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो जिले के निवासी हैं उनको पट्टा दिया जायेगा । मान्यवर, इस शासनादेश के जरिये मल्लाह, केवट, तुरहा, गुड़िया, कश्यप आदि जातियों के लोगों को पट्टा मिलना शुरू हो गया था लेकिन खनिज नीति बनाकर उसको समाप्त कर दिया गया जिससे समाज के लोगों को

पट्टा मिलना बन्द हो गया । मान्यवर, अभी इस सरकार ने 30 सितम्बर, 2000 को एक नया शासनादेश औद्योगिक विकास अनुभाग–5 से जारी किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 1998 के अन्तर्गत प्रदेश के उन खनिजों के क्षेत्रों को परिहार पर दिये जाने हेतु खनन पट्टा प्रणाली लागू किये जाने का आदेश जारी किया गया इस आदेश के जारी होने से हमें लगा कि सरकार इस पर ध्यान देने वाली है । लेकिन मान्यवर, यह शासनादेश तो जरूर जारी किया गया लेकिन उसके क्रियान्वयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से पट्टे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और बिचौलिये तथा माफिया लोग उनका शोषण कर रहे हैं । यह सरकार के लिए चैलेन्ज है ।

मान्यवर, सरकार ने एक आदेश जारी किया और उस शासनादेश का क्रियान्वयन न हो जिसका परिणाम यह है कि जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है । एक बात और कहना चाहता हूं कि बिचौलियों ने जो पट्टा देने की नीति बनाई गयी थी उसके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट से एक इस तरह का आदेश करा लिया है, गलत तथ्य दिखाकर कि आरक्षण किया गया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण नहीं है । यह जीवन वृत्ति के आधार पर जो परम्परागत पेशेवर लोग हैं उसको वरियता दी गयी है उनको पट्टा देने की व्यवस्था की गयी है । यह आरक्षण नहीं है इसलिए आरक्षण दिखाकर इस नीति को समाप्त करना शासनादेश को निरस्त करना उचित नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे प्रदेश के 1 करोड़ निषाद, मल्लाह, आदि जाति के लोगों को जो लाभ होना था वह नहीं मिल रहा है उनका हक छीना जा रहा है तो माननीय मंत्री जी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके इस आदेश को लागू कराने का प्रयास करें जिससे इस प्रदेश के गरीबों को उसका लाभ मिल सके । एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बिचौलिये और धनाढ्य ठेकेदार न घुसने पायें इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटियां केवट, मल्लाह, धीवर समुदाय, निषाद समुदाय को, जो को-आपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको यह पट्टे दिये जायं तो उसमें बिचौलिया और धनाढ्य ठेकेदारों, माफिया लोगों को घुसने का मौका नहीं मिलेगा इसको कड़ाई से लागू किया जाय इस शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राषि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । माननीय मंत्री जी का जो भाषण था, मैनें उसे बड़े गौर से सुना । मुझे उसमें कहीं नजर नहीं आता कि उद्योग विभाग का भाषण माननीय मंत्री जी ने दिया है । अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो उद्योगों को बढ़ाकर ही हो पायेगा । लेकिन आपने अपने पूरे भाषण में यह नहीं बताया कि आप कहां से निवेश करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं । जो आपका प्रदेश है यहां 73 फीसदी आदमी खेती में हैं और उसमें से सिर्फ 1 5 फीसदी आदमी उद्योगों में काम कर रहे हैं । इससे जमीन के ऊपर भार कम नहीं होगा । इस प्रकार जो आपकी योजना है, उससे औद्योगिक विकास कायदे से पूरा नहीं हो पा रहा है । मैं आपकी जानकारी में एक बात ला दूं । एक चीज जमा अनुपात होती है, जिससे साबित होता है कि आपका विकास किस तरफ बढ़ रहा है ? उस पर जरा आप गौर कर लें । हमारे उत्तर प्रदेश में जमा अनुपात सिर्फ 29 प्रतिशत है और महाराष्ट्र में 72 फीसदी, कर्नाटक में 68 फीसदी और हरियाणा में 45 फीसदी है । यह बैकों में जमा अनुपात है,

जिससे यह पता लगता है कि हमारी विकास दर क्या है और माननीय मंत्री जी ने तो दूसरे और तीसरे नं० पर बताया, लेकिन जमा अनुपात के हिसाब से हम लगभग आखिरी नं० पर हैं, केवल बिहार ही हमारे बाद होगा । इसी तरह से अगर विकास को देखा जाय और उसके साथ उद्योग को मिलाया जाय तो जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, उसके हिसाब से, जो प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा था, वह ठप्प सा हो गया है । क्योंकि सियासी वजूहात से इच्छाशक्ति नहीं है कि हमें इंडस्ट्री चाहिए । मान्यवर, जो औद्योगिक विकास दर है, उसमें माननीय मंत्री जी अपने भाषण में यह नहीं बता पाये कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर क्या है ? जब तक यह नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे यह साबित करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास बढ़ रहा है अथवा नहीं । प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51–56 की थी, उसमें यह दर 2.3 प्रतिशत थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह घटकर 1.2 हो गई । सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास दर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10.9 प्रतिशत रही । उसके बाद इस समय मात्र 4 प्रतिशत है तो इससे जाहिर है कि विकास दर नहीं बढ़ रही है और मान्यवर, मंत्री जी से एक बात और पूछना चाह रहा हूं आपका उद्योगों में बिजली कनेक्शन जो था वह 21 फीसदी से घटकर 17 फीसदी क्यों हो गया ? मान्यवर, आपके यहां बिजली की कटौती के कारण लोगों ने फैक्ट्रियां बन्द कर दी हैं और यह बात ऊर्जा मंत्री ने भी पिछले हफ्ते स्वीकार की थी और चिन्ता व्यक्त की थी कि इण्डस्ट्रीज में कनेक्शन जो दिये जा रहे थे वहां कमी क्यों आ रही है । वह 17 फीसदी हो गया है और आप कह रहे हैं कि हम औद्योगीकरण कर रहे हैं ।

मान्यवर, अगर आप उद्योग की बात करें तो यह बात आपको करनी पड़ेगी कि आपके यहां मजदूरों की संख्या हर लाख पर कितनी है, उसमें उनका कितना योगदान है ? मैं आंकड़े बता दूं । उत्तर प्रदेश में 7.3 है, हर लाख पापुलेशन के अन्दर यह है, मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में 25, बिहार में सिर्फ 4, गुजरात में 29 और महाराष्ट्र में 22 एवं पंजाब में 31 है । तो मान्यवर, हर लाख की पापुलेशन पर जो संख्या है वह यह है । आप सिर्फ बिहार से ऊपर हैं । मान्यवर, आप उद्योग का बजट पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि निवेश हो रहा है । मान्यवर, यह जो आंकड़े हमने दिये हैं, यह प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, जो आंकड़े आपने दिये हैं वही आंकड़े हैं और आप कह रहे हैं कि उद्योग में बढ़ोत्तरी हो रही है । मान्यवर, जो आपके यहां संख्या है, हर लाख पर कि कितने मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यदि उसको नहीं देखेंगे तो आप 17 करोड़ की आबादी को कैसे बांटेंगे कि कितने लोग यहां बेरोजगार हैं, कितने काम कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हर लाख पर केवल 420 व्यक्ति कारखानों में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में 1195, आन्ध्र प्रदेश में 1340, कर्नाटक में 781 और मध्य प्रदेश में 470 आदमी हैं, हर लाख के ऊपर, तमिलनाडु में तो 1650 हैं तो मान्यवर, आप अपने यहां किस अनुपात में मजदूरी उपलब्ध करा रहे हैं, यह भी सोचना पड़ेगा । मान्यवर, आप देखें कि बेरोजगारी आपके यहां कैसे बढ़ रही है । मान्यवर, इसके साथ ही आपके समक्ष एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं । आपकी जो क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो है उत्तर प्रदेश में घटता जा रहा है । 1986 में यह 45.11 प्रतिशत था, 1993 में वह 42.36 प्रतिशत, 1994 में 37.25 प्रतिशत, 1998 में 28.6 प्रतिशत और वर्ष 2001-2002 में तकरीबन 21-22 प्रतिशत पर पहुंचने की सम्भावना है । यह जो आंकड़े हैं वह सरकारी आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं । जब आपका साख जमा अनुपात 20–22 प्रतिशत पर आ जायेगा तो उद्योग आप लगा कैसे रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं, यह बताना निहायत जरूरी हो जायेगा । जो लोनिंग इन्स्टीट्यूट हैं जो उद्योग लगाने के लिए ऋण देती है उसमें आप कहां खड़े हैं, कितनी अप्लीकेशन्स गयी, कितनी संख्या में लोन वितरण हुआ ? आई० डी० वी० आई० जो उद्योगों को ऋण देती है, उद्योगों को बढ़ावा देती है आपकी लोनिंग 11.4 प्रतिशत है, आई० सी० आई० सी० आई० का 6.9 प्रतिशत, यू० पी० एफ० सी० का जिक्र नहीं है उसका दो-दो या डेढ़ प्रतिशत आ रहा है । नाबार्ड का 13.7 प्रतिशत है । उ० प्र० सबसे बड़ा प्रदेश

है, सबसे ज्यादा आबादी है लेकिन हम सबसे आखिर में खड़े हैं तो आपका उद्योग कैसे बढ़ा है, यह जानकारी मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में देने की कृपा करें । पर कैपिटा इन्कम जो उत्तर प्रदेश की है उसका जिक्र नहीं किया गया । उद्योग का जिक्र हो और पर कैपिटा इन्कम का जिक्र न हो । उद्योग से आय बढ़ता है । मैं आंकड़े दे देता हूं । दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 22687 रू०, पंजाब का 18006 रु०, हरियाणा का 16,399 रु०, महाराष्ट्र का 17,295 रुपये और उत्तर प्रदेश का मान्यवर, 6713 रुपये है जो सबसे कम है जबकि इसकी आबादी 17 करोड़ है । बिहार से भी हमारी पर कैपिटा इन्कम कम है । प्रति व्यक्ति आय आपकी ठीक नहीं, उद्योग में ऋण लेने की क्षमता नहीं । आप एक लाख की आबादी पर कितने को मजदूरी दे रहे हो, कितनों को काम दे रहे हो जब हर जगह आप आखिरी में हो तो कैसे आप उद्योग स्थापित करेंगे ? आपने कह दिया कि हम तीसरे नम्बर पर हो गये, कैसे हो गये ? यह साबित नहीं हो पा रहा है । जो गरीबी रेखा है वह 41 फीसदी आपके यहां है । पंजाब में 31 फीसदी और हरियाणा में 25 फीसदी है । पूरे भारत का एवरेज 36 फीसदी है । यहां भी आप सबसे पीछे है तो उद्योग कैसे बढ़ रहा है ? कहां से पैसा लगा रहे हो ? ईमानदारी की बात यह है कि यहां कुछ आने वाला नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि 26 हजार करोड़ का निवेश होगा, 26 हजार करोड़ रुपये से यहा उद्योग लगेंगे । 26 हजार करोड़ से उद्योग लगाने के लिए आपके यहां कितनी एप्लीकेशन्स आयीं ? तो मान्यवर, आप बतायें कि आपके यहां कितना एम० ओ० यू० साइन हुआ है, सिर्फ घोषणायें करने से तो उद्योग नहीं आ जायेंगे । मान्यवर, जो आपके यहां पर कैपिटा इन्फ्रास्ट्रक्चर है तो जो उसका जनानुपात है उसको देखकर मुझे भारी चिन्ता है । मान्यवर, जब इनका बजट पास हुआ था तो माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा गया था कि आपकी जो वार्षिक विकास दर है वह क्या है, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि हमारी जो वार्षिक विकास दर है वह 6.5 परसेन्ट है । लेकिन अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी एक ख्वाहिश में यह जारी किया था कि हम अपनी विकास की दर को 8 परसेन्ट करने जा रहे हैं लेकिन उसके अगले ही रोज भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर टिप्पणी की थी कि हमें नहीं लगता है कि हमारी पर कैपिटा विकास दर 6.00–6.5 परसेन्ट से आगे बढ़ पाएगी । मान्यवर, यह आंकड़े जो हैं वह आर० बी० आई० के हैं । मान्यवर, आर० बी० आई० के आंकड़ों के अनुसार इनकी विकास दर 1990 से 1999 तक 2.9 रही है । इस प्रकार 1999 से 2000 में यह विकास दर घटकर दो-तीन परसेन्ट हो गयी ।

मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान की पर कैपिटा विकास दर जो है, वह 8–6 परसेन्ट है । मान्यवर, आप देखें कि जो छोटे प्रदेश उसकी पर कैपिटा विकास दर ज्यादा है आप देखें कि हिमाचल की पर कैपिटा विकास दर 4.3 है, हरियाणा की 5.3 है और पंजाब की 9 परसेन्ट हो गयी । आप हमारे प्रदेश को हरित प्रदेश बना दें हम अपने यहां उद्योगों की विकास दर 10 परसेन्ट करेंगे मान्यवर, यहां पर जो आपकी संस्थाएं हैं उनका जिक्र करना जरूरी हो गया है । यहां पर मैं आई० डी० बी० आई०, नाबार्ड का जिक्र नहीं कर रहा हूं । जैसे कि आपने जो पिकप को 121 करोड़ रुपये लोन सैंक्शन कर दिया लोन वितरण के लिए 19.75 करोड़ रुपये दे दिये और फिर भी कहते हैं हमारे यहां पर उद्यमी आ ही नहीं रहे हैं तो जो आपने 26 करोड़ रुपये पिकप में लगाये हैं उसकी मुझे भारी चिन्ता है । आपने 26 करोड़ रुपये पिकप में लगा दिये और वितरण किया 69.97 करोड़ रुपये और जो आपने वसूल किये हैं वह हैं 113 करोड़ रुपये यानि की जो आपने वसूलियां बाकी 113 करोड़ रुपये की वह आपकी पिछली देनदारों में थी जो आप वसूल कर रहे हैं । मान्यवर, आपने रिकवरी किया है वह 25.84 करोड़ है । यह आपकी कार्य क्षमता है जो यह बताती है कि कैसे काम कर रहे हैं और उससे यह भी पता लगा रहा है कि आप पिकप कोई काम नहीं कर पा रही है । आपकी रिकवरी बढ़ती जा रही है उसका मतलब यह है कि पिछला बकाया है उसी को वसूला जा रहा है । आप भारत सरकार पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल

सकते हैं । आपका जो औद्योगीकरण है वह घटता जा रहा है । मैं यू० पी० एफ० सी० के बारे में जिक्र न करें तो बेहतर होगा क्योंकि उसकी भी परफारमेंस ठीक नहीं है । आपने 4 करोड़ रुपये बांटा है जिससे कुछ नहीं हो पा रहा है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से यू० पी० सी० आई० बी० सी० के बारे में कहना चाहता हूं इसके पास तकरीबन 250 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है । ट्रोनिका जो दिल्ली और सहारनपुर रोड पर है और लोनी रोड पर तथा कानपुर रोड पर, यू० पी० एस० आई० डी० सी० ट्रोनिका की जमीनें हैं जिसके अन्दर 80 फीसदी बेकार पड़ी है । कई लोगों को मानचित्र भी नहीं मिले हैं । आप बतायें कि 250 लाख एकड़ जमीन में कितने उद्योगों के लिए आपने जमीनें दी । ट्रोनिका जो है वह आप द्वारा नहीं शुरू किया गया, बल्कि माननीय वीर बहादुर सिंह ने उसका शिलान्यास किया था । आप बतायें कि वहां कितने उद्योग पंजीकृत हुए हैं । पिछले 5–10 सालों से वहां पर उद्योग नहीं लग सके । वहां 3 मकान बने हैं चौथा आज तक नहीं बना । हां यह जरूर है कि अन्सल ने कालोनी जरूर बना ली है । इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा आपने बना दिया । वहां एक इनटर नेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं । बड़ी खूबसूरती से आपने वहां फ्लाई ओवर बना दिया और डी० सी० एम० टोयटा तथा जैन वालों के उद्योग के अलावा कुछ भी नहीं लगा है और न लगने की सम्भावना नजर आती है ।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि हमने डायरेक्ट्रेट बनाया है और यहां अधिकारी रखा है जो देश के बाहर के रहने वाले भारतीय हैं, एन० आर० आई० हैं, उनसे पूंजी निवेश कैसे हो इस बारे में कार्यवाही करेंगे । लेकिन आपने जो एक सीनियर अफसर दिल्ली में बैठा रखा है बता दें कि उसने कितना पूंजी निवेश कराया है, आंकड़े बता दें कि कितने डालर या पौंड वह लाये । आप उनकी तनख्वाह का पैसा तो निकालिये, कम से कम वह इतना तो काम करें । मान्यवर, अनुदान संख्या–8 जो रखा है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर प्रस्ताव तो दे दिया है लेकिन उसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जब माननीय मंत्री जी ने उस पर कुछ कहने योग्य नहीं समझा है तो कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले सदस्य यह मानकर चलें कि उस पर कुछ नहीं कहना है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं जरूर थोडा सा इस पर कहना चाहूंगा । प्रदेश में गवर्नमेंट के रुड़की, लखनऊ, रामपुर, वाराणसी में प्रेस लगे हैं । यह जो आपके प्रिंटिंग प्रेस हैं यह नुकसान में चल रहे हैं । आपको यहां पर बैलेट पेपर छपवाने चाहिए और अन्य काम कराने चाहिए वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता का उपयोग हो और यह प्रेस नुकसान पर न चलें । आपने इनके लिए जो प्लान में पैसा रखा है वह 55 लाख है और नान-प्लान में जो पैसा रखा है वह 41 करोड़ है इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें घाटा क्यों हो रहा है । अगर ऐसा हो तो इनको बन्द करवा दीजिए नहीं तो इन प्रेसों को पूरा काम दीजिए । आप बहुत सारा पैसा केवल तनख्वाह और रख-रखाव पर खर्च कर रहे हैं और इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है । मैंने जो बातें अपने भाषण में उठायी हैं उनके बारे में आप बतायें । नोयडा में कितनी फैक्टरी बंद हो गयीं, औद्योगिक विकास दर घटकर 3 पर क्यों पहुंच गयी ? यह तो मुख्य मंत्री जी ने 2 हजार करोड़ लाने की बात कही है वह कैसे लायेंगे इन सब बातों को आप बतायें । आप कहां से पैसा लायेंगे जो पैसा है उससे केवल तनख्वाहें ही पूरी होती हैं आप आखिर उनके लिये क्या करेंगे ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश वैसे तो कृषि प्रदान प्रदेश है लेकिन कृषि की जमीन की सीमितता के कारण बिना उद्योग के विकास की उम्मीद करना आज के समय में निरर्थक, है । ऐसे में उद्योग की ओर ध्यान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । हमारे कौकब साहब ने उद्योग के बारे में काफी नकारात्मक स्थिति प्रदेश की रखी है । मुझे उनको यह बताने की आवश्यकता है जो उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीबी की स्थिति कितनी है, औद्योगिक विकास दर कितनी है जो ऋण की स्थिति है ऋण संस्थाओं के द्वारा उनकी स्थिति कितनी है इन सारी गम्भीर स्थिति की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया । यह हमारी सरकार की नहीं हैं, हमारी सरकार के कारण नहीं हैं अभी तक कितनी सरकारें रही हैं इस भयानक स्थिति को पैदा करने में निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों का हाथ रहा है । हमारी जानकारी है कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी उस समय नोयडा ग्रेटर नोयडा में तमाम उद्योग बन्द हो गये थे, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, जंगल राज स्थापित हो गया था हमारी सरकार के आने के बाद वहां पर पुनः फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई हैं, भारी संख्या में पूंजीनिवेश हो रहा है जैसा कि कौकब साहब ने खुद कहा डी० सी० एम०, एस्कोर्ट पहले इसी तरह से सैमसन, एल० जी० इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री स्थापित हुई । डेढ़ हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं । स्थिति यह है कि पिछले तीन साल से जमीनों के लिए रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुए हैं । उनको जमीन देने की स्थिति नहीं है । जितनी भी प्राधिकरणों की जमीन हैं वह भी भूखण्ड नहीं दे पा रहे हैं । यह स्थिति नोयडा और ग्रेटर नोयडा में है । अभी कौकब साहब ने खुद कहा कि सरकार से नोयडा से दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाइवे बनाया है पहले जहां दिल्ली से नोयडा तक आने में एक घंटा लगता था अब मात्र 15 मिनट लगता है, 500 करोड़ रुपये का फ्लाईओवर लेटेस्ट टेक्नोलाजी का बनाया है अभी 20 जनवरी को मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया है । इसी प्रकार से ताज एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया है । जिससे उस ओर के उद्यमी को नोयडा और दिल्ली में आने में पांच घंटे की बजाय केवल 100 मिनट का समय लगेगा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की गई तो ग्रेटर नोयडा में उद्योगों के आकर्षित होने का यह भी एक सशक्त माध्यम है जिससे भारी संख्या में विदेशी आकर्षित होंगे । मैं हृदय से मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को इस हवाई अड्डे की संस्तुति के लिए बधाई देना चाहता हूं । हमारे नोयडा क्षेत्र में उद्योग लगने के बाद स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि उन्हें फैक्ट्रियों में नौकरी मिले । यह उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य भी रहता है । मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जो फैक्ट्रियां वहां लगी हैं वे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने में संकुचित मानसिकता रखती हैं । यदि कोई बच्चा वहां का नौकरी में लगता भी है तो उसे निकालने की मंशा रहती है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । ग्रेटर नोयडा में गोल्फ फोर्स लगा है वैसे तो यह बहुत प्रसन्नता की बात है इससे पूंजीनिवेश बढ़ेगा लेकिन जो जेपी इंडस्ट्रीज ग्रुप ने इसे खरीदा है वह और वहां का मैनेजमेन्ट ने स्थानीय वर्कर्स को जो वहां काम कर रहे हैं माली इत्यादि का उनको हटाने का मन बना दिया है सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है अन्यथा ढाई सौ परिवार बेघर हो जायेंगे । नोयडा में सारे प्रदेश में हमारी सरकार ने एकल खिड़की के स्थान पर एकल मेज की व्यवस्था शुरू की है इससे भी निश्चित रूप से औद्योगिक वातावरण सुधरेगा ।

हल्दौना गांव में किसानों की जो जमीन 1993 में अधिग्रहीत की गई थी उस समय मुआवजा 184 रुपये प्रति गज दिया गया फिर 97 में 160 कर दिया । यदि पहले ज्यादा दिया गया तो अधिकारियों से इसकी वसूली की जाय और यदि 97 वाला दिया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले वाला ही मुआवजा मिलना चाहिए । नोयडा में श्रमिक झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं मैं सरकार से मांग करता हूं कि

वहां पर श्रमिक कालोनी बनायी जाय । जितने प्राधिकरण हैं उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों का समावेश सभी बोर्डों में है लेकिन नोयडा और ग्रेटर नोयडा में आई०ए०एस० ही योजनायें बनाते हैं जिससे उसमें जनता की भागीदारी नहीं बन पाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जनता के प्रतिनिधियों की भी राय ली जानी चाहिए ताकि जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाये जा सकें । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय सीता राम निषाद जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रख गया है उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, खान और खनिज के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो विचार रखे हैं वह जल्दी पूर्ति-जल्दी पूर्ति में ऐसा लगने लगा कि कोई खाना पूर्ति कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जो नदियां हैं उनके द्वारा बालू, मौरंग, पत्थर, बोल्डर इन सबका भी कारोबार होता है। यह इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी इस पर इस तरह से कोई दृष्टिकोण सरकार का नहीं है, जिससे उससे ज्यादा फायदा हो सके । बालू बहुत उपयोगी है । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ नदियां वन से हटकर जैसे घाघरा, सरयू, गंगा हैं बह रही हैं और इनके किनारे कुछ ऐसी जातियां हैं निषाद, वृन्द, मल्लाह आदि रहती हैं । मान्यवर, इन नदियों का बालू बहुत कीमती है और एक समय ऐसा था जब यह जातियां इन्हीं पर आधारित थीं और उससे अपना जीविकोपार्जन करती थीं । अब इनको इन नदियों से कुछ आमदनी नहीं होती है । पहली बार जब मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री हुए थे उन्होंने इस पर ध्यान दिया था और सख्ती से निर्देश दिये थे कि बालू और मौरंग के खनन का पट्टा इन मल्लाहों, वृन्दों, धीमर जाति के जो कमजोर लोग हैं, को दिया जाय ताकि उनको इससे लाभ मिल सके और ऊंचा उठाने का अवसर उनको मिल सके । मान्यवर, इस मौजूदा सरकार ने खनिज निगम के माध्यम से इन कमजोर गरीब लोगों के पेट पर लात मार दी । ऐसी व्यवस्था कर दी कि बालू, मौरंग और पत्थर जो आज कानपुर, लखनऊ और दूसरे शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, बिचौलियों, माफियाओं और समाज के दबंग किस्म के लोगों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है और गरीब कमजोर लोगों के पेट पर लात पड़ गई । माननीय मंत्री जी, जब इस पर अपने विचार रखें तो उसमें यह हो कि इन लोगों को भी शामिल किया जाय । नदियों के किनारे बसे लोग, जिनका पुराना परम्परागत काम है, जिनके पास खेती-पाती ज्यादा नहीं है, उनके लिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । सबसे बड़ी बात यह है कि पट्टे जिन शर्तों पर दिये जा रहे थे उसमें ऐसी बात कर दी कि जिसकी वजह से बड़े-बड़े माफियाओं ने उन पर कब्जा कर लिया । आप उसमें कुछ शिथिलता लाइये, नियमों में सुसंगत परिवर्तन करके पट्टे ऐसे लोगों को मिलने चाहिए जो कि नदियों के किनारे बसने वाले मल्लाह, निषाद, वृन्द, धीमर लोग हैं । इतना ही नहीं बोल्डर की सप्लाई जो होती है, सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी० को वह जाता है औने-पौने में और फिर वहां से निकालकर दूसरों को बेच दिया जाता है । इसमें बहुत बड़ा नुकसान राजस्व का हो रहा है । इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । कमजोर गरीब के मुंह से रोटी न छीनी जाय । निषाद जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, वह बहुत मायने रखता है ।

दूसरी बात है, 7, 8 के बारे में भी दो-दो मिनट में कह लूं । उद्योग की भी आपने चर्चा कर दी। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां कानून व्यवस्था ठीक होगी, वहां उद्योग लगेगा । जंगल का राज प्रदेश में हर जगह है । रोज प्रदेश में आंकड़े बताते हैं कि कहीं न कहीं कोई बड़ा व्यापारी गोली का शिकार हो गया, चलते-चलते उसके करोड़ों लाखों रुपये छीन लिये गये, किसी का अपहरण हो जाता है और फिरौती लेकर छोड़ दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितने उद्योग प्रदेश में इधर लगे । आज कौन व्यापारी ऐसे हैं जो माननीय मंत्री जी को सुनने दायें बायें बैठे हों । मंत्री जी बम्बई जाते हैं, बात करते हैं । उद्योग मंत्री भी जाते हैं बाहर लेकिन बतायें कितने उद्योग लगे प्रदेश में

आपकी बला से गड़बड़ी होती है । माननीय मंत्री जी बड़े भाई हैं यह जो कहेंगे वे होशो-हवास में कहेंगे कहां से उद्योग आयेंगे, उद्योग हैं नहीं, कहीं कोई हो तो बता दें । गिन कर बता दें । ग्रेटर नोएडा पर ओवर ब्रिज बना दिया, नवाब साहब कह रहे थे आपने दुनिया का बड़ा ब्रिज बता दिया, यह कोई नहीं कहता कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट

मान्यवर, जिला योजना का प्लान खत्म है, उद्योग की कोई व्यवस्था नहीं है ।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

अपने समय में एक पुलिया ही बना देते ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

अब मंत्री जी पुलिया पर चले गये, सहकारिता इतना बड़ा विभाग है बड़ी चीज कहते, अब तो अवसर आने वाला है शाहजहांपुर की जनता ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी चौथे नम्बर पर चली गयी है ।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, आपने उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । आज के समय में शिक्षा के प्रसार के कारण, कुछ बढ़ती जनसंख्या के कारण, कुछ खेती पर बढ़ते दबाव के कारण और इसी के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण जनित छंटनी के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । इन सब कारणों से उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता और अधिक अनुभव होती है । मान्यवर, जहां मूल रूप से अर्थशास्त्र के अनुसार किसी उद्योग की स्थापना के लिए पांच चीजें आवश्यक मानी गयी हैं भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबन्ध और उद्यमी, इसी के साथ-साथ इस बात की आवश्यकता होती है कि किसी उद्योग के लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया सरल हो । इस बात की भी आवश्यकता होती है कि उद्योग लगाने के बाद ठीक से उद्योग चल सके । इसके लिए वातावरण उचित हो । इन सब चीजों की आवश्यकता होती है । हमारे कई सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की कि उद्योगों को चलाने योग्य वातावरण सही नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि वातावरण किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कोई एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता है एक दिन में वातावरण बिगाड़ा नहीं जा सकता है । इस वातावरण को बिगाड़ने में किसका हाथ है । मेरे विचार से सबसे बड़ा हाथ तो उनका है जो इसको सुधारने की बात कर रहे हैं । 1990-91 में देखें, उत्तर प्रदेश के अन्दर जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कराए गए । प्रदेश को आग के अन्दर झोक दिया गया और प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बिगाड़ने का काम किया गया, मैं समझता हूं इससे ज्यादा औद्योगिक वातावरण कभी किसी ने नहीं बिगाड़ा । अपहरण को उद्योग के रूप में दर्जा दे दिया गया । इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां एक दल के बड़े नेता इस उद्योग को संचालित कर रहे थे । वह अपहरण के बदले में फिरौती और अपहरण और फिरौती के बीच में माध्यम का काम कर रहे थे मान्यवर, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है । मान्यवर, मुझे खुशी है कि जहां इन लोगों ने 93-94 में फिर वातावरण को बिगाड़ दिया था । वहीं हमारे मुख्य मंत्री ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस वातावरण को सुधारने का प्रयास किया है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अन्दर है हिन्दू मुस्लिम के झगड़े नहीं हुए हैं, और साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ है ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं समझता हूं कि औद्योगिक वातावरण को बनाये रखने के लिए, उद्योग स्थापना को सुविधा देने के लिए बहुत से काम इस सरकार ने किये हैं । जैसे तीन स्तर पर उद्योग बंधु की स्थापना की है । जिले के अन्दर जिला स्तरीय, मण्डल के अन्दर मण्डलीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर उद्योग बंधु की स्थापना की है । मान्यवर, लाइसेंस लेने के लिए बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था । हमने एकल मेज की स्थापना की है । 25 करोड़ तक के पूंजी निवेश करके जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 60 दिन के अन्दर एकल मेज के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी । मान्यवर, जो चुने हुए उद्योग हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रानिक, आई० टी० हैं, इन उद्योगों के लिए ''औद्योगिक विकास परिषद्'' की स्थापना इस सरकार के द्वारा की गयी है । इसके साथ ही साथ अवस्थापना सुविधा के लिए ''इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशियेटिव फंड'' की स्थापना की गयी है । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सही है कि उद्योगों की स्थापना के लिए पैसे की आवश्यकता होती है जिसमें शायद हमारा प्रदेश थोड़ा पिछड़ा हुआ है लेकिन मैं अंग्रेजी के एक कवि की पंक्ति को दोहराना चाहता हूं जिसमें यह है कि :–

''इट इज नाट द गन दैट फाइट्स,
इट इज द मैन बिहाइन्ड द गन दैट फाइट्स,
इट इज नाट द मैन दैट फाइट्स,
इट इज द स्प्रिट्स इनसाइड द मैन दैट फाइट्स ।''

इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बन्दूक नहीं लड़ती है आदमी लड़ता है और सिर्फ आदमी नहीं लड़ता है बल्कि उसके अन्दर जो भावना होती है वह लड़ती है । इसका उदाहरण मैं दूंगा जो बंगलादेश में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971-72 में । यह वही भावना थी जिसके अन्तर्गत 90 हजार की पाकिस्तान की सेना थी वह पराजित हुई थी । हमारे मुख्य मंत्री जी के अन्दर, सरकार के अन्दर एक इच्छा शक्ति है कि अच्छे वातावरण की स्थापना की जाय और इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कुछ ईश्वर की कृपा भी हुई है कि दिल्ली के अन्दर यह उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इससे बहुत सारे उद्योग की स्थापना यहां हो सकेगी । हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार उद्योगों की स्थापना करने के लिए पूरी सुविधा देगी ।

अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए पत्थर की आवश्यकता होती है जब तक उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में था बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था, नदियों का हिस्सा था जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पत्थर की आपूर्ति हो जाती थी । लेकिन जब से उत्तरांचल बन गया है बहुत सारे जनपद उसमें चले गये हैं जैसे हरिद्वार है, उधमसिंह नगर है । सिर्फ बिजनौर ऐसा क्षेत्र है जहां से पत्थरों की आपूर्ति सम्भव है । मान्यवर, मेरा यह कहना है माननीय मंत्री जी से कि आप विशेष रूप से हमारे जनपद पर ध्यान केन्द्रित करके वहां पर पत्थर की आपूर्ति की सुचारु और सुनिश्चित व्यवस्था करने का कष्ट करें । मान्यवर, नदियों से बालू और मौरंग खनन के बारे में पिछले काफी समय से नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबन्ध था लेकिन, व्यवहार में यह देखने में आया है कि मकान बने वह बिना रेत के तो नहीं बने । सड़कें जो सीमेंटेड हैं वे बनीं तो वह बिना रेत के नहीं बनी । मान्यवर, कोई भी काम रुका नहीं कोई स्कूल बनने का काम नहीं रुका तो फिर वह रेत कहां से आयी । इसके मायने तो यह हुए कि रेत का निरन्तर खनन होता रहा । सम्भव है कुछ पुलिस वालों ने बीच में पैसा लेकर गाड़ियों को और ट्रालियों को आने-जाने की अनुमति दे रखी हो और यह व्यवस्था जारी रही जिसके कारण सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ । मान्यवर, अगर स्थायी व्यवस्था लागू नहीं हुई है तो अस्थायी व्यवस्था करके एस० डी० एम० या जिले के किसी अधिकारी को

अधिकृत करके यह अधिकार दिया जाता कि वे रसीद काटकर इन लोगों को रेत ले जाने की अनुमति दे दें। मान्यवर, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के खानें और खनिज के बजट पर माननीय श्री सीताराम निषाद द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर तथा भारी उद्योग पर माननीय श्री कौकब हमीद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा एक ऐसी समस्या की ओर जिसके बारे में अनेक बार पत्र लिखा गया है। मान्यवर, इस सदन में अब आमतौर पर पिछले 2-3 वर्षों से यह बात देखने में आ रही है कि बजट पर जो गम्भीर चर्चायें होती हैं उनका कोई परिणाम निकल नहीं रहा है यह चिन्ता की बात है। पहले मान्यवर, एक-एक सदस्य गम्भीर चर्चा के दौरान अपनी बात कहते थे और उन्हें यह उम्मीद होती थी कि अगर बजट की चर्चा में बात कह दी तो 2-4 दिन एक हफ्ते के बाद जब भी उसकी समीक्षा होगी, कार्यवाही अवश्य हो जायेगी, पूरा का पूरा विभाग, उसके सर्वोच्च अधिकारी से लेकर कार्यकारी अधिकारी तक बजट में इन्वाल्व रहते हैं। मंत्री जी उस रिवाज को थोड़ा बदल पायें या न बदल पायें यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से गम्भीरता से देखने का कष्ट करें।

मान्यवर, एक खनिज की समस्या की जो बात माननीय निषाद जी ने कही इसको दोहराना नहीं चाहूंगा और न कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो मल्लाहों को पट्टे दिये गये वह दिये जाने चाहिए। मान्यवर, बलिया जनपद में एक बहुत बड़ी गम्भीर अलग से समस्या है। मान्यवर, खनिज का ठेका होता है उत्तर प्रदेश में खनिज का बहुत बड़ा व्यवसाय है। बिहार और झारखण्ड की तरह से नहीं है। बालू निकाली जाती है, पत्थर, वही खनिज है तो बालू की यह स्थिति है कि बालू, मौरंग–बालू बिहार से सोन नदी से निकाली जाती है कोयल्वर और सोन नदी से बालू निकाली जाती है, बलिया में भसैवर बार्डर है वहां से वह प्रदेश में आ जाती है और वहां से मऊ–गोरखपुर मण्डल और बस्ती मण्डल के जनपदों में उसी बार्डर से बालू आती है। बलिया तहसील के ठेकेदार हैं वह उस बेरियर से गुजरने के बाद जो बालू बाकायदा रायल्टी देकर आती है उस पर बिहार से आने की बात कही जाती है क्योंकि प्रदेश में उस तरह की बालू नहीं पायी जाती है, उस पर भी टैक्स वसूलने का काम जो प्रपत्र आप देते हैं उसमें एम-II के नाम से टैक्स वसूलने का काम करते हैं मान्यवर, जब यह खनिज का ठेका होता है तो गाटा खसरा नम्बर दिया जाता है कि अमुक-अमुक नम्बर के प्लाट शामिल होंगे। तहसील वाइज ठेके होते हैं और उस तहसील में जब ठेका दिया जाता है तो बाकायदा वह गाटा नम्बर चिन्हित होता है कि अमुक-अमुक मौजे का अमुक-अमुक खसरा नम्बर शामिल किया जाता है जो बालू गंगा नदी के पेट से मल्लाह निकालता है। मान्यवर, कोटवा, नरायनपुर घाट है वह वहां इकट्ठा करते हैं और 100 रुपया एक ट्रैक्टर ट्राली पर, प्रति ट्राली जबरिया वसूली होती है उन मल्लाहों से, जो बालू किसी खान से निकाली ही नहीं जाती है और उसके आस-पास पचासों गांव में उन मौजों का भी उल्लेख नहीं है जहां से उनकी वसूली हो रही है। बड़ी कृपा होगी अगर आप इस मामले को गम्भीरता से जांच करवा कर जो मल्लाहों के पेट पर लात मारने का या सीधे-सीधे डकैती डालने का काम हो रहा है। मान्यवर, बड़ी राशि की वसूली होती है इसलिए इसका हिस्सा जरूर ऊपर तक जाता होगा, किस हद तक जाता है, मुझे पता नहीं, कहां तक जाता है, मुझे पता नहीं लेकिन दिनदहाड़े यह डकैती हो रही है तो इसका मतलब है कि ऊपर तक जाता है आप इसको देख लीजिए कि कहां तक यह जाता है। अगर इसको रोक सके तो इसका बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि वहां उद्योग नहीं लगाये जा सके । उनके पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण उद्योगों का अभाव रहा और उसमें बलिया जनपद का चूंकि हिन्दुस्तान की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक छोटी सी चीनी मिल सूवा चीनी मिल, मान्यवर, वह चले गये मैंने इसके लिए पहले नरेन्द्र कुमार गौर जी से कहा फिर ओम प्रकाश जी से कहा । मान्यवर, एक स्पिनिंग मिल 3 वर्षों से बन्द है यही एक मात्र उद्योग था जो चालू था । मान्यवर, आप बजट में बड़े लम्बे चौड़े दावे करते हैं लेकिन इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, आपके दावे खोखले हैं, आपका संकल्प नितान्त कमजोर और भ्रामक है, आपकी दिशा कहीं से स्पष्ट नहीं है । ऐसी स्थिति में, मैं बहुत उम्मीद तो आपसे नहीं करता हूं लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा भी ध्यान रख सके, अपनी बातों पर कायम रह सके तो मैं आग्रह करूंगा । जो उद्योग चलाये जाने की स्थिति में हैं, मऊ जनपद में टैक्सटाइल का काम होता है हमारे कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उसकी तत्काल मार्केट वहां है । ऐसी स्थिति में सूती मिल, रसड़ा को तत्काल चालू करवाने का आश्वासन देंगे तो हम आभारी होंगे । आपने अपने बजट में औद्योगिक विकास की बात नहीं कही । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जो मौजूद हैं जिनकी ओर से बजट माननीय सहकारिता मंत्री उधारी का बजट पेश कर रहे हैं । इसके पहले मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने बड़े-बड़े बोर्ड लगवाये कि उत्तर प्रदेश अब उद्योग प्रदेश बनेगा । अब वह मुख्य मंत्री जी किन कारणोंवश हटाये गये इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशेष योग्यता के कारण दूसरा मुख्य मंत्री ले आई, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, वह बोर्ड आपने हटवा दिया वह कहीं नजर नहीं आते । उन्होंने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे तो उनके इस नारे की राह पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं चल सका । पिछले मुख्य मंत्री राम प्रकाश गुप्त जी ने उद्योग बजट बनाने की बात कही थी लेकिन आज उसका उल्टा काम किया । कहीं उनका भूत न रहे, परछाई न रहे इस तरह से इतनी मजबूती से उनको दरकिनार करने का किया है औद्योगिक विकास के मामले में जिस तरह किया है । इसी के साथ मैं माननीय कौकब हमीद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

गणपूर्ति के अभाव की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । जब बजट सेशन चल रहा है तो कोरम तो पूरा हो जाय । इससे संदेश बहुत गलत जायेगा, इस समय कोरम नहीं है ।

(लाबी से सदस्यों के आ ज़ाने के बाद)

श्री अधिष्ठाता–

गणपूर्ति का अभाव नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदानसंख्या–4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–7, उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (क्रमागत)

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया । माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लघु उद्योग विशेष रूप से मुख्य आधार होती है । अपने सम्पूर्ण भारत में जो मुख्य निर्यात है, उसका प्रमुख अंश लघु उद्योगों के आधार पर है ।

बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी के तहत जो हमारे नौजवान हैं,उनको आप इसके माध्यम से रोजगार प्रदान कर सकते हैं । केवल सरकारी सेवाओं के जरिये बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है और न ही प्रदेश को सम्पन्नता दी जा सकती है । विशेष रूप से कौकब हमीद जी ने एक बात कही थी, मैं उसका समर्थन करना चाहूंगा । बात उन्होंने की थी ऋण जमा अनुपात की । वह निरन्तर बहुत तेजी से घटता जा रहा है । जो दक्षिण के राज्य हैं, यद्यपि यह नीति रिजर्व बैंक की है, उन दक्षिण के राज्यों में 90–95 फीसदी और कहीं-कहीं 100 फीसदी से अधिक भी, जितना जमा होता है, उससे अधिक ऋण वितरित होता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत जो बैठक होती थी, मुझे वर्ष 91-92 में जब सरकार थी, तो उसका सदस्य होने के नाते बैठक में शामिल होने का सुअवसर मिला था, हालांकि यह बैठक 7 साल बाद हुई थी । मुझे ध्यान नहीं, पुनः उसके बाद कभी बैठक हुई हो । इसके लिए सारे बैंकों पर दबाव डाले जायें, क्योंकि रिजर्व बैंक के आदेश है कि न्यूनतम 7 प्रतिशत उसी राज्य में खर्च होना चाहिए । यदि हमें लघु उद्योगों को बढ़ाना है तो वास्तव में इस काम को करना होगा । मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा । एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार केस संख्या 13381 दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था और उस निर्णय से उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों/फाउण्डरियों पर संकट के बादल छा गये लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए जितना साधुवाद दिया जाय, वह कम है । उस निर्णय के अनुसार सारी इकाइयां एक वर्ष में बंद हो जानी थीं अथवा गैस के आधार पर चलानी थी, लेकिन आज तक गैस पर आधारित कोई चलाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में उस निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार के तत्कालीन एटार्नी जनरल साली सोराब जी को नियुक्त किया और प्रसिद्ध विधिवेत्ता शांतिभूषण को किया गया और उसके बाद जो निर्णय हुआ, उसकी वजह से आज तक यह उद्योग चल रहे हैं । इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाय, वह कम है । यद्यपि यह बजट लघु उद्योग का है, लेकिन विशेष रूप से सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । जो डीजल इंजन और पंपिंग सेट का मामला सहकारिता विभाग के क्षेत्र में आता है, उसकी खरीद की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई थी, संकट के बादल आ गये थे उनका प्रतिनिधि मण्डल माननीय मंत्री जी से मिला था और उन्होंने प्रक्रिया बदली । केवल आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में इस कारण डीजल इंजन और पम्पिंग सेट उद्योग बच सके । मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, अपनी लघु उद्योग की इकाइयों को बढ़ाने के लिए यू० पी० स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन ने विभिन्न स्थानों पर अपनी इकाइयां खोली हैं, आगरा में भी सिकन्दरा में खोली हैं, जब जमीन सरकार ने बेंची और इस शर्त के साथ बेंची कि पूरा विकसित करके देंगे लेकिन उसके बाद भी विकास शुल्क मांगा जा रहा है । यह अत्यन्त खेद की बात है । अनेक बार इस पर चर्चा-परिचर्चा हुई है लेकिन जो राजकीय संस्थान के द्वारा इकाई डेवलप और भूमि विकसित है उसके बाद भी उस पर विकास शुल्क मांगा जाए, यही कठिनाई है । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समस्या को हल किया जाए । इस प्रकार आगरा के 14 इकाइयां हैं, इनका बहुत पुराना प्रकरण है, उनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, वहां पर पहले से ही औद्योगिक इकाइयां स्थापित थीं, 8 रुपया विकास शुल्क मांगा गया यह मामला जिलाधिकारी से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक गया, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस पर यह विकास शुल्क मांगा गया था, प्रारम्भ से निरस्त कर दिया । यू० पी० एस० डी० सी० सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकारण को वापस कर दिया । इसके बाद बातचीत विभिन्न स्थानों पर होती रही उसके बाद यह हुआ कि इसमें 8 रुपये के हिसाब से विकास शुल्क और उसका ब्याज दे दिया जाए । मान्यवर,मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जब उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है तो जो 8 रुपये विकास शुल्क मांगा जा रहा है,वह गलत है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा जहां तक लघु उद्योग की बात है, चाहे संस्थागत

विभाग हो, वित्त मंत्रालय हो, चाहे श्रम मंत्रालय हो, इसमें तालमेल की आवश्यकता है । जब श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत मजदूरी की दरें जो हैं, इंजीनियरिंग उद्योग में बढ़ा दी जायें और यदि पड़ोस के राज्यों में वह दरें कम हों तो वह ठीक नहीं होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि इस प्रकार से जब भी बातचीत हो, आपस में सभी जगह विचार-विमर्श करके यह दरें तय हों केवल औद्योगिक विवाद के अन्तर्गत, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट के अन्तर्गत वह दरें न हों और आपके आसपास के राज्यों में स्थिति क्या है यह भी देखना होगा तो हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सकेगा । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 4-5 सुझावों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में उद्योग का वातावरण किस प्रकार से अच्छा बने ताकि आज वर्तमान में उद्योग की उदार आर्थिक नीतियों के तहत उद्योग में वैश्वीकरण की प्रथा का जो असर पड़ेगा, डब्लू० टी० ओ० का, उसके तहत हमारे उद्योगों की स्थापना कैसे हो और उद्योग कैसे अच्छी तरह से पनपें । नई औद्योगिक नीति में इनका समावेश होना बहुत आवश्यक है तभी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर होगी । श्रीमन्, मैं 2-3 बातें इस संबंध में रखना चाहूंगा । मान्यवर, उद्योगों पर वैश्वीकरण की योजना का जो असर पड़ेगा, आप जिन उद्योगों को लगवाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में उनको कौन-कौन सुविधाएं मुहैया करायेंगे जिनसे वह विदेशों का जो उत्पाद होगा उससे मुकाबला कर सकें और उन्हें फायदा हो तो मान्यवर, इस नए परिवेश में इस उद्योग विभाग को बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा, गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है । आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों के लिए आप उद्योगपतियों की ओर जो इस क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं उनकी एक संयुक्त बैठक करावें और वैश्वीकरण के मद्देनजर हमें क्या करना है इस पर चिन्तन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी और मंत्रि-परिषद् का एक मंत्री भी उसमें रहे ताकि जो निर्णय आये उस पर अमल हो सके । दूसरा सुझाव यह है कि जो फिरोजाबाद में कांच का उद्योग है, कांच के बने सामान हैं जो हमारे यहां 65 से 75 रुपये का लैमन सेट है वह लंका का 30–35 रुपये में है ऐसी स्थिति में हमारे माल की बिक्री कम हो रही है और प्रोडक्ट पर असर पड़ रहा है । इस पर मान्यवर, बड़ी तेजी से चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । केवल फिरोजाबाद की बात नहीं है । साइकिल इण्डस्ट्री है, चीन की साइकिल यहां आती है तो उसका नतीजा क्या होगा और हमारी इण्डस्ट्री के लिए कौन आगे आयेगा इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । चीन की साइकिल सस्ती होगी । अगर आप उद्योग नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो विदेशी उद्योगों के सामने जो उनकी खपत होगी उदार उद्योग नीति के तहत तब हमारे उद्योग कैसे ठहर पायेंगे, यह गम्भीर प्रश्न है और बड़ी चिन्ता का कारण है । इस पर ध्यान देना चाहिए । अगली बात कहना चाहता हूं कि हमारे उद्योगों की स्थापना के लिए क्या-क्या सुविधाएं देना चाहते हैं । अवस्थापना सुविधाओं के बारे में जैसा मंत्री जी ने कहा कि शांति-व्यवस्था, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है । इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आपने जो औद्योगिक अस्थान बनाये हैं वह सबके सब वैसे के वैसे पड़े हैं । यू० पी० एस० आई० डी० सी० ने जितने जगह लिये हैं वह वैसे की वैसे पड़ी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यू० पी० एस० आई० डी० सी० के बड़े-बड़े प्लाट पड़े हैं। मेहरा जी ने अपने भाषण में जिसका जिक्र नहीं किया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ताज ट्रिपेजियम जोन से 10400 वर्ग कि०मी० एरिया प्रभावित है और एक करोड़ से अधिक आबादी प्रभावित होने वाली है। ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत परम्परागत उद्योग जो धुंये उत्पन्न कर रहे थे वह बन्द हो गये हैं केवल गैस से कुछ ही उद्योग चल रहे हैं, आप सबको गैस मुहैया करा नहीं सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक टाइप की उद्योग के बारे में सर्वे करायें और लोगों को प्रशिक्षित करें। क्योंकि ताज ट्रिपेजियम जोन की भयावह स्थिति है, होने वाली है। हम जनरेटर और लोहे का इन्जन बनाने का काम करके कोल्हापुर को कम्पीट कर रहे थे, आगरा में वह बन्द हो गया है। मान्यवर, लघु उद्योग के बारे में चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। ताज ट्रिपेजियम जोन में जो बरबाद होंगे उसके बारे में विशेष ध्यान देने की पुरजोर मांग करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ बातें शिल्प उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, आपने आगरे में एक शिल्पग्राम की स्थापना कर दी लेकिन आज उसकी हालत क्या हैं उससे हम शिल्पियों को क्या सन्देश दे रहे हैं। आपने सिर्फ बड़े लोगों को आराम देने के लिए लोकगीतों के कलाकारों से नाटक कराकर उनके नाटक दिखाकर कुछ लोगों को सिर्फ बड़े लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति बना ली है। लेकिन मान्यवर, इस विभाग ने शिल्प उद्योगों को बढ़ाने के लिए वहां पर कुछ नहीं किया है वहां के शिल्पियों की हालत सुधारने के लिए इस विभाग द्वारा वहां कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे शिल्प उद्योग को सुधारा जा सके उसका उन्नयन किया जा सके। मान्यवर, इस विभाग का यह काम है कि जो वहां के शिल्पी हैं उनको धन मुहैया करवायें जिससे वह अपने शिल्प व्यापार को बढ़ा सकें उसका उन्नयन कर सकें लेकिन इसके लिए इस विभाग ने कोई भी कार्ययोजना तैयार नहीं की है। मान्यवर, शिल्पियों को अपना कच्चा माल रखने के लिए, शिल्प का विकास करने के लिए धन की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, ब्याजमुक्त पैसों की आवश्यकता है यह उनको मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन इसकी चिन्ता इस विभाग नें आज तक बिल्कुल नहीं की है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शिल्पियों के विकास के लिए शिल्प का विकास करने के लिए ऐसे कोई कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किये गये हैं तो मान्यवर, इस तरह से शिल्पियों का उद्धार कैसे होगा। जब यह व्यवस्थाएं नहीं की जायेंगी इनका उद्धार नहीं हो सकेगा। उदारीकरण की नीति के कारण और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के कारण उद्यमियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी ओर भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है और जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक हमारे प्रदेश में उद्योग अवनति की ओर ही अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय कौकब हमीद द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विद्यासागर गुप्त–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज से दस वर्ष पहले जितने उद्योग थे उसमें से करीब 40 प्रतिशत बन्द हो चुके हैं। इसके कई कारण हैं। मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछले 10 सालों से लगभग समाप्त सा हो गया है जिसके कारण उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। कोई नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं इसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इन्हीं कारणों से उद्योग बन्द हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक भी ऐसी नीति नहीं बनी है जिससे उद्योगों को आसानी से लेबर और बिजली वगैरा मुहैया हो सके। यू०पी०एस०आई०डी०सी० की इन्डस्ट्रियल स्टेट है वहां पर 50 प्रतिशत भी उद्योग नहीं लगे हैं और जो लगे भी थे वह बन्द हो चुके हैं। यू०पी०एस०आई०डी०सी० का जो इन्ट्रेस्ट रेट है वह 15-16-18 परसेन्ट है। इस प्रकार उद्यमियों को अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ता है। मान्यवर, उद्यमियों को यह

ब्याज उसी दिन से भुगतान करना पड़ता है जिस दिन उन्हें जमीन का एलाटमेंट लेटर प्राप्त हो जाता है। जब कि होता क्या कि जमीन एलाट होने के पश्चात एक-दो साल बाद ही इन्डस्ट्री लग पाती है, तो यह जो बीच का समय होता है इसका ब्याज नहीं लगना चाहिए। जबकि इन्डस्ट्री एक-दो साल बाद बनकर तैयार हो पाती है लेकिन ब्याज का मीटर चलता ही जाता है। तो इस संबंध में कोई ऐसी नीति बनायी जानी चाहिए जिससे उद्योगों में जो सिकनेस आ जाती है वह न आये मान्यवर, एक साल का कोई भी ब्याज नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए जिस दिन से उनको जगह मिले, उनको फाइनेन्सिंग मिले उसी दिन से उनके ऊपर ब्याज न लगे। लखनऊ में मान्यवर, उद्योगों की बहुत कमी है। जो थे जैसे–अपट्रान, टेल्को, यू०पी०आई०एल० बंद हो चुके हैं। टेल्को बंद होने का कारण लेबर प्राबलम और सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए टेल्को के बंद कर देना पड़ा। एक सुझाव है कि रायबरेली रोड से जगदीशपुर होते हुए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की पाइप लाइन जा रही है। मेरा सुझाव है कि प्रदेश सरकार उसका इस्तेमा करने के लिए एक पेट्रोलियम आधारित उद्योग लगायें जिससे 5-10 हजार श्रमिकों को रोजगार मिल सके और एनीसिलेरी यूनिट लगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से चाहूंगा कि पेट्रो केमिकल्स काम्पलेक्स लगाया जाना चाहिए जिससे उद्योगों की वृद्धि हो सके।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप तो भिज्ञ हैं मैं बहुत ही संक्षेप में बोलता हूं। मान्यवर, उत्पादन के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। पहली भूमि, दूसरी–श्रम, तीसरी–पूंजी, चौथा–प्रबन्ध और पांचवां–साहस यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है। हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। वह प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उद्योग के लगाने का क्रम है, वहां वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश और बाहरी पूंजी निवेश सबसे ज्यादा खतरनाक समस्या है, आज के समय में। जापान बाद में आजाद हुआ और हमसे आगे निकल गया और चीन की अर्थव्यवस्था तथा उद्योग हमारे हिसाब से बहुत आगे निकल गये और आज बहुत सारी चीजें हमारे मार्केट में मिल रही हैं। हिन्दुस्तान में उसका मार्केट बनने जा रहा है। अभी रघुवर दयाल वर्मा जी विचार व्यक्त कर रहे थे, विश्व व्यापार संगठन का और चीन का उदाहरण दे रहे थे कि चीन की साइकिल आयेगी जो सस्ती होगी और यहां के उद्योग पिट जायेंगे, तो निश्चित रूप से यहां का व्यापार और उद्योग ध्वस्त हो जायेगा। हमारे कांग्रेसी भाई जब गवर्नमेंट में थे तो वह यह समझते थे कि जितना धुआं उड़ा देंगे उतना ही ज्यादा विकास होगा लेकिन यह नीति उनकी गलत थी और उसके चलते जो पूंजी थी जो प्रबन्ध था जो रोजगार मिलना चाहिए था वह उस तरह से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से उसके बारे में अनुमान लगाया गया था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ क्योंकि यहां पर श्रम ज्यादा है। यहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसी कारण यहां पर उद्योग नहीं आते हैं। अयोध्या में साम्प्रदायिक घटना हुई उसका असर भी उद्योगों पर पड़ा है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं कब यहां पर दंगा हो जाय। अयोध्या के मामले पर भी उद्योग पर उसका असर पड़ा। मान्यवर, अयोध्या के नाम पर आपने लालबत्ती जला दी, आपने लालबत्ती जला दी इसलिए ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मान्य सिद्धांत है कि उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से हमारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हताशा के इस दौर में इन लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट तो आयी और यह खिलखिलाहट तो आयी लेकिन इसके आगे किलकारी न हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आज जो उद्योगों की स्थिति उत्तर प्रदेश में है उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा और एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी । हम जो झोली फैलाकर खड़े हो जाते हैं, बिलगेट्स आये, हम झोली फैलाकर मांगते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है । अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं उनसे झोली फैलाकर मांगा जाता है लेकिन मिलता नहीं है । वह अपनी शर्तों पर पैसा देना चाहते हैं आप अगर उनकी शर्तों पर उनसे पैसा लेंगे तो यह आर्थिक व्यवस्था को गुलाम बनाने का काम होगा । आप अपने यहां का इन्वायरमेंट देखकर, पूंजी देखकर, परिस्थितियों को देखकर औद्योगिक वातावरण बनायें तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं । इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान देकर कार्यवाही करें । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया । मैं उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है । श्रीमन्, वर्तमान में कुल 2616 वृहद एवं मध्यम उद्योग हैं जिसमें 41266.20 करोड़ की पूंजी लगी हुई है । इसी तरह से इन उद्योगों में 738582 लोगों को रोजगार उपलब्ध है । वर्ष 2000 में कुल 8 लाइसेंस जारी हुए हैं जिसमें 25.89 करोड़ की पूंजी लगेगी और इससे 643 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है जो औद्योगिक समस्याओं का निराकरण करेगी जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा । इससे उद्योगों के संबंध में जो तात्कालिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं उनका तत्काल निराकरण होगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना एवं पश्चिमी विकास सहभागिता कोष की स्थापना की गयी है । इसके लिए वर्ष 2001-2002 में 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जिसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । उद्योगों की स्थापना के लिए भूखण्डों को उपलब्ध कराने के लिए जो नये-नये प्राविधान किये गये हैं उसके अन्तर्गत उद्यमी औद्योगिक भूखण्ड प्राप्त कर सकेंगे और उद्योगों का विकास होगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नेचुरल गैस की आपूर्ति हो सके इसके लिए प्रदेश में 4000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की व्यवस्था होगी जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । सीमेंट उत्पादन की व्यवस्था में, निजी क्षेत्र में, विडिंग की व्यवस्था की गयी है और टेंडर आमंत्रित किये गये हैं इससे 30 लाख मी० टन सीमेंट प्रतिवर्ष उत्पादित होगा जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मान्यवर, ताज एक्सप्रेस वे योजना ग्रेटर नोयडा में है । यहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा में जो औद्योगिक एरिया है उसमें उद्योग लगे हैं वहां पर जयगुरुदेव नामक व्यक्ति ने संस्था की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है तत्कालीन जिलाधिकारी एस० पी० गोयल ने जांच कमेटी बनाई थी, तत्कालीन एस० डी० एम० सदर ने उसकी जांच की थी उसमें उन्होंने सही पाया था कि उन्होंने रोड साइड की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है उद्योगपति प्रताड़ित किया गया है, डराया गया है यह रिपोर्ट शासन में आ चुकी है उस पर कोई कार्यवाही न होने से उसके हौसले बुलन्द हो गये उद्योगपति भयभीत होते जा रहे हैं उस भूमाफिया उद्योगों को उजाड़ने वाले के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की जाए, उनको जेल में अविलम्ब डाला जाए तो प्रदेश के हित में होगा, शांति व्यवस्था के हित में होगा, इतना ही मैं कहना चाहूंगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । जिस सरकार में कोई प्रदेश का उद्योग मंत्री न हो इससे ही पता लग जाता है कि उद्योग

के विकास के प्रति सरकार कितनी सचेष्ट है और गम्भीर है । आज औद्योगिक विभाग का बजट है मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है उनके पास समय नहीं है कि वह आज सदन में बैठकर प्रदेश में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं पर जो चर्चा होती, जो मूल्यवान सुझाव आते उन सुझावों पर विचार करते । उद्योग के बारे में इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है । चाहे जो आंकड़े बजट में प्रस्तुत किये गये हों लेकिन अगर यह कहा जाए कि आज औद्योगिक विकास की स्थिति दयनीय तो यह अतिशयोक्ति न होगी । दो प्रतिशत से भी नीचे औद्योगिक विकास की दर आज प्रदेश की है । जब आज वैश्वीकरण हो रहा हो, जिस तरह संचार के माध्यमों से दुनियां की दूरी कम हो गई है उसमें इतने बड़े प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय है किस तरह से आप विकास की कल्पना कर सकते हैं । किसी भी प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण बनाया जाए, उद्योगों को संरक्षण दिया जाए लेकिन आज स्थिति क्या है जहां रोज बैंकों का खजाना लूटा जाता हो, पैसा लूटा जाता हो, खजाने में लोग पैसा लिए जाते हों उनको दिन दहाड़े लूट लिया जाता हो, रंगदारी के नाम पर शोषण और उत्पीड़न हो उस प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे होगा । उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है वह मैं समझता हूं कि पूरे देश में औद्योगीकरण के लिए सर्वथा उपयुक्त है । आज गुजरात, महाराष्ट्र में देश और सारी दुनियां से लोग आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आ रहा है । कई बार सरकार अधिकारियों का डेलीगेशन लिए तमाम देशों में घूम कर आई लाखों रुपये सरकार ने व्यय किये लेकिन एक भी एम० ओ० यू० शाइन करके नहीं आए इस सरकार को चलते लगभग 5 वर्ष हो गये लेकिन एक भी 100 करोड़ रुपये तक की भी कोई इकाई के एम० ओ० यू० शाइन नहीं हुए । एक भी ऐसी इकाई उत्तर प्रदेश में नहीं लगी । स्थापित इकाइयां एक-एक करके पलायन कर रही हैं । जिस तरह से आई० टी० सी० सहारनपुर में उद्योग स्थापित करना चाहती थी लेकिन औद्योगिक वातावरण न होने के कारण, सरकारी जटिलताओं के कारण तमाम सारी मशीनों के स्थापित होने के बावजूद वह आई० टी० सी० वहां से पलायन कर गई । टेल्को लखनऊ में लगातार हड़ताल व सरकार की उदासीनता के कारण बन्द करने पर कम्पनी विचार कर रही है । प्रदेश में वैसे ही औद्योगिक विरोधाभास की स्थिति है एक-एक उद्योग बन्द होते जा रहे हैं, सीमेंट कारपोरेशन हो, वस्त्र उद्योग हो, अपट्रान हो तमाम सारी इकाइयां बन्द हो गई हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कैसे जीवित रखा जाए अपट्रान लखनऊ में स्थापित है जहां सारी दुनियां में इलेक्ट्रानिक युग है वहीं लखनऊ की एक इलेक्ट्रानिक संस्था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी थी उसको भी हम नहीं बचा सके । कई बार घोषणा हुई कि प्रधान मंत्री जी कोई पैकेज स्वीकृत कर रहे हैं लेकिन आज तक उसको मूर्तरूप नहीं दिया जा सका । सार्वजनिक क्षेत्र में हजारों उद्यमी लगे हैं रोजी-रोटी के लिए संघर्षरत हो रहे हैं । मान्यवर, आपने देखा होगा यहीं विधान भवन के सामने कहीं सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारी, कहीं अपट्रान के, कहीं कताई मिलों के कर्मचारी धरना देकर चले गये और आज भुखमरी के कगार पर हैं । सार्वजनिक क्षेत्र निरन्तर बर्बादी की ओर बढ़ता चला जा रहा है । इसके लिए इस बजट में कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है । निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति तो यह है कि आपके नियम और कानून इतने जटिल हैं कि कोई भी उद्यमी यहां पर आना नहीं चाहता । सरकार से उसको जो संरक्षण मिलना चाहिए, सरकार के ऊपर उसकी जो विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है इससे उद्यमी प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं । हमें प्रयास करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण कैसे सृजित हो ? सबसे पहले उद्यमियों के लिए सुरक्षा जरूरी है बिजली जरूरी है इनको पूरा किया जाय । हमारे यहां बिजली का उत्पादन पिछले 10 साल में एक मेगावाट के अतिरिक्त कोई इकाई नहीं लगाई गई है । आठवीं, नवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन की एक भी इकाई नहीं लगाई गई । बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे । उद्योगों को आप सात-आठ घंटे बिजली देंगे तो कौन उद्यमी यहां पूंजीनिवेश करने का काम करेगा । सबसे पहले आवश्यकता है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने की । आप रोजमर्रा की विद्युत आवश्यकता को तो पूरा कर नहीं पाते हैं उद्योगों को कैसे 12 घंटे बिजली दे सकेंगे ? जहां तक निर्यात नीति का सवाल है हमारी निर्यात नीति इतनी काम्पलीकेटेड है कि उद्यमी अपने तैयार किये उत्पाद को निर्यात करने में जिस कठिनाई का सामना करता है उसी से पूछिये । इसलिए निर्यात नीति का सरलीकरण किया जाना चाहिए । प्रयत्न करना चाहिए कि उद्योगों का उत्पाद गुणवत्ता के अनुरूप हो

जिसका निर्यात हो सके किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रदेश में चमड़ा उद्योग की सम्भावना है लेकिन इन व्यापारियों की कठिनाइयों का निराकरण नहीं किया जा रहा है । हमें चाहिए कि उनकी गुणवत्ता को विश्व मानकों के अनुरूप बनाया जाय । औद्योगिक इकाई सेट बनाया गया लेकिन वह खाली पड़ा है इकाइयां आपकी बीमार हो गई हैं । जो इकाइयां स्वीकृत होती हैं धनराशि दी जाती है उसके बाद बीमार होती हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है इनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर विचार करना चाहिए । चीन हमसे बाद में आजाद हुआ लेकिन आज हर्बल दवाओं के क्षेत्र में जिसके लिए भारतवर्ष अग्रणी माना जाता था यहां की जड़ीबूटी के लिए विदेशी परेशान रहते थे लेकिन चीन ने सारी दुनियां पर हर्बल क्षेत्र में कब्जा कर रखा है यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में चीन की दवायें छाई हुई हैं । क्या उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता ? जनता अंग्रेजी दवाओं से ऊब चुकी है । प्रदेश में उद्योग की बहुत सारी संभावनायें हैं जो विश्व व्यापार संगठनों के अनुरूप कपड़े के क्षेत्र में अधिक सहभागिता कर सकते हैं जो कानपुर मानचेस्टर के नाम से जाना जाता था वहां एक-एक बड़ी कपड़ा मिल बन्द हो गई कताई मिलें बन्द हो गयी यह सारे स्थापित उद्योग बन्द हो गये । चीनी मिलों की प्रदेश में महती सम्भावना थी परन्तु दो दर्जन से ज्यादा चीनी मिलें बन्द हो गई । पिछले दिनों दिल्ली में उद्योग हटाये जा रहे थे सम्भावना यह थी कि हटाये गये उद्योग प्रदेश में स्थापित होंगे लेकिन वे गुजरात चले गये और हम उनको आकर्षित करने का वातावरण स्थापित न कर सके । हमें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए । माननीय मंत्री जी घोषणा चाहे जितनी कर लें, मंचों से कहते रहें कि औद्योगिक विकास में प्रदेश को नम्बर वन पर ले जायेंगे । इस पर सरकार कितनी चिन्तित है, उद्योगों के प्रति कितनी उदासीन है, यह इससे परिलक्षित हो रहा है कि सरकार का कोई मंत्री उद्योग मंत्री के रूप में काम नहीं कर रहा है । कैसे उद्यमियों से आप रिश्ता कायम करेंगे, कैसे उद्यमियों को विश्वास में लायेंगे, कैसे उनसे संवाद करेंगे, कैसे कोई उद्यमी आपके यहां उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होगा, यह सोचने की बात है । सहकारिता मंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं, कल कोई दूसरा मंत्री जवाब दे देगा, कैसे विकास होगा उद्योगों का, इस प्रदेश में ? सरकार जरा सा भी गम्भीर नहीं है । सरकार असंवेदनशील है । इस सरकार के चलते औद्योगिक विकास की कल्पना करना नाइन्साफी होगी । जितना पैसा दे दिया जाय, कुबेर का सारा खजाना भी इनको दे दिया जाय तब भी यह प्रदेश औद्योगिक विकास नहीं कर सकता है । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

माननीय अधिष्ठाता जी, बाजपेई जी ने कई बार कहा कि यह सोचने की बात है औद्योगिक विकास के बजट में । सोचने की बात तो यह भी है कि हमारे यहां वृन्दावन में एक भूत मंदिर है जिसके खम्भों को दस बार भी गिना जाय तो कभी 83, कभी 84 कभी 85 गिनने में आते हैं । मान्यवर, जब से आप बैठे हैं ढाई घंटे से इनके पांच ही सदस्य हैं कुल मिलाकर जो बैठे हैं, कोई खाना खाकर आता है, बैठ जाता है तो कोई खाना खाने चला जाता है । कितनी देर से देख रहे हैं यह कुल पांच ही लोग हैं जो बैठे हैं । यहां पर भी भूत मंदिर वाली स्थिति हो रही है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

जो चौधरी साहब ने कहा ठीक कह रहे हैं । मान्यवर, हम देख रहे हैं कि उद्योग विभाग का बजट बिना उद्योग मंत्री के रखा गया है । हम जान रहे हैं कि एक परम्परा का निर्वाह हो रहा है तो हम सब बैठकर क्या करेंगे । हम पांच पांडव काफी हैं, कौरवों की सेना से कुछ हल होने वाला नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज उद्योग विकास, लघु उद्योग निर्यात एवं प्रोत्साहन का बजट है, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, पहले भी पत्र के द्वारा लया था पुनः निवेदन करना चाहता हूं । मेरठ में इस वक्त बड़ी संख्या में स्वर्ण के जेवरों को बनाने का काम हो रहा है । तीन करोड़ रुपये के जेवर बनकर दिल्ली जाते हैं । बनते मेरठ में हैं और दिल्ली की मोहर लगाकर

विदेशों के लिये निर्यात होते हैं। यह उत्तर प्रदेश का उद्योग दिल्ली के नाम से पनप रहा है। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरठ को ज्वैल सिटी बनायें और उसको सारी सुविधाएं दी जायं जो एक औद्योगिक प्रदेश को मिलनी चाहिए। मेरठ के बने हुए जेवरों का एशिया में प्रथम स्थान है जेवर निर्माण में आबू धाबी, दुबई में वर्ष में एक बार प्रदर्शनी लगती है। अमेरिका से एक प्रमाण-पत्र मिलना होता है यदि वह प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो ओमान की मोहर लगाकर 6 परसेन्ट कम रेट पर बिक्री होती है। कई बार इसको सरकार के संज्ञान में ला चुका हूं। मेरठ को ज्वैल सिटी बनाने के लिए भी कह चुके हैं, कृपया इसकी व्यवस्था करके इसको नियमित करके एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक निर्यात का शहर बनाकर इसको सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं। मेरठ में कैंची, खद्दर और बैंड बनता है और इन तीनों चीजों के निर्यात की गुंजाइश है। इसका सामूहिक अध्ययन कराकर मेरठ को C-18 स्कीम में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ेगा। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि छोटे सिलेन्डर 2 किलो और 4 किलो के गैस सिलेन्डर का उद्योग पूरे प्रदेश में फल फूल रहा है इसमें करोड़ों रुपया भी लगा है और हजारों लोगों की रोजी रोटी बना है उसके बाद भी यह नम्बर दो का उद्योग हो रहा है मान्यवर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर प्रदेश में कहीं टैस्टिंग लैब बना दें वहां इसको प्रमाणित किया जाए, लाट का परीक्षण होने लगे, परीक्षण के लिए कोई फीस रख दी जाए सिलेन्डर का कोई मानकीकरण कर दिया जाए तो वह उद्योग के नाम पर नम्बर एक पर आ जाएगा। वह लघु उद्योग में, सेल्सटैक्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन आई० एस० आई० न होने के कारण उसमें डर बना रहता है। एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत व्यवहारिक मानकीकरण किया जाए यह मेरा सुझाव है। वर्तमान कानून अव्यवहारिक है मान्यवर, उद्योग के विकास की चर्चा हो रही थी बिजली उद्योग विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसका उत्पादन हाइड्रो, तापीय, खोई, कचरे से होता है। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि 640 मीट्रिक टन कचरा मेरठ में पड़ा है डेढ़ साल से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है जबकि मेरठ शहर में औद्योगिक संस्थान को जितनी बिजली की आवश्यकता है वह उसी से पूरी हो सकती है। ई० डी० एल० आस्ट्रेलिया का एल० ओ० आई० जारी कर दिया गया है लेकिन इसमें कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मेरठ में बिजली का उत्पादन बढ़ सके। दूसरी बात मान्यवर, दिल्ली से उद्योग स्थानान्तरित हुए बहुत शोर हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण जो दिल्ली से उद्योग विस्थापित हुए, यह कहा गया कि दिल्ली से बाहर उद्योगों को लगाया जाए उसको उत्तर प्रदेश में स्थापित कराने की बात सरकार ने कही थी यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो पूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी, इसको देखते हुए लोगों ने प्लाट बुक करा दिये लेकिन इसमें आगे कार्यवाही नहीं बढ़ रही है मेरा सुझाव है कि इस संबंध में एक वरिष्ठ सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इसको देखे। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उत्तर भाषण में बतायें कि दिल्ली में विस्थापित उद्योगों में कितने लोगों ने किस इण्डस्ट्रियल स्टेट में प्लाट खरीदे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर दो उद्योगों पर पाबन्दी लगा लें एक तो अपहरण उद्योग और दूसरा चन्दा उद्योग, तो निश्चित तौर पर प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

स्थानान्तरण उद्योग भी बता दें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अभी अशोक बाजपेयी जी बोल रहे थे तो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे थे मैं आज सुबह के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक खबर की तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं उसमें लिखा है कि मारुती वैन का समस्त लूटा हुआ सामान समाजवादी पार्टी के एक नेता के पुत्र के पास मिला। समाचार की हैडिंग है–"साढ़े 6 लाख व वैन लूट में सपा नेता का पुत्र बंदी"

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह अपने आगंन में झांकें, दूसरे आंगन में न झांकें कि क्या हो रहा है ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

भा० ज०पा० के किसी ने बरामद कराया होगा।

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, खानें एवं खनिज अनुदान पर मेरे कटौती के प्रस्ताव पर माननीय श्री राम तेज यादव जी, श्री अम्बिका चौधरी जी व अन्य सदस्यों ने जो समर्थन किया है और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में धातु खनिज के सम्बन्ध में ताम्बा, सोना, जस्ता और शीशा-हीरा आदि धातु यहां पर पायी जाती हैं एवं इस पर वृहद अन्वेषण की आवश्यकता है। इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इमारती पत्थर हमारे प्रदेश में हैं लेकिन इनकी पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के लोग गरीब हैं उनके मकान सस्ते बनें इसके लिए सरकार की तरफ से खनिज सम्बन्धी उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जैसे सस्ती इमास्ती सामग्री, टाइल्स वगैरह सस्ते दामों पर उपलब्ध हों, तो हमारे प्रदेश में गरीब लोग सस्ते भवन बना सकेंगे। उच्च श्रेणी के मकान बनाने के लिए बहुत सम्भावनाएं हैं। विभाग की तरफ से प्रयास किया जाय तो इमारती सामग्री सस्ते दामों पर मिल सकती है। मान्यवर, इस विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस विभाग में रहकर, जो सरकार की समय-समय पर नीति बनी है, पट्टे देने की व्यवस्था की गयी थी, बालू, मौरंग, खनिज पट्टे के संबंध में, उस समय मिर्जापुर और सोनभद्र के खनिज अधिकारी के रूप में श्री डी० पी० सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचायी है। जब 12 जून, 1985 को एक शासनादेश हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मल्लाहों को उनका जो परम्परागत पेशा है, उनकी पंजीकृत सहकारी समिति को बालू, मौरंग, खनिज के पट्टे दिये जायें जिसे फेल करने का प्रयास किया है। 12 सितम्बर, 94 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने खनिज नीति बनायी थी और पट्टे देने की व्यवस्था की थी उनको इन्होंने पूंजीपतियों और माफियाओं के साथ मिलकर फेल करने का प्रयास किया है और आज 30 दिसम्बर, 2000 को मौजूदा सरकार ने जो शासनादेश लागू किया उसकी भी इन्होंने माफिया और बिचौलियों के साथ मिलकर उसको फेल करने का प्रयास किया है। 30 दिसम्बर, 2000 का जो शासनादेश है उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपने जिले में खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमीरपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, उन्नाव और अन्य जिलों में, जहां पर बहुतायत बालू और मौरंग खनन के पट्टे हैं, जहां ज्यादा उत्पादन होता है, वहां के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है जिससे धनाढ्य ठेकेदारों ने

दोहन करने का काम किया और अनुचित ढंग से कमाया । तो मान्यवर, वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको मान्यवर, दण्ड दिया जाना चाहिए इनकी वजह से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है । मान्यवर, 22 सितम्बर, 94 को जो जी० ओ० माननीय मुलायम सिंह जी के शासनाकाल में हुआ था बालू, मौरंग खनन के संबंध में लागू किया था, उसे फिर से सख्ती से लागू किया जाये और उसमें 30 एकड़ के टुकड़े करके व्यक्तिगत रूप से पट्टा करने की बात थी ।

मान्यवर, 12 जून, 85 में उपखनिज परिहार नियमावली में धारा–9 में उपधारा–3 जोड़कर मलाहों की पंजीकृत सहकारी समितियों को बालू, मौरंग का पट्टा देने की व्यवस्था की गयी थी उसे पुनः लागू किया जाये, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया था 1991 में, फिर 22 सितम्बर, 1994 को मुलायम सिंह जी के शासनाकाल में शासनादेश करके उस प्राविधान को जोड़कर बात की गयी । मान्यवर, उस प्राविधान को जोड़कर व्यवस्था की जाये तभी प्रदेश में वास्तव में बालू और मोरंग के खनन के पट्टे, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्ट से पिछड़े हुए लोग हैं और जिनका ये पुश्तैनी पेशा है उनको ये पट्टे मिल सकेंगे । मान्यवर, उससे इस प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलेगा और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन गरीबों को व्यवसाय भी मिलेगा । आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें चिन्हित करके, उन्हें दण्डित करके सुधारने की कार्यवाही की जाये । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वे जबाब देंगे तो उसमें जिक्र करेंगे कि औद्योगिक विकास दर क्या है ? उन्होंने बताया ही नहीं है मान्यवर, मैं पिकअप के बारे में बता चुका हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य हैं वे जबरदस्ती करना चाहते हैं कि आप बतायें कि औद्योगिक विकास दर क्या है अब मंत्री जी बतायें या न बतायें अब अगर यह नहीं बतायेंगे तो आप क्या करेंगे ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने दिल की बात कही । समर्थन में उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन गलत नहीं कह पाये । उन सबने यह कहा कि औद्योगिक विकास कहां हो रहा है ? कहां उद्योग लग रहे हैं ? मान्यवर, उद्योग कैसे लगेंगे उद्योग लगाने का काम आपने कुछ किया हीं नहीं सबने यही बात कही । मान्यवर, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं जिससे यह साबित होता है कि आपकी इच्छाशक्ति कितनी है मान्यवर, आपकी सरकार ने साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क बनाने की घोषणा की । पिछले वर्ष आपने यह कहा था कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० टेक्नॉलोजी पार्क बनायेगा कानपुर के पास में और उसमें 3.80 करोड़ रुपया लगेगा । क्या वह पार्क बन गया और 3 करोड़ रुपये लग गये या वह सिर्फ कागजों में रह गया । आपने निक्डा की बात कही न्यू इंटीग्रेटेड, कानपुर डेवलेपमेंट एथॉरिटी इतना बड़ा नाम कि इंटीग्रेटेड योजना बनायेंगे वे कानपुर में बनायेंगे । कानपुर तो बड़ा शहर है, कानपुर में मैंने तो इस नाम की कोई एथारिटी देखी नहीं, आप बतायेंगे । मान्यवर, यह कानपुर और लखनऊ के हाइवे पर बन रहा था । कानपुर, लखनऊ के हाइवे तो सभी जा रहे हैं अगर आपने देखा है तो घोषणा कर दीजिए । अब उस हाइवे पर क्या हुआ मैं बता दूं । मान्यवर, पिछले साल 131 फैक्ट्रियां दिल्ली से गई थीं और दो साल का कार्यक्रम था जो दिल्ली के अन्दर हैं उसमें से एक भी फैक्ट्री आपके यहां नहीं लगी वह गुड़गांव चली गयी, सोनीपत, हरियाणा में चली

गयी लेकिन बुलन्दशहर में नहीं चली । मान्यवर, ट्रोनिका दिल्ली से 12 कि०मी० है जो आपकी 131 फैक्ट्रियां जो पिछले साल गयी थी 99–2000 और 2000-2001 के बीच में गई हैं 2001-2002 में गयी हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री जी ने एक हफ्ता पहले कहा है कि श्रीमती शीला दीक्षित से उनकी बात हुई है, पंजीकरण शुरू हो गया है,एक पंजीकरण नहीं हुआ है । मुझे उन फैक्ट्रियों के नाम बता दीजिएगा, आप दो के नाम बता दीजिएगा कि कौन सी इकाई हैं । आप 100 कह दें तो बात नहीं बनेगी, आप नाम बता दीजिए, एक का नाम नहीं बता पायेंगे । मान्यवर, लेदर टेक्नोलोजी पार्क की आपकी घोषणा है यह कहां बना, किसने बनाया । जो मुझे मालुमात है वह यह है कि लेदर इंडस्ट्री उन्नाव और कानपुर की ठप हो गयी है जब आप जवाब दें तो यह भी बतायें कि आपके उत्तर प्रदेश की सिक यूनिट कितनी है जो बीमार इकाइयां हैं वह कितनी हैं और उनमें से आपने कितनों को एक परसेन्ट कितनों को 2 परसेन्ट, हाफ परसेन्ट को पुनः दुबारा जिन्दा कर दिया है, दुबारा उनमें काम शुरू हो गया है, मजदूर नौकरी पा गये हैं उनको बता दीजिएगा । जो आपकी सीमेन्ट फैक्ट्री थी सीमेन्ट कारपोरेशन की, तो क्या हुआ उसका । आप रतन टाटा से मिलने की बात कह रहे हैं कि बाम्बे में मिले तो उसका क्या फायदा हुआ, आपने टेल्को को बन्द करा दिया जो बहुत बड़ी इकाई थी उसको बन्द करवा दिया । जी टी०वी० वालों ने उद्योग अगर लगाया, टेलीविजन का उद्योग, तो आप बेरोजगार जो हैं उनको नौकरी दिलवा पायेंगे । मान्यवर, ट्रोनिका, यह आपके भाषण में, बजट भाषण में, माननीय राज्यपाल जी के भाषण में ट्रोनिका का जिक्र आया । मान्यवर, खूबी की बात यह है कि दिल्ली से अगर आप पैदल चलें तो आधा घण्टे में दिल्ली पहुंच जायं, इतनी दूर है दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के अन्दर और वहीं अन्सल बिल्डर्स हैं और उसने आधी जमीन पर प्लाट बेचने का काम शुरू कर दिया, खम्भे लग गये इकाई एक भी नहीं लगी, मेरे घर से 30 कि०मी० है मैं वहां से निकलकर भी चला जाता हूं वहां पर तीन दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है । पिछले 15–20 साल हो गये हैं । श्री वीर बहादुर के जमाने से यह ट्रोनिका बनी थी उन्होंने उद्घाटन किया था । तो यह तो यहां की बात आ गई । टेक्सटाइल सिटी की बात बता दूं, जो एल्गिन मिल्स की आप कह रहे हैं, वह तो कब से कह रहे हैं, हमें जिन्दा कर दो, हमारे मजदूरों को लगा लो, लेकिन आपको चिन्ता नहीं । उसकी तीन मिलें हैं, जिसमें से केवल एक चल रही है और दो बंद हैं, जो चल रही है, वह भी उस कगार पर है कि गर्म कपड़ा बनाना तो उसने बंद ही कर दिया है । आपने पहले चोला टाउनशिप का जिक्र था, यह टाउनशिप खुर्जा–सिकन्दराबाद हाइवे पर बननी थी । लेकिन न तो खुर्जा में ही कुछ हुआ और न सिकन्दराबाद हाइवे पर ही कुछ हुआ । नतीजा आपने चोला टाउनशिप को बनने ही नहीं दिया, अब इसका कोई वजूद ही नहीं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि आज यू० पी० एफ० सी० का हश्र क्या है । यू० पी० एफ० सी० उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है और यह संस्था उद्योगों को लोन देकर जिन्दा करने का काम करती है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लोन देने वाली संस्था खुद हानि में चल रही है तो भला उद्योगों का विकास कैसे हो सकता है ? वर्ष 1997-98 में इस संस्था में 25 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद 98-99 में 42 करोड़ का, 99-2000 में 30 करोड़ का और 2000-2001 में 40 करोड़ का नुकसान हुआ । अब इतने नुकसान के बाद यह कैसे मुमकिन है कि जो संस्था ऋण देने वाली खुद नुकसान में जा रही हो, वह उद्योगों को कैसे जिन्दा कर सकती है । अब पता नहीं,आप कैसे उद्योग लगा रहे हैं ।मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपने जो टारगेट फिक्स किया है, वह यू० पी० एफ० सी० में 40,400 करोड़ रुपये का था, उसमें से मात्र आप 230 करोड वसूल कर पाये, क्या आपने इसके लिए उसके मैनेजर्स/कार्मिकों की कोई जिम्मेदारी फिक्स की ? आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की । उसके बाद इस साल जो आपका लोन बांटने का लक्ष्य था, वह 150 करोड़ का था और उसके सापेक्ष आप मात्र 96 करोड़ ही बांट पाये, उसकी वजह सिर्फ यह थी कि कोई आपसे ऋण लेने नहीं आया, कोई एप्लीकेशन नहीं आई । मैं आखिर में अपनी बात समाप्त करने से पहले माननीय मंत्री जी को एक बात अवश्य बताना चाहूंगा

कि मंत्री जी यह प्रदेश 16 करोड़ का है और इसमें आप वह नीति लाओ, जिससे कम से कम जो जमीन पर भार है, आदमी का, वह कुछ कम होना चाहिए। इस समय आबादी का 73 प्रतिशत खेती के काम में लगा हुआ है और उससे जो हमारे प्रदेश की आमदनी होती है, वह है 42 प्रतिशत। इस प्रकार 73 प्रतिशत आदमी 42 प्रतिशत आमदनी कर रहा है। इसके विपरीत जो उद्योगों की स्थिति है, उसके अनुसार 15 फीसदी आमदनी उद्योगों से है और केवल 8 प्रतिशत आदमी उद्योगों में से संबंधित नौकरियों में लगा हुआ है। जब तक इस अनुपात को आप बराबर नहीं करेंगे, तब तक इस देश और प्रदेश का विकास कैसे हो पायेगा, कैसे यह प्रदेश उद्योग प्रदेश हो पायेगा? इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सीताराम निषाद और श्री कौशल किशोर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और श्री नवाब सिंह नागर, श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी, पोद्दार जी, डा० अशोक बाजपेयी जी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बजट के संबंध में अपने भाषण में रखे। कुछ बिन्दुओं पर कटौती के समर्थन में कुछ माननीय विधायकों ने और कुछ माननीय विधायकों ने हमारे बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये। सबकी मंशा, सबकी चिन्ता यही है कि प्रदेश में अच्छा औद्योगिक वातावरण बनना चाहिए और इसके लिये उन्होंने अपने उत्तम विचार रखे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विचारों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और निश्चित रूप से इस प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए, औद्योगिक वातावरण और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ाई जायेगी। लेकिन मान्यवर, जैसी भाषा में एक कहावत है "सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद"। मान्यवर, जिन लोगों ने यहां उपदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश का वातावरण खराब हो रहा है। अगर वह अपने दामन में झांक कर देखें, वह भी सत्तासीन रहे हैं, उस समय प्रदेश की क्या स्थिति थी। उस समय प्रदेश को उद्योग प्रदेश नहीं, लूट प्रदेश लोग कहने लगे थे, अपहरणों का तांता लगा था...

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 वर्ष से आपकी सरकार सत्तासीन है लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 वर्ष से आपकी सरकार सत्तासीन है लेकिन...

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं बल्कि जो अच्छे काम हैं, माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि आलोचना करते समय कम से कम उसको भी ध्यान में रखते। माननीय निषाद जी ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हमारी पिछड़ी जाति और निषाद जाति के लिए समस्या पैदा हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में सचेष्ट है। सोने और बहुमूल्य धातुओं के खनन के लिए मिर्जापुर क्षेत्र में ललितपुर में लाइसेंस दिये जा रहे हैं और तमाम खनिज के खनन के लिए ओ० एन० जी० सी०, आई० ओ० सी० को फैजाबाद बाराबंकी तथा अन्य क्षेत्रों में भी लाइसेंस देने की बात हुई है। जो स्थिति है बालू आदि के खनन की, मा० सर्वोच्च न्यायालय में, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस० एल० पी० डाल दी है और जिस व्यवस्था की बात आप कह रहे थे वह व्यवस्था सरकार ने पहले से सुनिश्चित कर रखी है। जो हमारी पिछड़ी जाति के बन्धु हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से उनको निश्चित रूप से वरीयता मिली है। आपने समितियों को वरीयता की बात की थी। सरकार ने रजिस्टर्ड

समितियों को वरीयता देने पर ध्यान दिया है लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन आप समझ सकते हैं कि इस बार कम रुका है। एस० एल० पी० डाल दी गयी है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आप लोगों की चिन्ता है वही चिन्ता सरकार की है। इसमें सक्रिय रूप से सरकार आपको सहयोग देगी और जो निश्चित रूप से जो चिन्ता आपकी है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं और जिसके माध्यम से उनकी जीविका चलती थी उस जीविका में कोई बाधा न आये, वह बाधा सरकार आने नहीं देगी। उनकी कठिनाइयों को अपनी कठिनाई समझते हुए सरकार उसका समाधान करेगी। राजकीय मुद्रणालय के बारे में कहा गया कि 5 इकाइयां हैं, अब 1 इकाई उत्तरांचल में चली गयी है। मेरे इसका काम व्यवसायिक नहीं है सेवा का काम है। इसमें राजकीय विभागों जैसे-सचिवालय, विधान सभा आदि का छपाई का काम होता है। इसके संबंध में जो सुझाव दिये हैं उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कुशलता और सुदृढ़ की जायेगी।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, नान-प्लान में 50 करोड़ रुपया है और प्लान में 44 लाख रुपया। 50 करोड़ बगैर किसी प्लान के खर्च होगा ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

निश्चित रूप से आपकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। बोर्ड अध्यक्ष हैं नहीं, उन्होंने रसड़ा कताई मिल के बारे में सूचना दी। उसे सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने के लिए बी० आई० एफ० आर० में डाल दी गयी है। शीघ्र ही निजीकरण की व्यवस्था के माध्यम से उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगे हैं। सरकार यह चिन्ता कर रही है कि जो श्रमिक हैं उनकी कठिनाइयों का निवारण हो जाये। माननीय सदस्य लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने चिन्ता व्यक्त की कि दिल्ली से विस्थापित होने वाले उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोगों ने यहां रजिस्ट्रेशन कराया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 4 हजार प्लाट उनको आवंटित कर दिये गये हैं और उद्योग लगाने की कार्यवाही हो रही है। सारनाथ टेक्सटाइल पार्क, कानपुर के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी। विदेश संचार निगम के द्वारा 40 करोड़ रुपये सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय गेट वे बनाये जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने बीमार इकाइयों के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की। सीमेन्ट निगम को ठोस प्रबंधन करके किसी क्षेत्र में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे यह सरकार चलायेगी। अन्य जो रुग्ण बोर्डिंग 258 इकाइयों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। 78 इकाइयों के लिए पुनर्वासन पैकेज तैयार कर लिया है और 34 इकाइयां पुनर्जीवित की गयी हैं। कौकब हमीद जी ने कहा कि देश भर में जो उद्योग हैं, मंदी का वातावरण है, यह प्रदेश में भी परिलक्षित हो रहा है। राज्य में जहां तक निवेश की बात है तो हम तीसरे स्थान पर हैं। क्रियान्वयन में हम तीसरे स्थान पर हैं। आंकड़ों का यह खेल नहीं है, पूंजीनिवेश हुआ है। इससे परिलक्षित हो रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने कितनी चिन्ता की है। सारे देश के अन्दर हम तीसरे स्थान पर हैं।

श्री कौकब हमीद--

शीर्ष नम्बर पर आने की बात कर रहे हैं। आप बता दें कि क्या औद्योगिक विकास हुआ है। जो चौथे नम्बर पर हैं उनका 8 से 9 प्रतिशत है तो आपका 10-11 प्रतिशत होना चाहिए जबकि आप 5 या 3 प्रतिशत पर हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

यह किसी के किनारे रहते हैं, उनकी चिन्ता होना स्वाभाविक है। शायद कौकब जी को जानकारी होगी कि जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वह दिल्ली से ऋण ले रहे हैं। नोयडा और ग्रेटर नोयडा में ऐसी संस्थायें हैं जो ऋण दे रही हैं। एक साल और आपकी इस सरकार के कार्यकाल में आशा-

पत्रों और इच्छा-पत्रों की । गत 4 वर्षों में 11 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीनिवेश हुआ है । मान्यवर, अब माननीय सदस्य यह स्वयं ही मान लेंगे कि जिन बिन्दुओं पर माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं उनकी ओर सरकार सजग है और जो सुझाव आपने हमारे सामने रखे हैं हम अवश्य ही उनको गौर करेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे । अब माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास अनुभाग–5 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 को शासनादेश संख्या–6706-II/77-5-2000-8(204)/95 जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के तलों में उपलब्ध उपखनिजों के खनन पट्टों को स्वीकृत करने में उ० प्र० वन निगम को वरीयता दी जायेगी ।

मान्यवर, इस प्रकार से जो मल्लाह आदि हैं इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा अतः मैं कहना चाहता हूं कि जो बालू, मौरंग खनन आदि का कार्य है उनको मल्लाहों की सहकारी समितियों को देने के संबंध में माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वन निगम का काम वन निगम की लकड़ी का भण्डारण करके उन्हें बेचने का है सरकार ने जो उन्हें बालू, मौरंग के खनन का काम दिया है यह सरकार की गलत नीति है, यह शासनादेश गलत बनाया गया है । इसमें संशोधन करके वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में बालू, मौरंग खनन का काम वन निगम को न दिया जाय, यह मल्लाहों की सहकारी समितियों को सौंपा जाय । मैं इस पर आपके माध्यम से एक शासनादेश जारी कराने की मांग करता हूं । जो यह खोजी प्लाट हैं इनके संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है जिससे सरकारी राजस्व का घाटा हो रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस संबंध में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें कि इन खोजी प्लाटों को भी मल्लाहों और उनकी सहकारी समितियों को दिये जायेंगे ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यह था कि विभागीय नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना । तो मान्यवर, इन्होंने आलोचना तो पूरी कर ली है लेकिन फिर भी, अभी भी यह कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(प्रस्ताव वापस न लेने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,32,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,32,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,03,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के लिए चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,82,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्रीकर [illegible] जी, आप तो [illegible] के [illegible] के [illegible] ले लीजिए।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह [illegible] हूं कि अनुदान संख्या–03– उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य निम्नलिखित नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपेक्षा की थी। उद्योगों की स्थिति क्या है? और विकास दर क्या है? मैं जानना चाहूंगा 1979 में उत्तर प्रदेश का उद्योग में स्थान 10 [illegible] था जो इस समय 7 प्रतिशत है कमी हुई। यहां पर लघु उद्योगों की जो संख्या दी गयी है 3 लाख 7 हजार 744 है दूसरी ओर लघु उद्योग निर्यात कार्य निष्पादन पुस्तिका जो है उसमें 4 लाख 3 हजार 158 है तो दोनों में विभिन्नता है। प्रदेश में लघु इकाइयों की संख्या 7 लाख 76 हजार 5[illegible] है। औद्योगिक विकास में जो उद्यमी हैं उन्हें प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए [illegible] दिया जाता है। इसके बावजूद औद्योगिक परामर्श सेवा निधि में 32 लाख रुपया रखा गया है इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो भी उद्यमी जाते हैं वह अपने प्रोजेक्ट फीस स्वयं देते हैं इसलिए इस निधि को समाप्त कर दिया जाये और जो लाभ प्राप्त हो रहा है औद्योगिक विकास पर लगाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण दिया गया है वह प्रशिक्षण पाकर कितने लोगों ने उद्योग लगाये और कितने लोग बाहर जाकर बसे गये। स्वरोजगार बंधु योजना में 7 विभाग हैं, जिसमें 14-6-99 तक लक्ष्य की जानकारी मांगी गयी थी आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी। जाजमऊ उन्नाव के भवन निर्माण के लिए 211.75 लाख का भवन बनाया जा रहा था उसे भवन के लिए धन दिया जा चुका है और 60 प्रतिशत काम पूरा दिखाया गया है, अभी 40 प्रतिशत काम बाकी है। मान्यवर, यहां के बारे में कहा गया है कि यहां पर 120 लाख रुपये की मशीनें लगी हैं तो जब अभी भवन ही नहीं बना है तो मशीनें कैसे लग गयी हैं और जब भवन नहीं है तो मशीनें कहां लगीं। मान्यवर, सिडिकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैनेफिट स्कीम के अन्तर्गत उन्नाव में 333 लाख रुपये की योजना बनायी गयी है जिसमें से 166.50 लाख रुपये से इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाया है तो फिर क्या कारण है कि यू० पी० एस० आई० डी० सी० अपनी जमीन को आवासीय प्लाटों में बेच रहा है अगर वहां पर विकास हो गया है और उद्यमी आ रहे हैं तो आवासीय प्लाट क्यों बेच रहे हैं। इसी तरह से कानपुर में जाजमऊ में 146.5 लाख रुपये कानपुर नगर निगम को दिये गये हैं औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, लेकिन मेरे संज्ञान में है कि वहां पर सड़कें नहीं बनायी जा रही हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि भदोही और ग्रेटर नोयडा में जो योजनायें बनायी गयी हैं उनका कार्यान्वयन आज तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश में जो लघु उद्योगों की सिक यूनिट्स हैं उनको पुनर्जीवन देने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसके बारे में कोई सोच नहीं है। निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में, सड़कें, विद्युतीकरण और नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है। मान्यवर, जो एकल पेज व्यवस्था है उसके अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी पहुंचते हैं और एप्लीकेशन फार्म देते हैं तो उनको विभागों में भेज दिया जाता है। एकल मेज व्यवस्था के होते हुए भी उद्यमियों को विभागों में जाना पड़ता है तो मेरी राय है कि एकल मेज की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाय और पहले वाली व्यवस्था लागू की जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री सरस्वती प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, निर्यात प्रोत्साहन विभाग का बजट है और मंत्री जी बिल्कुल लाजवाब हैं उनसे बढ़िया एंटीक का कोई माडल नहीं है, उनका निर्यात न हो जाय।

डा० सरजीत सिंह सेन-

अम्बिका जी, देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए अगर ऐसे योग्य सदस्यों का निर्यात कर दिया जाय।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं इसको आगे दे दूंगा। हमारे माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनको मैं नोट कर लिया है और उन पर अमल होगा। अभी तक आंकड़े बता रहे हैं यह तो मा० सदस्य की कलात्मक विशेषज्ञ है। मेरा निवेदन है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राम औतार शास्त्री-

मान्यवर, मेरा भी कटौती प्रस्ताव कर लिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो आंकड़े रखे गये हैं, बजट अनुदान की जो मांगें रखी गयी हैं उनकी कटौती रखे गये हैं। कहीं की पारित किया गया है और किया जाता है उनमें कलात्मक विशेषज्ञ की गई है उसमें जितनी अधुक्रियायें हैं उन पर मंत्री जी की नजर गई है जो उनकी दृष्टि में विशेषज्ञ है उसको मैसन कर दें। बाकी आलोचना की दृष्टि से ठीक कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा संकुल धनराशि के सीमित 40,52,75,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० सरजीत सिंह सेन-

मान्यवर, प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने मंत्री जी के कथन पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी सरस्वती के पुत्र हैं, सरस्वती प्रताप सिंह उन्होंने जो बात कही एक-एक शब्द सुनकर कहा। अम्बिका जी से मैं निवेदन करूंगा कृपा करके जब मंत्री जी बोल रहे हों तो ध्यान से सुना करें उनके शब्दों का चयन अगर आपके ऊपर से निकल जाए तो उसका दोष मंत्री जी पर नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, जमीन एवं राजस्व का मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 का सामान्य संशोधन)

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,–

(क) शब्द "नगर महापालिका", "म्यूनिस्पल बोर्ड", "गांव सभा", "गांव सभाएं" और "क्षेत्र समिति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर निगम", "नगर पालिका परिषद्", "ग्राम पंचायत", "ग्राम पंचायतें" और "क्षेत्र पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

(ख) शब्द "जिला परिषद्" और "अन्तरिम जिला परिषद्" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

(ग) शब्द "नोटीफाइड एरिया कमेटी" और "टाउन एरिया कमेटी" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ठ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।"

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (1) में, खण्ड (आठ) में,–

(क) उपखण्ड (क) में शब्द "जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"जिनमें से एक,–

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ; और

(तीन) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का न हो ;

होगा"

(ख) उपखण्ड (ख) में शब्द "जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"जिनमें से एक,–

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का,

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का;

(तीन) ऐसी महिला, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो और ;

(चार) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों केअन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

होगा;"

(ग) उपखण्ड (म) में शब्द "जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"जिनमें से एक,–

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का;

(तीन) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की हो;

(चार) ऐसी महिला, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो;

(पांच) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

होगा;"

(घ) उपखण्ड (घ) में शब्द "जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"जिनमें से,–

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होगा;

(दो) दो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के होंगे;

(तीन) दो ऐसी महिलाएं होंगी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

(चार) एक ऐसी महिला होगी, जोअनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की हो;

(पांच) एक ऐसी महिला होगी, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो;

(ङ) वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।"

नई धारा 14-क और 14-ख का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

भ्रष्ट आचरण

"14–क–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–1 की धारा 123 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।

निर्वाचन अपराध

14–ख–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–3 की धारा 125, 126, 127, 127-क, 128, 129, 130, 131, 132, 132-क, 134, 134-क, 135, 135-क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,–

(क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हो;

(ख) धारा 127-क में उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में; उपखण्ड (एक) में शब्द 'मुख्य निर्वाचन आफिसर' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचन निदेशक' रख दिये गये हों;

(ग) धारा 134 और 36 में शब्द 'इस अधिनियम के द्वारा या अधीन' के स्थान पर शब्द 'उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 द्वारा या उसके अधीन' रख दिये गये हों;

(घ) धारा 135-क में,–

(एक) शब्द 'सरकार' के स्थान पर शब्द 'सरकार परिषद् या किसी मण्डी समिति' रख दिये गये हों।

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द 'इस उपधारा और धारा '20-ख' के स्थान पर शब्द 'इस धारा' रख दिये गये हों।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक लाये हैं उसमें मैं कुछ संशोधन की तारीफ करता हूं। इसलिए तारीफ करता हूं कि इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को समितियों के संगठन में अन्य पिछड़े वर्गों को समावेश करने का आपने काम किया है। कुछ तकनीकी बातें थी जहां टाउन एरिया था उनको नगर पंचायत किया यह तकनीकी गलती थी गलती बनी रहती तो, कुछ देर बाद जहां टाउन एरिया काफी पहले बनी यह संशोधन देर से लाये हमारी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि आपने यह उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम, 1972 जो अधिनियमित किया वह अभी भी लागू है उसके तहत समितियों का चुनाव कराना चाहिए। अब आपने अन्य पिछड़े वर्गों का समावेश कर

दिया अच्छा है हम तब माननीय मंत्री जी से खुश होंगे अगर समयसीमा बांधकर समितियों का चुनाव करा दें अपनी सरकार के रहते रहते ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जिसका यह प्रस्ताव है उनसे पूछ लीजिए मेरा नाम तो है नहीं लेकिन मैं बोलने को तैयार हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उद्योग विभाग के बजट पर और कटौती पर काफी चर्चा हो चुकी है और आज ही इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं चौधरी साहब से सहमत हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं सदन की अनुमति से इसको समाप्त करता हूं ।

कानपुर विकास प्राधिकरण की हजारों करोड़ रुपये मूल्य की भूमि लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो काम एक बार में मंत्री जी और मिश्र जी बैठकर कर सकते थे उसे यहां उठाया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

दोनों में सामंजस्य नहीं हुआ तो पंचायत निर्णय करेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सामंजस्य नहीं है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इस विषय पर जिस पर मैंने चर्चा प्रारम्भ की है, कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य के 50 हजार एकड़ भूमि लुप्त होने पर शासन के उच्चाधिकारियों के कार्यदल से जांच कराने और छः माह में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है । चौधरी साहब को लगा एक विकास प्राधिकरण का विषय है चूंकि राज्य मंत्री जी बैठे हैं उनको जवाब देना है इसलिए उनकी समझ में आया यह एक छोटा काम है । श्रीमन्, सदन का ध्यान मैं आज एक समाचार पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' में जो छपा है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आपको इसकी गम्भीरता इससे समझ में आ जायेगी । आपकी अनुमति से, श्रीमन्, यहां मैं शीर्षक एवं महत्वपूर्ण अंश पढ़ रहा हूं, 'विकास प्राधिकरण ने सरकार को आर्थिक संकट में डाला' । ''कर्ज न अदा करने पर वित्तीय संगठनों ने गारन्टी राशि जब्त की'' श्रीमन्, पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं रख रहा हूं और आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि इसकी गम्भीरता को महसूस करते हुए ध्यानपूर्वक इसको सुनें और सहयोग करें । श्रीमन्, 1300 करोड़ से ज्यादा प्रदेश शासन के गारन्टी के आधार पर विकास प्राधिकरणों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से यह धन आवंटित किया गया है और आज उस धन की वापसी के अभाव में श्रीमन्, स्थिति यह है कि जितना भी यह सिक्योरिटी का धन है, वह सीज हो

गया है और बाकी पैसा पूतया सरकार से मांगने के लिए यह वित्तीय संस्थाएं प्रयास कर रही हैं । श्रीमन्, जिन-जिन विकास प्राधिकरणों के बारे में चर्चा आई है वह हैं मेरठ, गाजियाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, उन्नाव, फैजाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, आगरा, रायबरेली आदि । श्रीमन्, इन नगरों के विकास प्राधिकरण ने हजारों करोड़ों रुपया ऋण लिया था और श्रीमन्, अब स्थिति इनकी खराब होने के कारण वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह संकट उत्पन्न हुआ है । श्रीमन्, यह प्रकरण आज से 7-8 साल पहले तब प्रारम्भ हुआ था जब हमारे ही क्षेत्र के एक नागरिक ने कानपुर के मण्डलायुक्त को एक गुमनाम पत्र दिया । उस पत्र की प्रति जिलाधिकारी, कानपुर को और मुझे भी प्रेषित की । उस गुमनाम पत्र में यह साफ-साफ लिखा था कुछ खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए इनको कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों, तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों, भू-माफियाओं ने मिलकर वह करोड़ों रुपये की जमीन बेच रहे हैं । इस तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति का सर्वनाश हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में मैंने जिलाधिकारी, कानपुर नगर का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया । उन्होंने तत्कालीन एस० डी० एम० को आदेशित किया कि इस पर जांच करें । मान्यवर, जैसा सामान्य तौर पर होता है, कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैंने फिर दोबारा डी० एम० का ध्यान आकृष्ट किया कि आपके निर्देश देने के बाद भी किसी प्रगति की जानकारी नहीं हुई । जब दोबारा दबाव डाला तब तत्कालीन जिलाधिकारी ने एस० डी० एम० जो तत्कालीन थे, उनको फिर निर्देशित किया और जब तहसील द्वारा जांच पर गुमनाम पत्र में जो आरोप लगा था उससे सहमति व्यक्त की और उसी समय तत्कालीन उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को इसकी प्रति मैंने सन्दर्भित की, यह कहते हुए कि आपकी जमीन है, आप उसकी चिन्ता करें । एक संयुक्त जांच समिति बनाने की बात आ गई थी । उस बीच मुझे इस प्रकरण से यह पता लगा कि कानपुर विकास प्राधिकरण के पास उसकी सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई रिकार्ड नहीं है । श्रीमन्, मैंने दो सत्र पहले विधान सभा में 26-27 सवाल लगाये कानपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों के बारे में, कि क्या-क्या सम्पत्ति और परिसम्पत्ति उनको पैतृक सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरित हुई विरासत के रूप में ? यह जानकारी मांगी गयी, यह मांग उठाई गई, श्रीमन्, मुझे विश्वास था कि कानपुर विकास प्राधिकरण के पास उसकी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का कोई लेखा-जोखा नहीं है । जो 26-27 सवाल मैंने उस सम्बन्ध में लगाये थे उसको जो उत्तर आया उससे भी स्पष्ट हो गया कि इनके पास विवरण नहीं है । इन्होंने उत्तर दिया कि वर्ष दर वर्ष इनकी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है । इनका उत्तर ऐसा ही लगा जैसे किसी बच्चे से पूछा जाय कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहां गये हैं ? वह बच्चा उत्तर दे कि कहीं गये हैं । यह कहां जिज्ञासा हुई कि कहां गये ? श्रीमन्, इसी तरह से उत्तर दिया गया है कि सम्पत्तियों में वृद्धि हुई है । यह नहीं बताया गया कि किस स्रोत से कितनी हुई ?

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मैं बधाई देना चाहता हूं तत्कालीन जिलाधिकारी को जो इस वक्त भी हैं उन्होंने उस वक्त के एस० डी० एम० मोहम्मद मुस्तफा आई० ए० एस० अधिकारी को इस काम में लगाया । लगातार काम करने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी । 15 हजार हेक्टेयर जमीन की सूची मैं प्रेषित कर रहा हूं यह बड़ी लम्बी सूची है श्रीमन्, 15 हजार हैक्टेयर जमीन जिसमें श्रेणी 5, 6 की सूची तैयार की गयी है आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा टिकरा में 55,867 लाख श्रेणी–5 में और 26.5 श्रेणी–6 का है इसी तरह से पूरी सूची है 15 हजार हेक्टेयर जमीन की । इसके अलावा मान्यवर, नौ सौ हैक्टेयर अर्बन सीलिंग ऐक्ट से उपलब्ध लैण्ड है वह विकास प्राधिकरण में समाहित है बहुत बड़ी संख्या रूरल सीलिंग ऐक्ट से सरप्लस लैण्ड कानपुर विकास प्राधिकरण में समाहित है । हजारों एकड़ जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण ने स्वतः अर्जित किया है वह अलग से है । इस तरह से कम से कम 50 हजार एकड़ जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण की ऐसी है जिसको विकास प्राधिकरण के पास कोई हिसाब-किताब कदाचित नहीं है । पिछले समय में कम्प्यूटर मशीनें लगी हैं वहां यह अंकित नहीं है यह जमीन

कहां गई किसी उद्योग में गई ? जब यह स्थिति सामने आयी तो मैंने कुछ अधिकारियों को पिछले साल 99 में प्रमुख सचिव, राजस्व, प्रमुख सचिव, न्याय, प्रमुख सचिव आवास, सचिव एवं आयुक्त, राजस्व परिषद् के साथ सामूहिक बैठक सचिवालय में की और यह पूरा विषय इनके संज्ञान में आया। मुझे खुशी हुई कि कुछ अधिकारियों को पहले से इसके बारे में पता था। आपस में विचार विमर्श हुआ। इतना बड़ा घोटाला है 50 हजार एकड़ की भूमि है अगर यह जोड़ी जायेगी तो कितनी की हुई ? 20 करोड़ 23 लाख वर्ग मीटर हुई इसकी कीमत लगभग औसत निकालने पर 20–22 हजार करोड़ होगी यह कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन है इसी पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण में भी किसी में ज्यादा किसी में कम यही स्थिति होगी। मैंने पिछली 16 मई को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और यह प्रस्ताव दिया था। मैंने मांग की थी कि एक कार्यदल बनाया जाय और इसकी जानकारी की जाए। कानपुर के भू-माफियाओं के साथ अनेक आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी लिप्त हैं। अगर इसकी जांच किसी आई० ए० एस० अधिकारी को दे दी जाएगी तो वह सही तरह से नहीं हो पाएगी इसलिए मैंने मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से भी मांग की थी कि पांच आई० ए० एस० अधिकारियों जिसमें तत्कालीन एस० डी० एम०, आई० ए० एस० मो० मुस्तफा भी जिन्होंने परिश्रम करके यह सूची बनायी है व दो आई० पी० एस० अधिकारियों को व उनके अधीन पी० सी० एस० व पी० पी० एस० अधिकारी व मीनिस्टीरियल स्टाफ जोड़ कर एक कार्यदल बनाया जाय इसके लिए अलग से जिसमें पांच वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी जिनमें एक तत्कालीन एस० डी० एम० मो० मुस्तफा, दो वरिष्ठ आई० पी० एस० अधिकारी प्रान्तीय सेवा के अधिकारी, मिनिस्टीरियल एवं स्टाफ रखे जायें और यह नोटिफिकेशन कर दिया जाय कि उनको राजस्व और विकास प्राधिकरण की जांच पड़ताल की शक्ति दी जाती है और छः महीने का समय दे दिया जाय कि इतने समय में जमीन का निराकरण कर लें इसकी जांच पड़ताल कर लें व रिपोर्ट सदन व शासन को सौंपे। यह मैंने निवेदन किया था और परिणाम कुछ नहीं हुआ है। यह जब मैंने दबाव बढ़ाया तभी कुछ भू-माफियाओं के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई और एफ० आई० आर० दर्ज होने से पहले उनको सूचना दे दी गयी और वह भूमिगत हो गये। एक भी भू-माफिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया था। इन अवैध कब्जे पर अतिक्रमणों पर बार-बार मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। मैंने सुझाव दिया था कि इतने बड़े घोटाले में लिप्त अपराधियों को तीन श्रेणी में विभाजन किया जाय। एक तो वह जिनके ऊपर सुरक्षा का भार था, अधिकारीगण और कर्मचारीगण और दूसरा वह भू-माफिया जिन्होंने फर्जी हाउसिंग सोसाइटी बना ली। दो तीन एकड़ जमीन खरीदी और बाकी विकास प्राधिकरण की जमीन कब्जे में करके भोले-भाले लोगों को बेंच दी। इन लोगों के खिलाफ रासुका लगायी जाय, इनकी चल-अचल और बैनामी सम्पत्ति को नीलाम किया जाय और इसका जो पैसा आये वह विकास प्राधिकरण के खाते में डाला जाय। जो तीसरी श्रेणी हैं जिन्हें इन्होंने फर्जी तरीके से बेच दी सस्ते दामों पर आवंटित करके वे हजारों लाखों घर बनाकर रह रहे होंगे। और बहुत सी जमीन खाली होगी उनके विरुद्ध इस तरह से दण्डात्मक कार्यवाही सम्भव नहीं है। केवल यह सुझाव था कि किसके पास कितनी जमीन है रेखांकित करके आज के समय की कीमत का अंदाज लगाकर सबको नोटिस दे दी जाय कि विकास प्राधिकरण की जमीन की कीमत इतनी है और उनके भूखण्ड की कीमत उनके ऊपर इतनी पड़ती है और दो तीन किश्तों में कराकर कानपुर विकास प्राधिकरण के खाते में जमा की जाय। इससे 20, 22 हजार करोड़ सरकार को मिलेगा। इससे आज जो सरकार की इंटीग्रिटी डाउट हो रही है और वित्तीय संस्थाएं ऋण देने को तैयार नहीं हैं और सारे विकास प्राधिकरण की अवस्थापना पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यह अप्रसांगिक हो गये हैं तो मैं बल देकर मांग कर रहा हूं कि कार्य दल बनाया जाय, कानपुर विकास प्राधिकरण को एक टेस्ट केस के रूप में माना जाय और जितने भी विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में हैं, 24 थे, कुछ उत्तरांचल में चले गये हैं, तो इससे 60–70 हजार करोड़ सरकार को

मिलेगा और उसका कर्जा भी खत्म होगा । उत्तर प्रदेश में कानून का राज भी होगा, भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही होगी और अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी यह निवेदन मैं कर रहा हूं । मान्यवर, इस पर अभी कार्यवाही नहीं हो पायी है यह मैं खेद के साथ कह रहा हूं । मान्यवर, मैं यह सूची और प्रतिवेदन जो माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था जिसमें यह बताया कि इतने एकड़ जमीन की सूची है पूरी की पूरी गांव वार हैं वह मैं आपकी सेवा में भेज रहा हूं । यह कार्यवाही का अंग बने । यह मैं निवेदन करता हूं और मैं इसी के साथ अपनी बात वर्तमान समय में फिलहाल समाप्त कर रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रकरण बड़ा गम्भीर है और आज चर्चा के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि भले ही आज की कार्य सूची में कानपुर का संदर्भ आया है लेकिन प्रदेश के जितने बड़े विकास प्राधिकरण हैं सब जगह कमोवेश यही स्थिति है इस प्रकार का घपला तभी सम्भव है जब तक इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड न हो । माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी ने बचाने की कोशिश की है कुछ लोगों का नाम नहीं लिया कानपुर में जो बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी हेराफेरी हुई है उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी और प्राधिकरण के कर्मचारी व स्थानीय स्तर के भू-माफिया जब तक इनका गैंग नहीं बनेगा तब तक इस प्रकार की घटना सम्भव नहीं है बड़े खेद का विषय है कि 8 वर्षों से यह बात प्रकाश में आयी है और आज तक इस विषय पर गम्भीरता से जांच नहीं की गयी आखिर जमीन गयी तो गयी कहां । आज विकास प्राधिकरण जो हैं सबका किसी न किसी रूप में वास्ता पड़ा होगा नागरिक बहुत त्रस्त हैं . इससे आपने नागरिक अधिकार पत्र लागू करने की बात कही है और इससे विकास प्राधिकरण को कुछ ठीक-ठाक करने की चेष्टा की है भविष्य बतायेगा कि इसका हश्र क्या होगा मैं दो-एक सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह है कि आज जबकि कम्प्यूटरीकरण हो चुका है एक तो कम्प्यूटर के माध्यम से एक-एक इंच जमीन जो प्राधिकरण की जमीन है उसका हिसाब हमारे पास होना चाहिए और दूसरा सुझाव यह है कि घपला हो चुका है जमीन गायब कर दी गयी है । कुत्ते बिल्ली के नाम जमीन को एलॉट कराके कब्जा भी ले लिया है प्रभावशाली लोगों ने । दूसरी ओर जानबूझकर ऐसे लोगों को बता दिया गया है कि खाली कराना कठिन है । मान्यवर, एक हाई पावर कमेटी बनाकर शासन को यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस सारे घपले के पीछे कौन-कौन से चेहरे हैं वे बेनकाब हो जायें और भविष्य में साहस न हो कि जो सार्वजनिक धन है क्योंकि प्राधिकरण का जो धन है वह किसी व्यक्ति विशेष का धन नहीं है प्राधिकरण प्रकारान्तर में सरकार का प्रतिनिधि होकर कार्य करता है और जमीन का प्रबन्धन करता है । आवास के लिए लोगों को जमीन मुहैया कराता है विकास कार्य करता है और कालोनियों का विकास करता है । दिस इज एन टि ऑफ एन आईस वर्ग । मान्यवर, कानपुर का एक उदाहरण है इसमें उच्च स्तरीय जांच समयबद्ध तरीके से करा ली जाये ताकि आने वाले भविष्य में यह नौबत न आये कि गारेन्टर अपना पैसा मांगे यह संदेश न जाये कि सरकार आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो गयी है । मान्यवर, चर्चा अपने स्थान पर है चर्चा होनी चाहिए चर्चा के माध्यम से बातें आनी चाहिए और गम्भीरता के साथ इस प्रकरण को लिया जाये यह भावना मन में न रहे कि यह सरकार के विरोध में जा सकता है बिना इस प्रकार की कोई मन में भावना लेकर जो सत्य है उसको उद्घाटित करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, आज विकास प्राधिकरणों के द्वारा जो उनकी भूमि है नजूल की जो लैण्ड है उनके ऊपर अतिक्रमण के माध्यम से जो यह जमीन लुप्त हो गयी है, सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, यह जो विकास प्राधिकरण हैं उसके सरकारी कागजों में चिन्हित नहीं है । इस प्रकार के गम्भीर विषय माननीय सदस्य बाल चन्द्र मिश्र ने चर्चा की है । निश्चित रूप से मैं उनको

बधाई देना चाहता हूं कि इस ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने बड़ी मेहनत की है और पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है । यह सच है कि कालान्तर से बहुत सारी ऐसी जमीनें जो सरकारी हैं उनके ऊपर विभिन्न माध्यम से लोगों ने कब्जा कर लिया है और प्राधिकरणों के ऊपर हमारे शासन के अन्तर्गत तमाम नजूल की लैण्ड हैं, उनका पूरा-पूरा हिसाब-किताब भी नहीं रखा गया है । निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए थी इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी । परन्तु खेद के साथ कहूंगा कि जिस प्रकार यह होना चाहिए था, जिस प्रकार से कार्यवाही की अपेक्षा थी वह नहीं हुई । क्योंकि निश्चित रूप से वह लोग उसमें शामिल थे चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठे हुए लोग हों, पहली बार इस सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इस ओर चिन्ता की । निश्चित रूप से यह प्राथमिकता हमारी थी कि ऐसे भू-माफियाओं को हम चिन्हित कर लें । जिस भूमि के ऊपर अवैध कब्जा था हमने इस पर प्रयास किया और आगे काम कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने विशेष रूप से इस पर गम्भीर चिन्ता की, इस प्रकार की जो चिन्ता है इस प्रकार की समिति गठित की जाय अधिकारियों की समिति गठित की जाय, जो चिन्हित करे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार पिछले 4 वर्ष से कायम है । मान्यवर, ऐसी कालोनी जो 75 से 90 तक बनी थी कागजों के ऊपर सारा काम हो गया, जमीनें अधिग्रहीत कर ली गयी फिर भी वह ऐसी स्थिति में हैं । हमने प्रयास किया डेवलपमेन्ट के लिए, अवस्थापना सुविधायें दे सकें, उन कालोनियों को डेवलप करने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं । वह साधन कहां हैं । यह साधन तत्कालीन लोगों ने जिन्होंने पैसा आवंटी से ले लिया और ऐसे मदों में खर्च कर दिया जहां उनकी जरूरत नहीं थी । इसमें निश्चित रूप से हमने जांच बैठायी है, यह जांच होगी । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण के बारे में चर्चा की तो कुल भूमि जो हमारे पास है प्राधिकरण की वह दिनांक 6-9-78 तक सम्मिलित 85 ग्रामों में भूमि 3947 हेक्टेयर, अर्जित भूमि है 5260 हेक्टेयर, नगर भूमि सीमारोपण के अधीन अन्तर्गत अतिरिक्त प्राप्त भूमि 485 हेक्टेयर, दिनांक 6-9-1978 के पश्चात् 227 ग्रामों में भूमि 10,927 हेक्टेयर जिसका कुल योग है 20,600 हेक्टेयर विकास प्राधिकरण की है यह लगभग 51,557 एकड़ है । माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी की चिन्ता जायज है । 51 हजार में से 50 हजार एकड़ की बात उन्होंने कही तो इतनी तो नहीं लेकिन काफी भूमि इन भू-माफियाओं के कब्जे में है । जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि एक समिति गठित करके, कुछ अधिकारियों का दल बनाकर इस पर कार्यवाही की जाय, इसमें मैंने प्रयास किया है और विकास प्राधिकरण कानपुर में जांच के लिए 6 अलग-अलग टीमें बनाई हैं जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में सहायक अभियन्ता, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और हमारे संयुक्त सचिव जो होते हैं उनके नेतृत्व में 6 टीमें गठित की गयी हैं इसके साथ-साथ हमने इसको संज्ञेप अपराध घोषित किया है । धारा 26क(2) के अन्दर जो दोषी पाये जायेंगे वह संज्ञेय अपराध के अन्दर आयेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी । इसके लिए एक बात और बता देना चाहता हूं । जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि कम्प्यूटर के माध्यम से सारी भूमि का रिकार्ड ला सकते हैं, हम इसके लिए स्वयं ज्योग्राफिकल सिस्टम के आधार पर पूरे विकास प्राधिकरण का चित्र लाना चाहते हैं । जी० आई० एस० के माध्यम से जो हम चित्र लेते हैं, उसमें कहां मकान है, कहां पर खाली भूमि है, कहां पर सड़क है, यह सब होगा । कौन सी भूमि किसको आवंटित की गई है, कौन सी भूमि खाली है, इस ओर हम तेजी से कार्यवाही कर रहे हैं । इसके लिए प्राइवेट कम्पनियों को आफर दिया है, हमारे पास जैसे ही इस प्रकार के आफर आते हैं, जी० आई० एस० के माध्यम से ऐसी जमीनों को चिन्हित कर हमें उन्हें तुरन्त अपने कब्जे में लेंगे । यह सत्य है कि इसमें 3 प्रकार के लोग इन्वाल्वड हैं एक तो वह हैं जिन्होंने अपनी सरकारी भूमि को बेचा है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी, इसमें इतना लम्बा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है । जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए । आप इतना समय क्यों लेते हैं, आप 24 घंटे के अन्दर कार्यवाही करके दिखाइये, एक हफ्ते में करके, एक महीने में करके दिखाइये । आप क्या करना चाहते हैं, यह सामने आना चाहिए, आखिर केवल भाषण देने से क्या होगा ?

श्री सतीश महाना–

मैं समझ सकता हूं कि कहीं न कहीं दुखती रग पर हाथ लगा होगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामतेज जी, आप बैठिये ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं समझ सकता हूं कि कहीं न कहीं इनको परेशानी है । जब हम इस तरह की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं परेशानी होना स्वाभाविक है । कहीं पर इनका साफ्ट कार्नर है वह अपने आप सामने आ जायेगा । यह मैं नहीं जानता था । जिस समय हम कार्यवाही करते हैं, उस समय यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है । लेकिन आप यह जान लें कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री सतीश महाना–

मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के साथियों को इस पर तो बधाई देनी चाहिए थी, बालचन्द्र मिश्र जी ने इतनी गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है । निश्चित रूप से हम उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं और पूरी सख्ती से कार्यवाही होगी । इसमें वह भू-माफिया जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सरकार की जमीन बेच दी, हम इस पर कार्यवाही अवश्य करेंगे । मैंने कहा कि इसके लिए दो लोग दोषी हो सकते हैं, इसको हमने संज्ञेय अपराध भी घोषित किया है । हम जी० आई० एस० के माध्यम से इसको चिन्हित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो सोसाइटीज के माध्यम से भू-माफियाओं और तत्कालीन कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन बेची गई है । मान्यवर, उन लोगों को दोषी मानता हूं, यदि वह पैसा लेकर भाग भी गये हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को पकड़ कर रिकवरी होनी चाहिए । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी 100 गज, डैढ़ सौ गज जमीन ली अगर गलत है तो वहां के तहसीलदार को, वहां के जूनियर इंजीनियर को सजा मिलनी चाहिए थी । उन सोसाइटी वालों को कहा जा सकता है जिन्होंने बेचा था, उन माफियों को कहा जा सकता है, उन अधिकारियों को कहा जा सकता है । अब किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है । जो अतिक्रमण किये हैं उनसे हम पैसा ले रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं कार्यवाही करूंगा और चिन्हित करके उसका ब्लू प्रिंट रखूंगा । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में, पूरे अभिभाषण में विचार करेंगे, देख लेंगे, चिन्हित करेंगे, कार्यवाई करेंगे और दिखवा लेंगे, मान्यवर, इसमें कम से कम 50 आश्वासन बने होंगे। मान्यवर, यह कोरे असत्य आश्वासन हैं, काम होने वाला नहीं है। सीधा कहते कि अभी 2 दिन में कर दे रहे हैं, उसकी आउटपुट आ जायेगी, मैं सदन में बता दूंगा। मान्यवर, मिश्र जी ने बात उठायी यहां कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता तो हो नहीं रही है कि पुरस्कार बंटेगा। जनता तो रिजल्ट चाहती है, रिजल्ट कोई आया नहीं।

डॉ० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मंत्री जी की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि उन्होंने एक-एक बिन्दु पर अपनी बात रखी और कहा कि इसकी भी जांच करायेंगे। मैं समझता हूं कि चाहे। हजार आश्वासन बने हों और जब शासन की तरफ से पूरा स्पष्टीकरण आता है तो मैं समझता हूं कि किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।

श्री सतीश महाना–

जब जांच करायेंगे तो सबसे पहले इन्हीं को पता चलेगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आप मिनिस्टर हैं आप कुछ कर भी नहीं पायेंगे। आप बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे।

श्री राम औतार शाक्य–

मंत्री जी, तमाम दाग लगे हुए हैं खुद परेशान हो जायेंगे।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाह रहा हूं कि इस भूमि घोटाले में श्रीमन्, जो अरबों का भूमि घोटाला है। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इसमें वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी लिप्त हैं, प्रान्तीय स्तर के अधिकारी लिप्त हैं, यह सच्चाई है और राजनैतिक नेता भी इसमें हैं, सारे भू-माफिया इन्वाल्व हैं और श्रीमन्, इसलिए संकोच और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जन प्रतिनिधि भी इसमें इन्वाल्व हैं। जब प्रकरण की जांच होगी तो ढेर सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। इसीलिए निवेदन है कि यह सामान्य जांच, वहां के संयुक्त सचिव और जो पी०सी०एस० अधिकारी होते हैं, उसमें जब आई०ए०एस० अधिकारी लिप्त हैं, वह कैसे जांच कर पायेगा ? मुझे आवश्चर्य होगा यदि कोई एक आई०ए०एस० अधिकारी भी चाहे जितना तेज-तर्रार हो लगया जाये और उसकी जांच कर लें। मान्यवर, इसीलिए मैंने कहा कि एक कार्य दल बनाया जाये। आज अपराधियों की रोकथाम के लिए इतना बड़ा टास्क फोर्स बना है पुलिस का, ढेर सारे बदमाश और अपराधी मारे जा रहे हैं और उनका सफाया हो रहा है, अगर टास्क दल नहीं होता तो अपराधियों का सफाया नहीं होता। आज यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं श्रीमन् कि 20-22 हजार करोड़ रुपये का प्रकरण है। ढेर सारे लोगों ने अपराध जगत में बड़े-बड़े अपराधियों को धन देकर अपराधों को सम्बद्धित किया है, घोषणा किया है और अपराध जगत में इनकी भूमिका है। अगर ये कटघरे के पीछे लाये जायेंगें और इनसे धन वापस लिया जायेगा तो यह भी उत्तर प्रदेश के कानून-व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस तरह के लोग हतोत्साहित होंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार और जनता के हित में है यह सच है कि जितनी प्रक्रिया सात-आठ साल से हम शुरू किये हैं। तीन साल से लगातार सूचना सदन के सम्मुख लम्बित है। तब से जरूर दबाव पड़ा है। आज स्थिति वह है कि पुराना भ्रष्टाचार और कदाचार हुआ पड़ा है। सारे महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरणों पर वित्तीय संस्थानों की बड़ी धनराशि फंसी पड़ी है कुछ का उल्लेख कर रहा हूं सबसे अधिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 384.85 करोड़, दूसरे स्थान पर आवास विकास परिषद् का 382.38 करोड़, लखनऊ विकास प्राधिकरण का 161.77 करोड़, कानपुर का 133.96 करोड़, आगरा का 29.85 करोड़, इलाहाबाद का 26.61 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण का 179.51 करोड़, मुरादाबाद का 38.40 करोड़ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण का

21.49 करोड़ रुपये शासकीय गांरटी पर कर्ज है । तो विकास कैसे होगा ? जहां-जहां बहुत जरूरी था वहीं विकास प्राधिकरण गठित हुए । इस तरह का गम्भीर निर्णय उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार यदि नहीं ले सकेगी तो फिर और किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता । अगर इस तरह का निर्णय नहीं होगा तो कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है । (सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा सदन की समिति बनाने की बात कहने पर) सदन की समिति बन जाये तो अच्छी बात है । सदन की एक समिति इस काम में सहयोग देने के लिए बना दिया जाये जो इसकी मानीटरिंग कर सकती है । अधिकारियों के कार्यदल की नोटीफिकेशन कर दें, टास्क फोर्स बनवा दें ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हमने बताया कि जब तक हम ग्राउण्ड लेवेल पर चिन्हित नहीं करेंगें कि कितने जमीन पर कब्जा है । उसके बाद उस जिस स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी वह की जायेगी । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 50 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा है । तो 51 हजार एकड़ में 50 हजार एकड़ किसी के कब्जे में नहीं हो सकती । निश्चित रूप से जब तक चिन्हित नहीं हो जाती और हम जी०एस०आई० के माध्यम से आंकड़े बनाकर चिन्हित कर लेंगें । उसके बाद चाहे जितना प्रभावी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

चूंकि संयुक्त समिति की घोषणा माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके विरोध में, मैं सदन से बर्हिगमन करता हूं ।

(श्री राम औतार शाक्य एवं उनके साथ कुछ अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, हमने सूची भेजी है, उसे कार्यवाही की हिस्सा बना लें और उस पर कार्यवाही हो । मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पिछले साल जिन अपराधियों के खिलाफ एफ०आई०आर० हुई हैं वह ठण्डे बस्ते में पड़ी है मैं आभारी हूंगा यदि माननीय मंत्री जी सदन के सामने घोषित करें कि इस पर तत्काल गम्भीरता से कार्यवाही शुरू करा देंगें ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई है हम बहुत ही जल्द उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० श्री बाल चन्द्र मिश्र के पत्र को मा० मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाय ।

राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विकास निधि के गठन के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, यह इससे भी बड़ा लोक महत्व का और संवेदनशील प्रकरण है । अगर माननीय सदस्यों की इसमें रुचि हो और वह तैयार हों तो इस पर चर्चा की जाय अन्यथा इस पर चर्चा जारी कर दी जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा जारी रखी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने चर्चा जारी रखने की अनुमति प्रदान की । मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और यह प्रदेश के कोने-कोने से जुड़ा हुआ विषय है ।

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुये सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बन्द किये जाने" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं नियम–103 के अन्तर्गत आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुये सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूल संयंत्रों को बन्द कर दिया जाय ।"

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने का आधार यह है, कारण यह है कि इस समय जगह-जगह विद्युत आपूर्ति घटती जा रही है । शहरों में और गांवों में विद्युत आपूर्ति कम हो रही है, औद्योगिक इकाइयों को आपूर्ति कम हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का नुकसान हो रहा है । हमारी मांग विद्युत के उत्पादन की कमी को दूर करना है, उत्पादित विद्युत की चोरी को रोकना है । आज विद्युत का बेजा उपयोग बिना किसी रोक-टोक के हो रहा है । आज सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनको बिना किसी पैसे के विद्युत आपूर्ति बेरोक-टोक के की जा रही है, जिससे आम जनता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और वह कर्मचारी अपने घरों में ए० सी०, गीजर, टी०वी०, वाशिंग मशीनों का उपयोग खुले आम कर रहे हैं । इसी के वशीभूत होकर आज हमने यह विषय आपके समक्ष रखा है । मान्यवर, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं आपके यहां इसी सचिवालय में आपके विधान सभा में ही ए० सी० के कारण बहुत सी बिजली बेजा खर्च होती है । मैं आपके सामने केवल विधान भवन का ही उदाहरण रखना चाहता हूं । यहां पर ए० सी० के 80 टन के 7 प्लान्ट लगे हुए जिनमें से एक 40 टन और साढ़े सात टन के 7 प्लान्ट हैं और विन्डो टाईप के 300 ए० सी० लगे हुए हैं । जिनकी क्षमता डेढ़ टन की है । इस तरह से कुल 1102 की क्षमता के ए०सी० विधान भवन में ही लगे हुए हैं । मान्यवर, यदि एक ए० सी० एक घण्टे चलता है तो उसमें डेढ़ यूनिट की खपत होती है इस प्रकार उसमें 1650 यूनिट की खपत हो रही है और यदि ए० सी० 10 घंटे चलता है 16,500 यूनिट की खपत हो रही है इस प्रकार केवल आपके विधान भवन में चार लाख, पंचानवे हजार यूनिट की खपत हो रही है । इसी अनुपात में जो आपके अन्य सहकारी और प्राइवेट भवनों में ए० सी० लगे हुए हैं उन पर अगर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो हमें विद्युत संकट पर पार पाने में मदद मिलेगी । अगर विद्युत संकट से पार पायेंगे तो हम औद्योगिक क्षेत्र को अधिक विद्युत आपूर्ति कर सकेंगे । गांव को बिजली दे सकेंगे और बिजली के कारण जो जनता में असन्तोष है उसमें कमी होगी । बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है । टी० वी०, एअर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, फ्रीज घर में चलाये जा रहे हैं और घर का लोड 2 किलेवाट है । इस प्रकार से बिजली की चोरी की जा रही है । अगर विद्युत चोरी को रोका जाये और एअर कंडीशनरों को बन्द कराया जाये तो पढ़ने वालों को, छात्रों को, अस्पतालों को, किसानों को, गांव को और उद्योगों को बिजली मिलेगी और बेरोजगारी दूर होगी, उत्पादन बढ़ेगा । कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बिजली के दुरुपयोग को रोककर औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा का विकास कर सकते हैं और प्रदेश सरकार की जो जनता में छवि है उसको सुधार सकते हैं । मान्यवर, इस चर्चा के सम्बन्ध में जैसा मैंने अभी उल्लेख किया इस प्रदेश में बिजली संकट समाप्त करने के दो उपाय हैं एक तो बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाये और दूसरे बिजली का अंधाधुंध उपयोग कम किया जाये । बिजली की कमी से निजात दिलाने के लिए सरकार को प्राइवेट और सरकारी भवनों में एअर कंडीशनरों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा । प्रदेश में जगह-जगह बिजली की कटौती की जा रही है

इसकी जिम्मेदारी सरकार की है । अगर जनपदों में बिजली की कटौती की जा सकती है तो हमारे दारुलशफा और विधायक निवास और मंत्री आवास हैं उनमें बिजली की कटौती क्यो नहीं हो रही है, यह भी हमारे लिए विचारणीय विषय है । इसलिए यह जो हमारा विधान भवन बना है और यहां पर जो एअर कंडीशनर लगे हैं मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं कि 1102 टन क्षमता के ए० सी० विधान भवन में लगे हैं डेढ़ यूनिट एक घंटा में एक ए० सी० में बिजली खर्च होती है । अगर 1650 यूनिट बिजली 10 घंटे तक इस्तेमाल की जाये तो 16 हजार 5 यूनिट बिजली का खर्च आता है । तो इसमें कुल 4 लाख 95 हजार यूनिट बिजली का खर्च आता है, तो केवल विधान भवन के एअर कंडीशनरों को बंद करके 4 लाख 95 हजार बिजली को प्रतिमाह बचाया जा सकता है इसके अलावा जो हमारे जवाहर भवन, बापू भवन, एनेक्सी हैं इसमें भी जो ए० सी० लगे हैं और जनपदों में जिलाधिकारियों, कमिश्नरों और अन्य कार्यालयों में जो ए० सी० लगे हैं उनका लोड देखें तो वह भी लाखों यूनिट में आयेगा जिस पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है । मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार को सुझाव देता हूं कि यदि आप कृतसंकल्प हैं तो बिजली के इस अनुचित उपयोग पर रोक लगायें । आप जनता की मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नये बिजली लगाने में संसाधन जुटाने में कठिनाइयां आ रही हैं तो बिजली के इस तरह के उपयोग को कम करके, प्रतिबन्ध लगाकर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है और जनता को बेहतर आपूर्ति देकर सरकार अपनी छवि सुधार सकती है और इससे जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, इस चर्चा को लाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उन्होंने गणना की है कि इतनी बिजली का उपयोग एयर कंडीशनर्स में हो रहा है । मान्यवर, इसके कारण बिजली कटौती नहीं हो रही है, यह हमारी परमानेंट प्रोसेस है । मांग और उपलब्धता में अन्तर जब ज्यादा होता है तब कटौती की जाती है । कभी-कभी बिजली एक्सेस हो जाती है तो उसको बैक करना पड़ता है । ऐसा नहीं है कि ए० सी० को बंद कर देंगे तो बिजली हमारे पास बच जायेगी । हमारा कामर्शियल आर्गनाइजेशन है जनता को सुविधा के लिए बिजली उपलब्ध कराते हैं लेकिन हम जनता पर कठोर कार्यवाही नहीं कर पाते हैं कि जितनी बिजली का उपयोग करते हैं वह पैसा दें । बिजली चोरी की जो प्रवृत्ति है वह प्रदेश में ही नहीं देश में बढ़ रही है । एन० टी० पी० सी० का जो अपना शेयर है 27 सौ मेगावाट का वह हम ड्रा नहीं कर पा रहे हैं । अगर वह हम कर लें तो विद्युत कटौती के घंटों में कमी की जा सकती है । हां यह जरूर है कि जो पीक आवर्स हैं 6 बजे से 10 बजे तक उस समय ए० सी० पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर सकते हैं । आपने बताया कि इतने यूनिट बिजली प्रति घंटे लगती है, आपकी यह बात अपनी जगह पर है लेकिन सरकार का कार्य बढ़ा है और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, क्या इतनी गर्मी में पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकते हैं ! प्रस्ताव को कार्यरूप में देखना पड़ेगा खाली इतना कह देने से, एक राजनीतिक सौदेबाजी के लिए यह कर दिया जाय तो बहुत बड़ी ऊर्जा बच जायेगी ऐसी बात नहीं है । लक्ष्मीकांत जी लगता है कि जनता के बीच चले गये हैं और जनता के बीच में खड़े हैं और यह बात कह रहे हैं, लगता है कि सत्य से अलग हटकर यहां पर संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ए० सी० से कार्यक्षमता बढ़ती है तो क्या आई० ए० एस० और पी० सी० एस० ही गर्मी में काम कर रहे हैं, दूसरे कर्मचारी गर्मी में काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

शायद बाजपेयी जी को अपना बचपन याद होगा । वन क्षेत्रों के कम होने से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने से वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और गर्मी बढ़ी है । मैंने ए० सी० में बचपन नहीं गुजारा है ।

पहले गर्मी के मौसम में इतना टेंपरेचर नहीं बढ़ता था जितना आज बढ़ता है । आवश्यकता को देखकर ही ए० सी० की व्यवस्था की गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मंत्री जी ने कहा कि कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ए० सी० आवश्यक है । क्या अन्य राज्य कर्मचारी जो गर्मी में बैठकर काम करते हैं और आपकी नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं उनको ए० सी० प्रोपाइड करा देंगे । असली सरकार तो वही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वैसे काम करने वाले सभी लोग ए० सी० में नहीं रहते हैं ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह दो विद्वानों के बीच का संवाद है । हमारा आपका नहीं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेरा मानना यह था कि वहां का वातावरण भी वैसा ही तैयार करना करना पड़ेगा । बाजपेयी जी ने जो बातें रखीं वह राजनीतिक स्टंट हैं उसको मैं सही नहीं मानता, न सरकार इसको स्वीकार करने योग्य मानती । हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं ऊर्जा सुधार कार्यक्रम प्रदेश में इसीलिए लागू किया गया है यह ऊर्जा क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन है । हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति खपत बढ़े देश के हिसाब से हम इसमें सबसे नीचे या नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पर हैं विश्व की तो बात दूर है । बाजपेयी जी को यह प्रस्ताव लाना चाहिए था कि कैसे क्षमता बढ़ाकर उस क्षमता पर हम आ जाएं, जिससे अन्य प्रदेशों की बराबरी कर सकें व इससे आदमी का स्टैण्डर्ड भी ऊंचा हो । यह नीचे लाने वाली बात स्वीकार योग्य नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने विपक्ष को मोड़ने का प्रयास किया है । उनका उत्तर उन्हीं की भाषा में है। उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें दो राय नहीं है लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारीगण किस प्रकार से बिना पैसा दिये उत्पादन बढ़ाने की फाइल आगे नहीं भेजते इसको देखें । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उत्पादन न बढ़ जाए तब तक अंधाधुंध उपयोग को सीमा में बांधना चाहिए उत्पादन और मांग में अन्तर बढ़ता जाए यह कहां उचित है । इसी सरकार ने गांव के ट्यूबवेल पर कनेक्शन पर रोक लगाई थी चूंकि राजनीतिक कारणों से चुनाव के पूर्व कनेक्शन खोल दिये गये । यह राजनीतिक स्टंट नहीं है ? चार साल प्रतिबन्ध लगाकर पांचवें साल कनेक्शन खोल दिया जाएं । जहां तक अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की बात कही गई जब तुम्हारी दुकान में सौदा नहीं है तो लोगों की इच्छा को क्यों जगाते हो लगता है मंत्री जी, यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मूर्खों के स्वर्ग में बिहार कर रहे हैं । मुझे अपनी बात नियम–103 की सूचना का हश्र मालूम है लेकिन मेरे प्रस्ताव को सुझाव के रूप में लें व सच्चाई को स्वीकार करें । सत्तारूढ़ दल के विधायक के नाते हमें अपने प्रस्ताव को तो वापस लेना है लेकिन जिन कारणों से हम यह प्रस्ताव लाए हैं उन पर विचार करना चाहिए । जो बिजली के सरप्लस होने की बात कही गई है पिछले सप्ताह केवल एक दिन बिजली सरप्लस हुई । मंत्री जी फूल गये अगर इतनी सरप्लस बिजली है तो जनपदों में बिजली की कटौती होती है उसको आप बन्द कर दें । दारुलशफा, मंत्री आवास, विधायक निवासों बिजली की कटौती करें जिससे विधायकों को एहसास रहे कि उनके यहां क्षेत्र में जनता की इसी प्रकार बिजली कटती है । मैंने इस चर्चा के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था लेकिन मंत्री जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया वह हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की उससे मुझे ठेस लगी । उनका स्तर मुझे मालूम है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप भा० नेताओं और अधिकारियों पर लगते रहते हैं अगर यही बात थी तो क्यों फर्स्ट क्लास से ए० सी० सुविधा ली हमें अपने आचरण से सादगी दिखानी है । केवल महात्मा गांधी जी की बात करने से काम नहीं चलेगा । उनके आचरण पर अमल करें। बातें महात्मा गांधी की और सोच पूंजीवादी दोनों एक साथ नहीं चल सकते इसको भी ध्यान रखें । ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सुधार की बात की गई हम सुधार कर रहे हैं । सुधार में सहयोग आपका होगा तो और ज्यादा सुधार करेंगे । जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है गांव को हमने ट्यूबवेल के कनेक्शन हर वर्ष दिये हैं । प्रधान मंत्री विद्युतीकरण योजना में गांवों को जोड़ा गया है पांच साल में प्रदेश के एक-एक गांव में बिजली पहुंचाई जायेगी । केन्द्र सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखकर बात मानी । माननीय सदस्य आरोप लगायें और आरोप सरकार सुने । यह कभी स्वीकार नहीं होगा । पहले खुद आदर्श प्रस्तुत करें । मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने ग्रामीण अंचलों के दर्द को कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है मैं उनसे सहमत हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया उनकी बात आ गई इनको बोलने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुमति दी है, मैं अनुमति दे सकता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

चर्चा में कोई भी सदस्य भाग ले सकता है । ऊर्जा मंत्री जी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यह कपोलकल्पित बातें करते हैं, बाजपेयी जी का दर्द सही है । माननीय मंत्री जी का असत्य वचन करने का इकबाल है तो निश्चित रूप से जो सदन में घोषणायें की हैं उनको कार्य रूप दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह नियम–103 के अन्तर्गत संकल्प जो पेश हुआ आशय यही होता है माननीय सदस्य की भावनायें आ जायं, जनता की समस्या से सरकार को अवगत कराया जा सके । विचार आ चुके हैं । मैं बाजपेयी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह तो मुझे पहले ही से मालूम था कि संकल्प मुझे वापस लेना पड़ेगा । मैं संकल्प को वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर विद्युत कमी को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बन्द कर दिया जाय" को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, जो मेरठ महानगर में पेयजल हेतु भोला नहर से भूतल जल आपूर्ति तथा जल निकासी हेतु नया कच्चा रिंग नाला बनाए जाने के संबंध में है, जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री राम अचल राजभर की है जो जनपद अम्बेडकर नगर मुख्यालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की दयनीय स्थिति व अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में है, जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है,जो जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर व बीकापुर तहसीलों की कतिपय ग्राम पंचायतों में सरकारी व ग्राम समाज की भूमि तथा पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जेदारी के संबंध में है, जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की है, जो जनपद मिर्जापुर में आदर्श गृह निर्माण समिति पहाड़िया जनपद वाराणसी तथा कतिपय अधिकारियों द्वारा वाटरशेड योजना के अन्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ रुपये हड़पने के संबंध में है, जिसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है, जो जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में ग्राम सभा जगदीशपुर (बद्री) एवं बयांव में नलकूपों को शीघ्र चालू कराए जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है,जो जनपद मथुरा के गोवर्धन कस्बे में होने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले को सावन मेला सूची मे सम्मिलित करके विशेष रूप से धन आवंटित किये जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है, जो फिरोजाबाद नगर में नगर पालिका परिषद् द्वारा पेयजल आपूर्ति में खारे पानी की आपूर्ति के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना श्री शिव सिंह चक की है, जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन मुख्यालय लखनऊ में करोड़ों के घोटाले व अनियमितताओं के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। नौवीं सूचना श्री रामकुमार एडवोकेट की है, जो उन्नाव जनपद के ब्लाक सिकन्दरपुर सिरौसी में परियर स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम एवं जानकी कुण्ड को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित किये जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। दसवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की है जो नियम–56 से प्राप्त हुई और 51 में परिवर्तित की गयी है और जो चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय तथा उत्पीड़न के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। ग्यारहवीं सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की है जो जनपद गाजीपुर में राजकीय धन का गबन करने वाले ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। बारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, जो जनपद जौनपुर में चकबंदी प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री भीम प्रसाद सोनकर, 2–डा० मुस्लिम, 3–श्री विजेन्द्र आर्य, 4–श्री संजय गर्ग, 5–श्री बाबूलाल कुशवाहा, 6–श्री सीता राम निषाद, 7–श्री उदयराज यादव, 8–श्री कौकब हमीद, 9–श्री श्यामदेव राय चौधरी, 10–श्री राम विशुन आजाद, 11–श्री अमित अग्रवाल, 12–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, 13–श्री विजयपाल सिंह, 14–श्री मूलचन्द्र, 15–श्री प्रदीप कुमार तथा 16–श्री रूप चौधरी।

नियम–51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं से सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति में सूचना का व्यपगत होना

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क; पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस बारे में आपने निर्णय दे दिया है । यह प्रकरण इस सदन में एक बार उठा था कि नियम–51 की सूचना के सम्बन्ध में कि जब नियम–51 लिया जाता है तो जिन माननीय सदस्यगण की सूचना हैं उन्हें अपनी सूचना के समय पर यहां सदन में उपस्थित रहना चाहिए, पीठ ने निर्णय दिया था । जिन माननीय सदस्यों की सूचना है उनकी सूचना को आधार मानकर माननीय पीठ विचार कर रही है, यह अपेक्षा की जाती है उन माननीय सदस्यों से कि सूचना के समय उपस्थित रहें । यह कोई बात नहीं हुई कि सूचना देकर चले गये और यहां पर उस पर विचार होता है । यह पहले भी परम्परा रही है कि सूचना पर जब नाम पुकारा जाता था और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते थे तो वह स्वीकार नहीं की जाती थीं । अब एक चलन सा हो गया है कि सुबह आये और सूचना देकर चले गये, लुप्त हो गये। मान्यवर, यह सदन की और पीठ की अवमानना है । इस प्रकार उदासीन होकर सूचना दी जा रही है । मान्यवर, पहले भी इस पर निश्चय हो गया था मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भविष्य में इसको देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह ठीक है कि नियम-51 में माननीय सदस्य सूचना देते हैं उनको सूचना के समय में यहां पर उपस्थित रहना चाहिए । आगे यह व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी । जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे उनकी सूचना व्यपगत मानी जायेगी ।

(उपर्युक्त मद संख्या–16 से मद संख्या–22 तक के सभी वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज में इन्द्रजीत ड्रेन की खुदाई/सफाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज स्थित इन्द्रजीत खेड़ा ड्रेन की खुदाई/सफाई न होने से सैकड़ों बीघा भूमि पानी में डूब जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में पड़ने वाली इन्द्रजीत खेड़ा ड्रेन की कुल लम्बाई, 6.80 कि०मी० है । यह ड्रेन इन्द्रजीत खेड़ा से प्रारम्भ होकर लोनी नाले में मिलती है । ड्रेन में सिल्ट का जमाव होने के कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या है ।

उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में शासकीय नीति के अधीन केवल ट्रंक ड्रेनों की सफाई हेतु धन दिया जाता है । प्रश्नगत ड्रेन, ट्रंक ड्रेन नहीं है अतएव इस ड्रेन की सफाई हेतु डी० आर० डी० ए० मद में धनावंटन कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी से दिनांक 30-5-2000 को अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मण्डल, सिंचाई द्वारा धन की मांग की गयी परन्तु धन उपलब्ध न हो सका । इस ड्रेन की सफाई हेतु वर्ष 2001-2002 में रु० 2.83 लाख का प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 22-5-2001 को मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ से उक्त मद में धन की पुनः मांग की गयी है । धनावंटन होने के उपरान्त ड्रेन की सफाई करायी जानी प्रस्तावित है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत पूर्व परियोजना अधिकारियों को समान पद पर समायोजित करने एवं अवशेष देयों को भुगतान के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[मा० सदस्य द्वारा अनौपचारिक शिक्षा विभाग समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त परियोजना अधिकारियों के सम्बन्ध में यह सूचना दी गयी है कि यह अधिकारी वेतनक्रम 6500–10,500 के स्थान पर वेतनक्रम 4500–7000 में प्राकृतिक न्याय के विपरीत समायोजित किये गये हैं । अनौपचारिक शिक्षा समाप्त नहीं की गयी है बल्कि इसे पुनरीक्षित किया गया है तथा मा० सदस्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 9-4-2001 का भी सन्दर्भ दिया गया है ।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार की आर्थिक सहायता से अनौपचारिक शिक्षा योजना संचालित थी, जिसके अन्तर्गत जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी आदि अधिकारियों के पद सृजित हुए थे । इनमें से केवल परियोजना अधिकारियों की भर्ती निःसम्वर्गीय मानते हुए की गयी थी और इनके नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया गया था कि योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त किये जाने पर सम्बन्धित की सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी । अन्य पदों पर शिक्षा संवर्ग में कार्यरत सम्वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात किया गया था । सम्वर्गीय अधिकारियों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं और नियमित रूप से नियुक्त किये जाते हैं लेकिन परियोजना अधिकारियों को नितान्त निःसम्वर्गीय मानते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था ।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित इस अनौपचारिक शिक्षा योजना को दि० 31-3-2001 से समाप्त करते हुए योजना के अन्तर्गत उक्त तिथि के उपरान्त कोई धनराशि स्वीकृत न किये जाने के भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा योजना में परियोजना स्तर पर तदर्थ एवं निःसम्वर्गीय पदों पर कार्यरत परियोजना अधिकारियों के पद समाप्त कर दिये गये, लेकिन शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन सभी की विभाग में लम्बी सेवाओं को देखते हुए इनकी सेवायें समाप्त न की जायं अपितु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विभाग में उपलब्ध एल० टी० ग्रेड के वेतनमान (रु० 4500–7000) में सहायक अध्यापक के संवर्गीय रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये । शासन के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनौपचारिक शिक्षा योजना समाप्त होने पर पूर्व में कार्यरत इन अधिकारियों को स्नातक वेतनक्रम में नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया । यहां यह भी स्पष्ट करना है कि अनौपचारिक शिक्षा योजना भारत सरकार की सहायता से संचालित थी और अब भारत सरकार ने इस योजना में धनराशि स्वीकृत करना बन्द कर दिया है अतः राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस योजना को संचालित रखने की आवश्यकता नहीं पायी गयी तथा मानवीय दृष्टिकोण से परियोजना अधिकारियों की सेवायें समाप्त न करते हुए समायोजित कर दिया गया । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा इन परियोजना अधिकारियों के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है ।

सम्प्रति प्रकरण मा० उच्च न्यालय में विचाराधीन है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र अन्तर्गत चकबन्दी विभाग की लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में श्री बसीम अहमद द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[उपर्युक्त संदर्भ में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । सड़कों की कमी के कारण जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । उस पर भी चकबन्दी विभाग की लापरवाही के कारण 10-10, 15-15 साल से मुकदमा लम्बित है । आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर एक सड़क सेहदा जुगल से आजमपुर जाकर आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग से जुड़ती है यह 11 कि०मी० दूरी का मार्ग है इस पर कम से कम 20 गांव सभा लगते हैं । मगर पिछला चकबन्दी से दुल्लापार ग्राम सभा में कुछ लोगों ने उस पर स्थगन आदेश को लेकर रोक रखा है जिसके कारण जनमानस को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सड़क नहीं बनवा रहे हैं कई बार जिलाधिकारी तथा चकबन्दी विभाग को लिखकर दिया गया लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ । यह सड़क से तहसील ब्लाक तथा शहर को मिलाती है । जिसके निस्तारण की मांग की गई है ।

प्रश्नगत संदर्भ में चकबन्दी निदेशालय से आख्या प्राप्त की गई । उन्होंने जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी आजमगढ़ की आख्या के आधार पर यह अवगत कराया है कि ग्राम सेहदा जंगल से आजमगढ़ एवं आजमगढ़ से बिलरियागंज मार्ग से जो मार्ग जुड़ता है, के स्थल निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ग्राम सेहदा जंगल व दुल्लापार में सड़क बनाने में कोई बाधा नहीं है । दुल्लापार से आगे आजमगढ़ से बिलरियागंज सड़क की ओर बढ़ने पर ग्राम आजमपुर बीच में पड़ता है जिसमें चकबन्दी प्रक्रियायें प्रचलित हैं । ग्राम दुल्लापार का धारा–52 का प्रकाशन दिनांक 17-12-73 को हो चुका है । ग्राम आजमपुर की धारा–20 का प्रकाशन दिनांक 20-7-90 को हो चुका है । चकबन्दी अधिकारी स्तर पर 18 चक आपत्तियां निस्तारण के लिये अवशेष हैं जिसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जायेगा तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध योजित चक अपीलों का निस्तारण शीघ्र कराकर ग्राम में कब्जा परिवर्तन शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराकर इस ग्राम में प्रविष्ट सड़क की पैमाइश करा दी जायेगी ।

कृपया उपरिउल्लिखित स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें ।]

जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों के मकान गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की राहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदन में श्री नवाब सिंह नागर, मा० सदस्य द्वारा नोएडा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरौला एवं हाजीपुर में दिनांक 18.5.2001 को हटाये गये अतिक्रमण के संबंध में दी गई सूचना पर स्थिति निम्नवत् है :–

नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए एवं नियोजन के स्वरूप को बनाये रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के साथ

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता रहा है । नोएडा एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हुए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाये जाते रहे हैं । यह जमीन नोएडा एवं शासन द्वारा कई वर्ष पूर्व अर्जित की जा चुकी है, परन्तु समय रहते नये आवंटियों द्वारा कब्जा न लिये जाने अथवा विकास कार्य में देरी होने के कारण भू-माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को आगे करके कब्जा करने की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है ।

इसी क्रम में डी० एस० सी० रोड, जो नोएडा, सूरजपुर, दादरी एवं ग्रेटर नोएडा जाने वाला एक मात्र मार्ग है, से अतिक्रमण हटाने एवं इस मार्ग से सेक्टर–48 को जाने वाली सेक्टर रोड में होने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई । इस कार्यवाही में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं प्राधिकरण के प्रवर्तन प्रकोष्ठ के अधिकारी मौजूद थे । इस कार्यवाही में ग्राम बरौता के अर्जित खसरा नम्बर नं० 626, 627, 630, 632 एवं 634 डी० एस० सी० रोड तथा खसरा नम्बर 605, 607, 637, 638, 639, 650, 749, 750, 751, 752 तथा ग्राम हाजीपुर का खसरा नम्बर 1 जो सेक्टर 48 के सेक्टर रोड पर है, से आंशिक अतिक्रमण हटाया गया ।

इस गांव एवं अन्य गांवों में अवैध कब्जा हटाने से पूर्व गांव के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है । इस गांव में भी एक सप्ताह पहले से ग्राम के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ ग्रामीणों से विचार-विमर्श के उपरान्त ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी । चूंकि उक्त भूमि अति मूल्यवान है एवं ग्रामीणों ने अपने निहित स्वार्थ के कारण यह प्रयास किया कि पत्थर आदि चलाकर कार्यवाही रोकी जा सके तथा पथराव के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे ग्रामीणों को मामूली चोटें आयी हैं । क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि दिनांक 19-5-2001 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिले तथा इस क्रम में की गयी मारपीट की घटना पर उनके द्वारा रोष प्रकट किया गया । इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों की एक समिति गठित कर जांच कराने के निर्देश दिये । मारपीट की घटना की जांच की आवश्यक संस्तुति देने के साथ-साथ भू-माफिया जो इस क्षेत्र में कार्यवाही कर रहे हैं, उन पर अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

दिनांक 21-5-2001 को ग्राम-बरौला में निवास करने वाले श्री कूड़े सिंह की मृत्यु होने के कारण देहात मोर्चा नाम के एक राजनीतिक संगठन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि मृतक कूड़े सिंह की मृत्यु अतिक्रमण हटाते समय चोट लगने से हुई, परन्तु 22-5-2001 को जिला प्रशासन द्वारा मृतक कूड़े सिंह का पोस्टमार्टम कराया गया और उससे स्पष्ट हुआ कि मृत्यु का कारण कोई चोट नहीं पाया गया तथा डाक्टरों ने यह निष्कर्ष अंकित किया कि कूड़े सिंह की मृत्यु लाठी चार्ज में घायल होने से नहीं हुई है ।

कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस मामले का राजनैतिक लाभ उठाने हेतु भू-माफिया से प्रेरित होकर गांव के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं । जिला प्रशासन इस दिशा में सतर्क है ।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में विद्युत विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद संत रविदास नगर भदोही में विद्युत विभाग द्वारा 33/11 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि ली गयी थी । उस भूमि के कुछ भाग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन अवैध कब्जा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया गया, जिसके विरुद्ध विद्युत विभाग द्वारा दीवानी न्यायालय में वाद संख्या–165/2001 दायर की गयी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा (स्टे) के आदेश पारित किये गये हैं। निषेधाज्ञा के विषय में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे के विरुद्ध श्री एस० एन० सिंह संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला प्रशासन के समक्ष विरोध किया गया। विद्युत उपकेन्द्र की उक्त भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को जिला प्रशासन की मदद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री सत्य नारायण सिंह, टेक्नीकल ग्रेड–II का स्थानान्तरण लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता श्री सुरेश दुबे द्वारा प्रेषित पत्र, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर दिनांक 19-5-2001 को स्थानान्तरण आदेश पारित किये गये हैं।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सदरपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में राजकीय बसों का 'ठहराव' बनाये जाने तथा शासनादेश के अनुरूप उसका विकास किये जाने के सम्बन्ध में डा० अमर सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सदरपुर गांव हरदोई जनपद के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा यह गांव हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का हरदोई से उन्नाव तक का भाग अनधिसूचित तथा उन्नाव से कानपुर तक का भाग अधिसूचित है। हरदोई से उन्नाव तक अनधिसूचित मार्ग पर निजी बसों का संचालन हो रहा है। उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की 13 बसें परमिट प्राप्त कर हरदोई से कानपुर वाया उन्नाव प्रतिदिन चल रही हैं। गांव सदरपुर की यात्रियों की सुविधा हेतु परिवहन निगम की बसों के ठहराव हेतु दिनांक 24-5-2001 से "किराया स्टापेज" घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार इस गांव के निवासियों को परिवहन निगम की बसों पर यात्रा करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो गयी है।]

भण्डार नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, उन्नाव द्वारा विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव को कण्डक्टर न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद उन्नाव में भण्डार में सामग्री हेतु प्राप्त मांग-पत्रों के अनुसार 58.977 कि०मी० वीजल कण्डक्टर की आवश्यकता चोरी गये तार बदलने हेतु प्रेषित की गयी है। विगत दो माह से अल्यूमिनियम उद्योग की अपनी समस्याओं के फलस्वरूप कण्डक्टर की आमदत में अप्रत्याशित कमी आ गई थी।

वर्तमान में उन्नाव भण्डार केन्द्र पर दिनांक 23-5-2001 को 88 किमी० एएएसी वीजल कण्डक्टर की उपलब्धता हो गयी है। प्राक्कलन स्वीकृति एवं वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने हेतु कण्डक्टर आवश्यकतानुसार भण्डार केन्द्र उन्नाव से लिया जा सकता है। महाप्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र को आवश्यकतानुसार इण्डेंट द्वारा कन्डक्टर लेने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव में तार चोरी की घटनायें प्रदेश के अन्य जनपदों के सापेक्ष कहीं अधिक हैं। 1-3-2001 से 13-5-2001 तक मात्र चोरी गये तार को बदलने के लिए 83.475 कि०मी० कण्डक्टर निर्गत किया जा चुका है जिसकी विवरण निम्नवत् है :—

	वीजल कण्ड० (किमी०)		डॉग कण्ड० (किमी०)	
	एसीएसआर	एएएसी	एसीएसआर	एएएसी
वर्ष 2001				
मार्च,	1.519	29.802	6.904	8.350
अप्रैल	5.481	24.703	3.310	—
मई	2.294	—	1.112	—
योग :	9.294	54.505	11.326	8.350

कुल योग : 83.475 किमी०

बिना एफ० आई० आर० दर्ज किये तथा बिना प्राक्कलन स्वीकृत किये स्टोर से सामग्री निर्गत न करने की प्रक्रिया है।

जिलाधिकारी/एस० एस० पी०, उन्नाव को निर्देश दिये जा रहे कि वे थानाध्यक्षों को तत्काल निर्देश दें कि पावर कारपोरेशन में तार, ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर तत्काल एफ० आई० आर० दर्ज कर लिया करें।

वर्ष 2000-2001 में भी चोरी के मद में रु० 113.00 लाख की सामग्री उपलब्ध करायी गयी। लाइन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस/स्थानीय प्रशासन के स्तर से भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।]

प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदारों से वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 को तारांकित प्रश्न संख्या–1, भत्वी (ख) के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1.....

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस दिन ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा था उस दिन इस बिन्दु को उठाया गया था। यह चर्चा उस दिन भी लगी थी। इसको बजट के साथ सम्मिलित कर लिया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

सम्मिलित होती नहीं है। नियम नहीं है।

श्री नवाब सिंह नागर–

मेरा निवेदन था इस विषय में कि इस सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित गोरखनाथ पाण्डेय जी के तारांकित प्रश्न के उत्तर माननीय ऊर्जा मंत्री ने नोएडा पावर कम्पनी पर 77 करोड़ रुपये बकाया बताया था।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम औतार शाक्य–

अधिष्ठाता जी, अब तो कोरम भी पूरा नहीं है । अब यह सारी कार्यवाही अवैध है । अब सदन नहीं चलना चाहिए, इस पर व्यवस्था दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

सारे सदस्यों का मूड है, चर्चा जारी रहे । चर्चा जारी रखिये कोरम की बात नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

कोरम की बात मैं वापस लेता हूं । चर्चा जारी रहनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये वर्तमान कानून के स्थान पर कोई नया कानून बनाये जाने विषयक दिनांक 9 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या–3, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 29 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० में प्रतिनियुक्ति पर तैनात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सूची

क्रम-सं०	लोक निर्माण विभाग में पदनाम	निर्माण निगम में पदनाम	राजकीय निर्माण निगम में दिया जा रहा वेतनमान जो पैतृक विभाग द्वारा स्वीकृत है	अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	प्रमुख अभियन्ता	प्रबन्ध निदेशक	निगम में प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं जिन्हें वेतन का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त महाप्रबन्धक	12000–375–16,500	04
3	अधिशासी अभियन्ता	वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक	12000–375–16,500	03
4	अधिशासी अभियन्ता	परियोजना प्रबन्धक	12000–375–16,500	01
5	अधिशासी अभियन्ता	अपर परियोजना प्रबन्धक	12000–375–16,500	03
6	अधिशासी अभियन्ता	अपर परियोजना प्रबन्धक	10000–325–15,200	02
7	सहायक अभियन्ता	परियोजना प्रबन्धक	12000–375-16,500	04
8	सहायक अभियन्ता	स्थानिक अभियन्ता	12000–375-16,500	01
9	अवर अभियन्ता	स्थानिक अभियन्ता	8000–275–13,500	07
10	अवर अभियन्ता	स्थानिक सहायक अभियन्ता	8000–275–13,500	03
11	अवर अभियन्ता	उप अभियन्ता	8000–275–13,500	02

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

क्रम-सं०	योजना का नाम	स्वीकृत की गयी धनराशि (रु० लाख में)	विवरण
	राज्य योजना		
1	महोबा में जमदग्निमुनि आश्रम के पास 10 सीटेड सुलभ शौचालय का निर्माण	4.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण । शेष कार्य प्रगति पर है ।
2	मदनसागर तालाब के दक्षिण तट पर स्थित जैन चौबीसी मन्दिर तथा कंटेश्वर गुफा मन्दिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण	0.86	कार्य पूर्ण ।
3	महोबा राठ से पुलिस लाइन बाईपास से चद्रिका मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण	8.00	कार्य पूर्ण ।
4	महोबा में रूहेलिया सूर्य मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	12.54	महोबा में रूहेलिया सूर्य मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु रु० 12.54 लाख की योजना वित्तीय वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत की गयी है ।
	जिला योजना		
5	महोबा में शहीद पार्क का स्थानीय पर्यटन विकास	7.00	भूमि अनुपलब्धता के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।
6	कोठी तालाब चरखारी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।	5.71	कार्य पूर्ण
7	महोबा में जैन तीर्थ स्थल के निकट यात्री छादक का निर्माण	2.50	भूमि अनुपलब्धता के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।
8	नियोजन विभाग द्वारा बुन्देलखंड प्रदेश के अन्तर्गत महोबा में उर्मिलसागर चरखारी का विकास, सौन्दर्यीकरण एवं वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था	266.23	योजना, नियोजन विभाग में प्रस्तावित है ।

अशोक यादव,
राज्य मंत्री, पर्यटन,
(स्वतंत्र प्रभार) ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 398 विधान सभा (प्रश्न)–i–3–2002–813 (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा